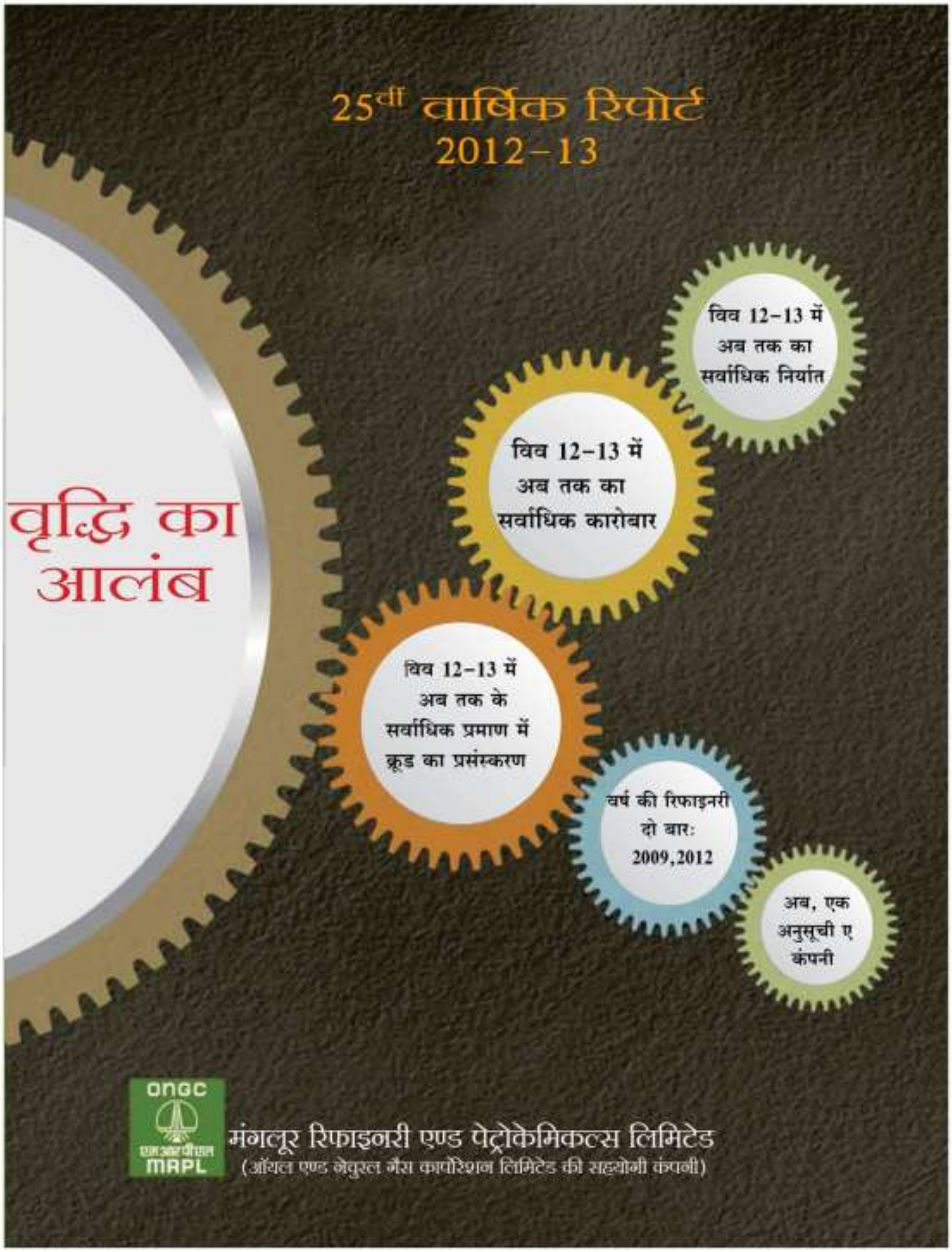
25वीं वार्षिक रिपोर्ट
2012–13
वृद्धि का आलंब
विव 12–13 में अब तक का सर्वाधिक निर्यात
विव 12–13 में अब तक का सर्वाधिक कारोबार
विव 12–13 में अब तक के सर्वाधिक प्रमाण में क्रूड का प्रसंस्करण
वर्ष की रिफाइनरी दो बार: 2009,2012
अब, एक अनुसूची ए कंपनी
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
(ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी)

श्री सुधीर वासुदेव, सी एण्ड एमडी, ओएनजीसी और अध्यक्ष, एमआरपीएल, ओएनजीसी के साथ 10 वर्ष पूरे करने के उपलबध में आयोजित 'अभ्युदया' कार्यक्रम में अपना भाषण देते हुए

माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री, डॉ. एम. वीरप्पा मोइली, ने नई दिल्ली में एमआरप–ीएल को प्रतष्ठित पेट्रोफेड पुरस्कार, 2012 प्रदान किया

श्री पी.पी. उपाध्या, प्रबंध निदेशक, एमआरपीएल, कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड एसोसिएशन से सर्वोत्कृष्ट विनिर्माता–बडी श्रेणी–स्वर्ण में निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार स्वीकार करते हुए

निदेशक मंडल

श्री सुधीर वासुदेव	अध्यक्ष
श्री पी.पी. उपाध्या	प्रबंध निदेशक
श्री विष्णु अग्रवाल	निदेशक (वित्त)
श्री वी.जी. जोशी	निदेशक (रिफाइनरी)(4/4/2013 से)
श्री पी. कल्याणसुदंरम्	निदेशक (15/4/2013 से)
श्री बी.के. नामदेव	निदेशक (1/7/2013 से)
श्री बी. रवींद्रनाथ	स्वतंत्र निदेशक
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	स्वतंत्र निदेशक
श्री के.एस. जेम्सटिन	विशेष अतिथि
श्री के. मुरली	निदेशक (30/6/2013 तक)
श्री पी.के. सिंह	निदेशक (11/4/2013 तक)
डॉ. ए.के. रथ	निदेशक (15/2/2013 तक)
श्री विवेक कुमार	निदेशक (6/8/2012 तक)
श्री यू.के.बासु	प्रबंध निदेशक (30/6/2012 तक)

कंपनी सचिव

श्री बी. सुकुमार (14.02.2013 से)
श्री दिनेश मिश्रा (13.02.2013 तक)

पंजीकृत कार्यालय

मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ.
मार्ग काटिपल्ला
मंगलूर - 575030, कर्नाटक
टेलीफोन. सं. 0824-2270400
वेबसाइट.: www.mrpl.co.in

सॉलिसिटर और अधिवक्ता

मेसर्स मुल्ला एण्ड मुल्ला एण्ड क्रेग ब्लंट एण्ड कैरो, सॉलिसिटर्स
मेसर्स आलया लीगल, अधिवक्ता

संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसर्स महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
मेसर्स गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन,
सनदी लेखाकार

लागत लेखा परीक्षक

मेसर्स मुसीब एण्ड एसोसिएट्स
लागत लेखाकार

विषय-वस्तु

विषय-वस्तु	पृष्ठ सं.
निदेशकों की रिपोर्ट	05
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	24
सी एण्ड एजी की टिप्पणियाँ	31
संधारणीय विकास में निष्पादन संबंधी रिपोर्ट	32
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	32
तुलन पत्र	37
लाभ-हानि खाता	39
नकदी प्रवाह विवरण	41
टिप्पणियाँ	43

बैंकर

भारतीय स्टेट बैंक,	बैंक ऑफ बडौदा
पंजाब नैशनल बैंक,	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक,	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
कार्पोरेशन बैंक,	सिटी बैंक एन.ए.

निवेशकर्ता संबंध कक्ष

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

- मुडपाडव, कुत्तेतूर पी. ओ. मार्ग काटिपल्ला
  मंगलूर - 575030, कर्नाटक सं. 0824-2270400
  फैक्स सं.: 0824-2273300
  वेबसाइटः www.mrpl.co.in
- एलजीएफ, मर्केंटाइल हाउस
  15, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली - 110001
  टेलीफोनः 011-23463100 फैक्स : 011-23463201
  ई-मेलः investor@mrplindia.com

निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट 89

साचिविक लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट 90

वार्षिक महासभा की सूचना 92

पाँच वर्ष के निष्पादन की एक झलक …………………………..96

- **मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्रा. लि (आर एण्ड टी एजेंट)**
  सी–13, पन्नलाला सिल्क मिल्स कम्पाउंड,
  एल बी एस मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई – 400 078
  टेलीफोनः 022–25963838 / 25946970 फैक्स सं.: 022–25946969
  ई–मेलः mrplirc@linkintime.co.in
  वेबसाइट : www.linkintime.co.in

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रिय सदस्यों,

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर (एमआरपीएल)के निदेशक मंडल की तरफ से और खुद अपनी तरफ से आपकी कंपनी का निष्पादन दर्शाने वाली 25वीं वार्षिक रिर्पोट, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर 31.03.2013 को समाप्त वर्ष की लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पेश करने में मैं बड़ा फ़क्र महसूस करता हूँ।

2012-13 : आपकी कंपनी का रजत जयंती वर्ष

1988 में स्थापित आपकी कंपनी की प्रसंस्करण क्षमता 3.69 एमएमटीपीए थी जिसे बाद में, आपकी कंपनी की 15 एमएमटीपीए की वर्तमान क्षमता तक पहुंचने से पहले 9.69 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया। 25 साल बाद, आपकी कंपनी एमआरपीएल, ओएनजीसी समूह की एक कंपनी बन गई है, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाने वाली चोटी की कंपनी है और इस महान देश के तख़्त का ताज है।

एमआरपीएल की ताकत बढ़ाने वाली ओएनजीसी के साए तलेः एक दशक तक चरघातीय वृद्धि और समृद्धि

निदेशक मंडल, ओएनजीसी समूह के साए तले आपकी कंपनी द्वारा लिखी गई अद्भुत सफलता की गाथा तहे दिल से कबूल करता है। बस 10 सालों में, आपकी कंपनी, जो 'बीआईएफआर' के मामले में जकड़ी हुई थी, काया पलटकर जुलाई 2007 में एक 'मिनी रत्न, श्रेणी 1' का खिताफ पाने के अलावा जुलाई, 2013 में अनुसूची ''क'' श्रेणी के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रतिष्ठान बन गई। आपकी कंपनी ने क्षमता उपयोग की सुई को, जो एक दशक पहले 70 प्रतिशत पर निस्तेज पड़ी थी, पिछले दशक में वर्षानुवर्ष आधार पर 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग के पार ले जाने की असाधारण कामयाबी हासिल की। क्षमता को ही 9.69 एमएमटीपीए से 15 एमएमटीपीए तक बढ़ाया गया है। नतीजा निकालने में आपकी कंपनी की क्षमता को भारतीय हाइड्रोकार्बन उद्योग ने मान्यता दी है और नतीजतन पेट्रोफेड ने 2009 और 2012 के लिए आपकी कंपनी को '' वर्ष की रिफाइनरी '' के पुरस्कार से नवाजा।

2012-13 : नए मील के पत्थरः तगड़ी चुनौतियाँ।

2012-13 एक ऐसा वर्ष रहा जिसमें नए-नए मील के पत्थर कायम किए गए। वर्ष के दौरान आपकी कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 14.4 एमएमटी का क्रूड प्रसंस्कृत किया और 19.04.2012 से लेकर 27.04.2012 तक जल की कमी के कारण रिफाइनरी को शटडाउन करने के बावजूद अब तक का सर्वाधिक रु.68,834 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया। वर्ष के दौरान भौतिक निष्पादन अच्छा रहने के बावजूद, कंपनी ने पिछले वर्ष के रु.909 करोड़ के कर उपरांत लाभ के मुकाबले रु.757 करोड़ की कर उपरांत निवल हानि उठाई। यह हानि ख़ासकर जल की कमी के कारण रिफाइनरी को उस वक्त शटडाउन करने की वजह से हुई जब क्रूड और उत्पाद की कीमतें गिरने लगी थीं जिस कारण स्टाक में नुकसान हुआ, परिचालन मार्जिन गिरा, चरण III पूंजीकरण के कारण मूल्यहास और ब्याज लागत में बढ़त हुई। इसके बावजूद, उद्योग के परिदृश्य को देखते हुए और हमारे समकक्ष की कंपनियों के निष्पादन परिणामों के साथ तुलना करते हुए बेशक यह कबूल करना पड़ेगा कि वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी का निष्पादन वाकई तारीफ़े काबिल है। चरण III परियोजना को उसकी समग्रता में पूरा करने क बाद कंपनी को यह उम्मीद है कि परियोजना के फायदे मिलने लगेंगे और कंपनी, एक बार फिर लाभप्रदता की पटरी पर चलने लगेगी।

वर्ष 2012-13 के दौरान कंपनी के निष्पादन के प्रमुख वैशिष्ट्य

1. 2011-12 के 12.82 एमएमटी के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 14.4 एमएमटी हासिल किया और वर्ष 2011-12 के रु.57,207 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2012-13 के लिए अब तक का सर्वाधिक रु.68,834 करोड़ का कुल कारोबार किया गया।
2. 2011-12 के 73.27% के मुकाबले 2012-13 में 76.55% का उच्चतर आसवन उत्पादन किया गया।
3. वर्ष के दौरान निर्यात में पिछले वर्ष के 5.59 एमएमटी की तुलना में 7.10 एमएमटी का नया रेकॉर्ड कायम किया गया.
4. जिस वक्त ईरान पर पाबंदी लगाई गई थी उस वक्त 2011-12 में हासिल 13.2 एमएमटी के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 14.15 एमएमटी का सर्वाधिक क्रूड हासिल किया।
5. वर्ष 2012-13 में 13.17 एमएमटी की मात्रा में उत्पाद प्रेषित किया गया जब कि 2011-12 में 11.95 एमएमटी उत्पाद प्रेषित किया गया था।

1.1 वित्तीय निष्पादन का सारांश

		(करोड़ में)
	समाप्त वर्ष	समाप्त वर्ष
	31 मार्च, 2013	31 मार्च, 2012
कुल कारोबार	**68,834**	**57,207**
मूल्यह्रास ब्याज और कर पूर्व लाभ	456	1,961
ब्याज और वित्त प्रभार	329	207
ब्याज उपरांत परंतु मूल्यह्रास और कर पूर्व कुल लाभ	127	1,754
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	604	434
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(477)**	**1,320**
कराधान के लिए प्रावधान (आस्थिगत कर देयता)	280	411
कर उपरांत लाभ/(हानि)	**(757)**	**909**
पिछले वर्ष से आगे लाया गया शेष लाभ/(हानि)	4,999	4,298
विनियोजना के लिए उपलब्ध अधिशेष	**4,242**	**5,207**
इक्विटी शेयरों पर लाभांश	-	175
लाभांश पर कर	-	28
पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि में अंतरण	5	5
तुलन पत्र में आगे लाया गया शेष	**4,237**	**4,999**

1.2 लाभांश

वर्ष 2012-2013 के दौरान उठाई गई हानि के कारण, निदेशक मंडल ने वर्ष के दौरान लाभांश घोषित करने पर विचार नहीं किया।

1.3 परिचालनगत निष्पादन

अपनी क्षमता बढ़ाने के बाद आपकी कंपनी ने 2011-12 के 12.82 एमएमटी के मुकाबले 2012-13 के दौरान 14.4 एमएमटी का अब तक का सर्वाधिक क्रूड प्रसंस्कृत किया बावजूद इसके कि जल की कमी के कारण 19 अप्रैल से 27 अप्रैल, 2012 तक रिफाइनरी को बंद किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान ईंधन और हानि का प्रमाण 2011-12 के 6.75% की तुलना में 7% रहा। अधिक ईंधन और हानि, ख़ासकर चरण III यूनिटों की चालू करने संबंधी गतिविधियों और जल संकट के कारण वर्ष की पहली तिमाही के दौरान रिफाइनरी को मजबूरन शटडाउन करने के कारण हुई। वर्ष 2012-13 का ऊर्जा सूचक उच्चतर ईंधन और हानि तथा निम्नतर जटिलता परिचालन के कारण 2011-12 के 57.92 के मुकाबले 61.01 (एमबीटीयू / बीबीएल / एनआरजीएफ) रहा। कंपनी ने पहली बार वर्ष 2012-13 के दौरान कुछ नए क्रूड यानी जफीरो, राबी, असेंग और हुंगो का प्रसंस्करण किया।

1.4 निर्यात

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012-13 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों जैसे मोटर स्पिरिट, नैफ्ता, मिश्रित ज़ाइलीन, हाई स्पीड डीज़ल, जेट ईंधन और ईंधन तेल का निर्यात करते हुए अब तक का सर्वाधिक कुल रु.33,340 करोड़ का निर्यात कारोबार किया।

वर्ष के दौरान रिपब्लिक ऑफ मॉरिशियस की मांगे पूरी करने के इरादे से स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन, मॉरिशियस को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने का तीन वर्ष का मुद्दती निर्यात ठेका हासिल किया गया। आपकी कंपनी ने, एसटीसी, मॉरिशियस के साथ, पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए 3 वर्ष के नए ठेके को सफलता से अंतिम रूप दिया जो 31.07.2016 तक विधिमान्य होगा।

वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार में, आपकी कंपनी ने पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करते हुए अपना ही एक स्थान बनाया है और इसमें तरक्की हासिल करने की दिशा में मौकों की तलाश जारी है।

1.5 सुरक्षित निष्पादन

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान 435 दुर्घटना मुक्त दिवस हासिल किए। वर्ष के दौरान आग लगने की कोई ख़ास वारदात नहीं हुई जिससे न संपत्ति का कोई नुकसान हुआ न ही पर्यावरण को कोई क्षति पहुंची। वर्ष के दौरान कुछ नए टैंकों को जोड़ने के साथ-साथ चरण III के हाइड्रोजन और डीएचडीटी संयंत्र चालू किए गए। आपकी कंपनी, अग्नि और सुरक्षित पद्धतियां अपनाने के लिए जरूरी प्रशिक्षण निरंतर रूप

से देती रही है। वर्ष के दौरान, 873 कर्मचारियों और 4,722 ठेका कामगारों को आग और औद्योगिक सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षित किया गया। दिसंबर-2012 में ओआईएसडी बाह्य संरक्षा लेखा परीक्षा की गई।

सामग्री विभाग जैसे संयंत्र रहित और संयंत्र क्षेत्र में विषैले गैस का रिसाव, आग लगने जैसी विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों पर विचार करते हुए वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 7 नकली प्रदर्शन किए गए। इस श्रृंखला में 04.12.2012 को जिला संकट समूह सदस्यों के सामने एक पूर्ण प्रमाण में '' ऑफ साइट '' नकली प्रदर्शन किया गया जिसके बाद समीक्षा बैठक हुई और सभी सिफारिशों का वक्त पर कार्यान्वयन किया गया।

1.6 पर्यावरण प्रबंधन और निष्पादन

पर्यावरण प्रबंधन में, कंपनी की नीति है अनुपालन के परे काम करना - अर्थात् कानून में अपेक्षित न्यूनतम मानदंड से बेहतर प्रदर्शन करना। पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए रिफाइनरी को ISO 14001: 2004 का प्रमाणीकरण हासिल हुआ है।

पर्यावरण प्रबंधन और निष्पादन के छोर पर प्रमुख उपलब्धियाँ इस प्रकार रहीं:

- चरण III का आधुनिक अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, जिसमें तेल बहिस्राव उपचार यूनिट और सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर (एसबीआर)यूनिट हैं, मार्च महीने में चालू किया गया। मेंब्रेन बायो रिएक्टर (एमबीआर)यूनिट का पूर्व प्रवर्तन कार्य चल रहा है।गंधक पैस्टिलेशन यूनिट को रिफाइनरी में चरण III के एक अंग के तौर पर चालू किया जा रहा है जिससे कि गंधक रिकवरी यूनिट (एसआरयू)में धूल का उत्सर्जन कम हो।
- एक आधुनिक रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ)संयंत्र स्थापित किया गया है जिससे कि उपचारित बहिस्राव का अधिकतम सीमा तक वापस रिफाइनरी में उपयोग किया जा सके। आरओ शीघ्र ही चालू किया जाएगा।
- भुक्त शेष कॉस्टिक का उपचार करने और डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी का निष्पादन सुधारने के लिए रिफाइनरी में आर्द्र वायु ऑक्सीकरण यूनिट स्थापित किया गया है।
- प्रोसेस यूनिट में संघनित रिकवरी यूनिट चालू किया गया है जिससे ताजा पानी की खपत कम हुई है।
- डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी के एक अंग के तौर पर रिफाइनरी में क्लोस्ड बायोरेमेडिएशन यूनिट चालू किया जा रहा है।
- रिफाइनरी में 74,000 स्थानों पर वीओसी उत्सर्जन पर नजर रखने का काम एक प्रतिष्ठित एजेंसी के सुपुर्द किया गया है और उत्सर्जन कम करने की दिशा में निवारक उपाय कारगर तरीके से किए जा रहे हैं।
- आस-पास के गांवों और स्कूलों में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (केएसपीसीबी)के सहयोग से वक्त-वक्त पर पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
- 120 एकड़ जमीन पर हरित पट्टी का विकास करने के लिए राज्य वन विभाग के पास ऑर्डर दिया गया है। उनकी नर्सरी में पौधे उगाए जा रहे हैं। रिफाइनरी में पेड़ लगाने का काम शुरू किया जा चुका है।
- रिफाइनरी में क्रूड टैंकों की सफाई करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई गई है।
- मेसर्स कॉलेज ऑफ फिशरीस ने पाक्षिक आधार पर समुद्री जल की गुणवत्ता का अनुप्रवर्तन किया जिससे यह संकेत मिला कि उपचारित बहिस्राव के विसर्जन से समुद्री पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड रहा है।
- रिफाइनरी के इर्द-गिर्द भू-जल पर निगरानी रखने के लिए दस केंद्र खोल गए हैं और केएसपीसीबी के साथ भू-जल की गुणवत्ता पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है।
- वर्ष के दौरान कूलिंग टावर में पुनःचक्रित औसत बहिस्राव का प्रमाण करीब 70-75% रहा।
- संशोधित राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी मानक के अनुसार रिफाइनरी के अंदर और बाहर 9 स्थानों पर (चरण III परियोजना स्थल पर दो स्थानों सहित)परिवेशी वायु की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही है।

इस समय चलती रहीं नीचे उल्लिखित परियोजनाएँ, स्थापना के विभिन्न चरणों में हैंः-

चरण III के तहत रिफाइनरी की परियोजना में हलके हाइड्रोकार्बन संग्रहण टैंकों के लिए वाष्प रिकवरी प्रणाली अपनाना।

- डब्यूडब्यूटीपी - III में वीओसी रिकवरी सिस्टम
- रिफाइनरी के खास स्थानों पर अतिरिक्त हाइड्रोकार्बन डिटेक्टर की स्थापना
- खरीदारी के चरण में संग्रहण टैंकों के लिए स्वचालित रिम्म सील संरक्षण की स्थापना और
- एलपीजी स्फीयर्स और मौल्डेड बुलेट्स पीएसवी बहिम्राव का संस्फुरण हेडर के साथ कनेक्शन।

1.7 विपणन

1.7.1 देशी बाजार में उत्पादों का विपणन

आपकी कंपनी, कर्नाटक राज्य और उसके आस-पास के राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्यक्ष बिक्री खंड में अपना बाजार अंश लगातार बढाती रही है। वर्ष 2012-13 के दौरान प्रत्यक्ष बिक्री में कुल कारोबार पिछले वर्ष रु.2,755 करोड़ की तुलना में रु.3,750 करोड़ रहा।

1.7.2 खुदरा प्रचालन

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष थोक उपभोक्ताओं के लिए एचएसडी की कीमतों पर नियंत्रण पूरी तरह से हटाया है। आपकी कंपनी ने थोक एचएसडी बाजार में पहले से ही अपनी पैठ जमा रखी है। खुदरा खंड में एचएसडी की कीमतों पर अपना नियंत्रण पूरी तरह से हटाने

की दिशा में सरकार की नीति को अंजाम दिए जाने तक, आपकी कंपनी ने चुनिंदा बाजारों में गिने चुने खुदरा केंद्र चलाने पर सोच-समझकर कदम उठाया।

लेकिन आपकी कंपनी, थोडी सी भनक मिलने पर भी खुदरा बाजार में कूद पड़ने के लिए एकदम तैयार है। एमएस की कीमतों पर पहले की भाँति कोई नियंत्रण नहीं है और मौजूदा खुदरा केंद्रों से बिक्री करने का सिलसिला जारी है।

1.7.3 नए उत्पादों को बेचने की योजना

आपकी कंपनी, 440 केटीपीए की क्षमता वाला पॉलीप्रॉपीलीन संयंत्र स्थापित करने जा रही है जिससे कि अनुप्रवाह प्रोसेसिंग उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिलेगा। पीपी की बिक्री से संबंधित विस्तृत योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और देशी बाजार में बिक्री करने के लिए चैनल साझेदारों का चयन किया जा रहा है।

आपकी कंपनी, डीलेड कोकर यूनिट स्थापित करने वाली है जिसमें पेट्ट कोक का उत्पादन किया जाएगा जो एमआरपीएल के उत्पाद बैस्केट में एक नया उत्पाद है। आपकी कंपनी, दक्षिण भारत में प्रमुख औद्योगिक उपभोक्ताओं को पेट्ट कोक बेचेगी।

1.7.4 संयुक्त उद्यम

आपकी कंपनी, भारतीय हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों को एविएशन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ)उपलब्ध कराने वाले शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड (एसएमएएफएसएल)के नाम से लोकप्रिय शेल्ल बी.वी.नेदरलैंड के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी)चला रही है। वर्ष के दौरान, इस जेवी कंपनी को, सार्वजनिक कंपनी (एसएमएएफएसएल) में तब्दील कर दिया गया।

एसएमएएफएसपीएल, भारतीय हवाई अड्डों पर देशी और अंतर्राष्ट्रीय एअरलाइनों, दोनों में बडे पुरजोर तरीके से बाजार अंश हासिल कर रहा है। इस कंपनी ने गोवा और नई दिल्ली में अपना कारोबार शुरू किया। मंगलूर में विमानन ईंधन भरने का केंद्र शुरू किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुल कारोबार रु.486.10 करोड़ (2011-12 में रु.517.35 करोड़)रहा जिसमें रु.13.14 करोड़ का (पिछले वर्ष रु.18.16 करोड़)कर पूर्व लाभ रेकॉर्ड किया गया। कंपनी, वर्ष 2012-13 के लिए 8% लाभांश (2011-12 में 10%) घोषित करना चाहती है।

2. पुरस्कार और मान्यताः

- 04.07.2013 से एमआरपीएल की श्रेणी अनुसूची ' बी ' से अनुसूची ' ए ' तक बढ़ाई गई है।
- एमआरपीएल ने, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण संबंधी मानदंड पूरा करते हुए उत्पादन और प्रचालन दक्षता में चोटी का निष्पादन दर्शाने के लिए 2012 के लिए प्रतिष्ठित पेट्रोफेड का '' वर्ष की रिफाइनरी'' का पुरस्कार हासिल किया।
- एमआरपीएल ने, फेडरनेशन ऑफ कर्नाटका चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से विनिर्माता - निर्यातकर्ता - बडी श्रेणी - स्वर्ण में निर्यात में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 का पुरस्कार प्राप्त किया।
- एमआरपीएल ने कर्नाटका सरकार से 2010-11 और 2009-10 के लिए मध्यम/बड़ी श्रेणी - स्वर्ण में '' राज्य में निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार '' हासिल किया।
- वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए ओएनजीसी के साथ किए गए एमओयू के अनुसार निष्पादन में '' उत्कृष्ट '' दर्जा दिया गया है (अनंतिम)।
- प्रबंध निदेशक, एमआरपीएल को सार्वजनिक प्रतिष्ठान संस्थान, हैदराबाद द्वारा प्रदान किए गए वैश्विक मासं उत्कृष्टता पुरस्कार में '' मासं ओरिएंटेशन युक्त सीईओ '' का पुरस्कार दिया गया।
- एमआरपीएल को मानव संसाधन प्रबंधन श्रेणी (मिनी रत्न/अन्य)में '' बीटी-स्टार पीएसयू उत्कृष्टता पुरस्कार, 2013 '' से सम्मानित किया गया।
- नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर ने एमआरपीएल को लगातार दो वर्षों से यानी 2011-12 और 2012-13 से हिन्दी कार्यान्वयन के क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया।

3. साख संबंधी प्रोफाइल

3.1 आईसीआरए ने दोबारा पुष्टि की है कि उसने आपकी कंपनी को "Ir AAA" का (जिसका उच्चारण होता है IR ट्रिपल A)दर्जा दिया है। यह दर्जा यह संकेत देता है कि आईसीआरए ने साख की गुणवत्ता के सिलसिले में सर्वाधिक दर्जा दिया है और दर्जा प्राप्त संस्थान को ऋण देने में सब से कम जोखिम है।

3.2 आईसीआरए ने एमआरपीएल की रु.3000 करोड़ की निधि आधारित सीमाओं के लिए "[ICRA] AAA" का दर्जा दिया है(जिसका उच्चारण है ICRA ट्रिपल A) यह दर्जा '' स्थिरता '' दर्शाता है।

3.3 आईसीआरए ने एमआरपीएल की रु.4000 करोड़ की निधि आधारित सीमाओं के लिए "[ICRA] A1+" का दर्जा दिया है (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स)

3.4 आईसीआरए ने एमआरपीएल के रु.900 करोड़ के वाणिज्यिक पत्र कार्यक्रम के लिए "[ICRA] A1+" (जिसका उच्चारण है ICRA A वन्न प्लस्स) का दर्जा देने की दोबारा पुष्टी की है। इस दर्जे से संकेत मिलता है कि वित्तीय बाध्यताओं का वक्त पर भुगतान करने की बात एकदम सुरक्षित है अर्थात् ऋण देने में जोखिम एकदम कम है।

3.5 क्रासइसिल ने एमआरपीएल को उच्चतम कार्पोरेट क्रेडिट रेटिंग "[CCR AAA]" देने की दोबारा पुष्टी की है (जिसका उच्चारण है CCR ट्रिपल A) यह दर्जा इस ओर इशारा करता है कि ऋण चुकाने में एमआरपीएल की स्थिति एकदम मजबूत है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार

चरण III रिफाइनरी परियोजना, पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना और एसपीएम परियोजना के लिए आंशिक ऋण निधीकरण के प्रति, आपकी कंपनी ने 2011-12 में 250 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर के बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)की ताल-मेल व्यवस्था की थी जिसमें से वर्ष 2011-12 में 50 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर और 2012-13 में शेष 200 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर निकाले गए। ब्याज लागत कम रखने की दृष्टि से, आपकी कंपनी ने आगे चलकर 2012-13 में 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर की और ताल मेल व्यवस्था की और वर्ष के दौरान इसमें से 50 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर निकाले।

4. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी, पर्यावरण का प्रभावशाली ढंग से आंतरिक नियंत्रण करने के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे प्रचालन की दक्षता और आस्तियों की हिफाजत का आश्वासन दिया जा सके। आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग, एक स्वतंत्र निदेशक के अधीन लेखा परीक्षा समिति की देखरेख में काम करता है। आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र अपनाया है जिससे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण पर्यावरण का आश्वासन दिया जा सकेगा।

5. परियोजनाएँ

क) चालू परियोजनाएँ

i. चरण III रिफाइनरी उन्नयन और विस्तार परियोजना

परिष्करण क्षमता को 15 एमएमटीपीए तक बढ़ाते हुए जटिलता और लाभप्रदता बढ़ाने, उच्च टैन और भारी क्रूड का प्रोसेसिंग करने, निम्न मूल्य के नैफ्ता और काले पेट्रोलियम का उन्नयन करते हुए आसुत का उत्पादन बढ़ाने और प्रॉपीलीन जैसे मूल्यवर्धित उत्पादों का उत्पादन करने और उसका डीज़ल पूल उत्कृष्ट श्रेणी (यूरो III/IV) के एचएसडी में ब़ढाने की खातिर कंपनी की चालू चरण III रिफाइनरी परियोजना को लागू करने का काम लगभग पूरा हो चुका है। परियोजना को पूरा करने में कुछ विलंब होने के बावजूद, परियोजना की अनुमानित लागत रु.12,160 करोड़ बनी रहेगी।

परियोजना को लागू करने में विलंब होने के बावजूद, अब इसमें संतोषजनक प्रगति हो रही है। 15/7/2013 को इसमें प्रत्यक्ष रूप से 100% के अनुसूचित लक्ष्य के मुकाबले 99% की प्रगति हुई थी। कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी) पूरा करने में विलंब होने के कारण, आपकी कंपनी ने, मौजूदा रिफाइनरी के सीपीसी से उपलब्ध उपयोगिताओं (बिजली और भाप) की मदद से चरण III में कुछ यूनिटें चालू करने के लिए वैकल्पिक उपाय किए थे। सभी प्रोसेस यूनिटों और डाउनस्ट्रीम यूनिटों ने यांत्रिक कार्य पूरा किया है जिसमें प्रमुख यूनिटें हैं पेट्रो फ्लूइडाइज़्ड क्रैकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू), डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू), गंधक रिकवरी यूनिट (एसआरयू)। ये

यूनिटें, मेसर्स बीएचईएल द्वारा चलाए जा रहे सीपीपी से, प्रवर्तन पूर्व और प्रवर्तन गतिविधियाँ चलाने के लिए अबाधित भाप और बिजली की उपलब्धता का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है कि सीपीपी का काम सितंबर / अक्तूबर 2013 तक पूरा होगा। लेकिन GTG 1 / HRSG 1 / GTG 2 को चालू किया गया है।

HGU और DHDT यूनिटों को सफलता से चालू किया गया है। अन्य संबद्ध उपयोगिताएँ और ऑफ साइट सुविधाएँ जैसे शीतलन जल तंत्र, डीएम जल तंत्र, वायु और नाइट्रोजन तंत्र, अपशिष्ट जल उपचार तंत्र और आग जल तंत्र भी चालू किए गए हैं।

चरण III परियोजना के लिए रु.10,935 करोड़ की लागत का वायदा किया गया था, जब कि 31/7/2013 को कुल मिलाकर रु.10,458 करोड़ खर्च किए गए थे। यह परियोजना 99% पूरी हो चुकी है और लागत का वायदा लगभग पूरा हो चुका है, उम्मीद है कि परियोजना पूरा करने में विलंब होने के बावजूद अधिक लागत उठानी नहीं पड़ेगी।

ii. पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना

मेसर्स नोवोलेन टेक्नॉलॉजी, जर्मनी के साथ मिलकर आपकी कंपनी द्वारा रु.1804 करोड़ की अनुमानित लागत पर चरण III परियोजना के साथ एकीकृत पॉलीप्रॉपीलन यूनिट स्थापित करने में पीडीएफ समस्याओं के कारण थोडा विलंब हुआ है। पीडीएफ द्वारा साइट खाली न कराने के कारण, यूनिट का स्थान बदलना पड़ रहा है और इस वजह से साइट पर काम शुरू होने में देर हो रही है और पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने में विलंब हुआ है। नए स्थान पर अब साइट ग्रेडिंग का काम चल रहा है और सिविल एवं ढांचागत कार्य एवं उपकरण स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

15/7/2013 को इस परियोजना में 93% के लक्ष्य के मुकाबले 90% की प्रगति हासिल हुई थी। पॉलीप्रॉपीलीन परियोजना के लिए रु.1,298 करोड़ की लागत का वायदा किया गया है जब कि 31/7/2013 को कुल मिलाकर रु.725 करोड़ खर्च किए गए थे।

iii.. सिंगल पाइंट मूरिंग (एसपीएम)परियोजना

आपकी कंपनी, बडी मात्रा में क्रूड भरने लायक बडे जहाजों (वीएलसीसी)के लिए समुद्र के अंदर 16 किलोमीटर की दूरी पर 30 मीटर की गइराई में बंदरगाह की सीमाओं के अंदर तटवर्ती बूस्टर पंपिंग केंद्र के साथ एसपीएम परियोजना स्थापित करने वाली है। इस सुविधा की बदौलत, कंपनी, सूएज़ मैक्स / वीएलसीसी जहाजों में क्रूड प्राप्त कर सकेगी जिससे बदले में माल भाड़े में बचत होने के साथ-साथ पश्चिम अफ्रीकी देशों और लातिन अमेरिकी देशों से क्रूड हासिल करना संभव होगा। इस सुविधा से एनएमपीटी बंदरगाह में मौजूदा बर्थ सुविधा में भीड़ कम होगी जिससे विलंब शुल्क कम होगा। मंगलूर में कच्चा तेल संगृहीत करने की दृष्टि से इंडियन स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम लिमिटेड (आईएसपीआरएल)की भूगत कंदराओं में क्रूड प्राप्त करने के लिए भी इस सुविधा का नियोजन किया जा सकेगा।

इस परियोजना गतिविधि में, 15/7/2013 को 99.12% के संशोधित अनुसूचित लक्ष्य के मुकाबले 98.64% की समग्र प्रगति हासिल हुई थी। लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण, इसका मरम्मत कार्य हाथ में लिया गया। मरम्मत का कार्य अब पूरा किया जा चुका है। एसपीएम परियोजना के लिए रु.688 करोड़ की लागत का वायदा किया गया था जब कि 31/7/2013 को कुल मिलाकर रु.651 करोड़ खर्च किए गए थे।

iv. **रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम**

आपकी कंपनी ने, उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में मेसर्स शेल्ल ग्लोबल सोल्यूशन्स इंटरनैशनल बी.वी. (एसजीएसआई)के जरिए रिफाइनरी निष्पादन सुधार कार्यक्रम (आरपीआईपी)हाथ में लिया है।

आरपीआईपी का मक़सद है, प्रचालन, ऊर्जा और उपयोगिताओं की खपत का इष्टतमीकरण करने, हाइड्रोकार्बन हानि को कम करने और रख-रखाव एवं निरीक्षण पद्धतियों में सुधार करने सहित लाभ की मात्रा पर असर डालने वाले क्षेत्रों में बेहतरीन प्रचालन पद्धतियाँ अपनाते हुए सुधार करने के अवसर पहचानना।

निर्धारण करने का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और इस समय इसे लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।

ख) भावी परियोजनाएँ

आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन संयंत्र लगाने (अपमार्जक बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल)और मंगलूर में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और अपेक्षित संरचना की उपलब्धता के अधीन रु. 8,500 करोड़ के अनुमानित निवेश पर अपनी परिष्करण क्षमता को 21 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा, कंपनी, रु.2300 करोड़ की अनुमानित लागत पर पेट्र कोक गैसीकरण संयंत्र और ओलेफिन कॉंप्लेक्स (नैफ्ता ड्यूएल फीड क्रैकर) स्थापित करने पर विचार कर रही है। इस परियोजना के संबंध में प्रारंभिक व्यवस्था रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

6. ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी का समावेश और विदेशी मुद्रा का अर्जन एवं व्यय :

ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी के समावेश और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय के संबंध में कंपनी (निदेशकों की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकटीकरण) नियम, 198

7. कर्मचारियों के विवरण

एक सरकारी कंपनी होने के नाते आपकी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217(2ए) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रकटन करने से छूट दी गई है।

8. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

आपकी कंपनी ने वेबसाइट www.mrpl.co.in. में आरटीआई संबंधी पुस्तिका प्रदर्शित की है।

वर्ष के दौरान, 96 आवेदन पत्र मिले जिनमें से 80 आवेदन पत्र, 31.03.2013 से पहले और बचे रहे 16 आवेदन पत्र, 1/04/2013 के बाद निपटाए गए।

9. मानव संसाधन

- वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया।

- वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने 160 कर्मचारियों की भर्ती की। इनमें से 24 महिला कर्मचारी, 21 अनुसूचित जाति (एससी) के और अनसूचित जनजाति के (एसटी) कर्मचारी हैं।
- 31.03.2013 को कर्मचारियों की कुल संख्या, 119 महिला कर्मचारियों सहित 1625 रही। प्रबंधन संवर्ग के कर्मचारियों की संख्या 629 है जब कि गैर-प्रबंधन संवर्ग में 996 कर्मचारी कार्यरत हैं। अ.जा/अ.ज.जा. की श्रेणी के कर्मचारियों की कुल संख्या 150 है जब कि शारीरिक दृष्टि से असमर्थ कर्मचारियों की तादाद 5 है।
- वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने प्रशिक्षण, विकास और शिक्षा के लिए कुल मिलाकर 7191 श्रम-दिवस लगाए जो प्रति कर्मचारी औसतन 4.50 श्रम-दिवस बनता है । इसमें समग्र कर्मचारियों के लिए कार्यात्मक, विकासात्मक और विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

10. राजभाषा

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार राजभाषा नीति का अक्षरशः पालन कर रही है। कर्मचारियों में हिन्दी का प्रचार बढ़ाने की खातिर, हिन्दी कार्यशालाएँ नियमित रूप से चलाई गईं। कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए, रिफाइनरी के तमाम कंप्यूटरों पर यूनिकोड सुविधा को सक्रिय करने के लिए विशेष प्रयास किए गए।

कंपनी, हिन्दी प्रयोग बढ़ाने की खातिर, कर्मचारियों, उनके बच्चों और परिवार के सदस्यों के लिए विभिन्न कार्यक्रम और प्रतियोगिताएँ चलाती रही है। चोटी के आठ स्थान पाने वाले एमआरपीएल डीपीएस स्कूल, मंगलूर के छात्रों को, जिन्होंने कक्षा 10वीं की सार्वजनिक परीक्षा में हिन्दी भाषा में सर्वाधिक अंक पाया, विशेष पुरस्कार दिए गए।

रिफाइनरी में हिन्दी का प्रचार बढ़ाने की दृष्टि से, जनवरी 2013 से रिफाइनरी में " एमआरपीएल प्रतिबिंब " नामक गृह पत्रिका (अर्ध वार्षिक) का प्रकाशन करना शुरू किया गया।

आपकी कंपनी ने, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), मंगलूर से वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए हिन्दी के कार्यान्वयन में असाधारण निष्पादन के लिए प्रथम पुरस्कार हासिल करने के साथ-साथ प्रतियोगिताओं में नौ पुरस्कार हासिल किए।

11. सतर्कता प्रकार्यः

आपकी कंपनी ने सतर्कता कार्य के लिए रचनात्मक तंत्र विकसित किया है और इसका मक़सद है सभी हिस्सेदारों के समक्ष सतर्कता की उपयोगिता को स्थापित करना। इस प्रक्रिया के दौरान अधिक पारदर्शिता लाने के लिए बहु आयामी नियंत्रण और संतुलन रखा जाता है । वर्ष के दौरान सतर्कता जागरूकता और निवारक सतर्कता गतिविधियाँ लगातार चलाई गईं। केंद्रीय सतर्कता आयोग

(सीवीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है । संवेदनशील पद संभालने वाले अधिकारियों का नियमित रूप से आवर्तन किया जाता है।

कर्मचारियों के लिए ' मुखबिर नीति ' बनाई गई है जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि ईमानदार मुखबिर को किसी भी प्रकार के उत्पीडन से संरक्षण प्रदान किया जाता है। सीवीसी के अनुदेशों का पालन करते हुए आपकी कंपनी ने शिकायत संभालने वाली नीति लागू की है जिसमें विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों को दर्ज किया जाता है और उनकी सतर्कता की निगाहों से जांच-पड़ताल की जाती है। आगे, सीवीसी के अनुदेशों के अनुरूप आपकी कंपनी ने ई-भुगतान, ई-टेंडर के बारे में बहुत ही उच्च अनुपालन स्तर हासिल किया।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का फ़ायदा उठाने पर अधिक बल दिया जा रहा है जिसमें सतर्कता ने एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। कंपनी के वेबसाइट में, डाउनलोड करने लायक टेंडर संबंधी दस्तावेज प्रदर्शित किए जाते हैं, नामांकन आधार पर दिए गए कार्य के बारे में सूचना प्रकट की जाती है, ठेके देने के बाद जरूरी सूचना प्रकट की जाती है।

पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी काम कर रहे हैं और संतर्कता संबंधी शिकायतों के बारे में इनसे cvo@mrplindia.com पर संपर्क किया जा सकता है।

12. सुरक्षा उपाय

एमआरपीएल की सुरक्षा व्यवस्था, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपी एण्ड एनजी) द्वारा बनाई गई तेल क्षेत्र के लिए संरचनात्मक संरक्षण योजना (ओएसआईपीपी) के अनुरूप है। एमआरपीएल रिफाइनरी की सुरक्षा का, ओएसआईपीपी की अपेक्षाओं के अनुरूप लगातार उन्नयन किया जा रहा है। एमआरपीएल में विभिन्न सुरक्षा उपाय इस प्रकार हैं:

12.1 सीआईएसएफ की तैनाती:

गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार ने एमआरपीएल रिफाइनरी के संरक्षण के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के कुल 200 कर्मियों को तैनात करने की मंजूरी दी थी। सीआईएसएफ ने प्रारंभ में रिफाइनरी का संरक्षण करने के लिए क्विक रीएक्शन टीम तैनात किया था। सीआईएसएफ ने 110 सीआईएसएफ कर्मियों को तैनात करते हुए हाल में एमआरपीएल रिफाइनरी की सुरक्षा का कार्यभार अपने हाथ में लिया है। मंजूर किए गए शेष 90 कर्मियों को दिसंबर, 2013 तक तैनात किया जाएगा। कुल रु.32 करोड़ की लागत पर निर्मित किया जाता रहा सीआईएसएफ टाउनशिप, दिसंबर, 2013 तक पूरा होने की उम्मीद है।

12.2 सीसीटीवी से सर्वेक्षण और एक्सेस कंट्रोल:

रिफाइनरी, आधुनिकतम सीसीटीवी नेटवर्क की निगरानी में रहती है जिसे ऐसा बनाया गया है कि तमाम एक्सेस कंट्रोल प्रवेश द्वार और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को उसके घेरे में लाया जा सकेगा । एकीकृत सीसीटीवी-सह-संचार नियंत्रण कक्ष के साथ सीसीटीवी का कवरेज बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। रिफाइनरी सुविधा की सुरक्षा को सख्ती से नियंत्रित करने के लिए उचित एक्सेसे कंट्रोल किया जाता है।

12.3 नकली प्रदर्शनः

कंपनी, रिफाइनरी की हिफ़ाजत करने वाले सुरक्षा बलों की तैयारी और हड़ताल होने की दशा में, कानून और व्यवस्था बनाए रखने एवं सुरक्षा से संबंधित अन्य घटनाएं स्वतंत्र रूप से तथा राज्य पुलिस और तट रक्षा बल के अलावा जिला प्रशासन के साथ संभालने में उनके कार्य संचालन का आकलन करने के लिए नियमित रूप से नकली प्रदर्शन चलाती है। एमआरपीएल और आस-पास के उद्योग, तट रक्षक बल के तत्वावधान में तटवर्ती इलाकों में तटवर्ती सुरक्षा कवायद करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं।

12.4 आसूचना ब्यूरो (आईबी) की औद्योगिक सुरक्षा शाखा द्वारा सुरक्षा तंत्र की, नेमी तौर पर निरीक्षण कर समीक्षा की जाती है जिससे कि ग्रे एरिया को पहचान कर उसमें सुधार करने के सुझाव दिए जा सके/सिफारिश की जा सके। आपकी कंपनी, आईबी के अधिकतर सिफारिशों का निष्ठापूर्वक पालन करती है। आईबी दल ने, एमआरपीएल में भौतिक सुरक्षा, आईटी सुरक्षा और अग्नि शामक उपकरणों की तारीफ की थी। आपकी कंपनी को, मूल कंपनी के सुरक्षा विशेषज्ञों का मार्गदर्शन भी मिलता है।

13. निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की तरफ पहल

“ संरक्षण ” के नाम से प्रवर्तित आपकी कंपनी का सीएसआर उद्देश्य है, गरीबी, निरक्षरता, बीमारी से ग्रस्त, रोजगार की कुशलता से अभाव ग्रस्त अल्पाधिकार प्राप्त समुदाय के विकास को, समग्र रूप से, संधारणीय तरीके से बढ़ावा देना, शारीरिक दृष्टि से असमर्थ लोगों की देखभाल करना, कंपनी के कारोबार क्षेत्र के इर्द-गिर्द सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धारोहर तथा संपत्ति को बरकरार रखना और संधारणीय विकास करना।

इनको अपना लक्ष्य बनाते हुए आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान बहुत सारी सीएसआर संबंधी योजनाएं लागू की है। इस दिशा में खास तौर से ऐसे कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं जैसे निरंतर शिक्षण का समर्थन करने के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करना, कंप्यूटर प्रयोगशाला स्थापित करना, सरकारी स्कूलों के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करना, समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों का जीवन स्तर सुधारने के लिए कंप्यूटरीकृत सिलाई की कला, जेसीबी और क्रेन चलाने का प्रशिक्षण देना, स्थानीय पंचायत के लिए समुदाय भवन का निर्माण करना, सुदूर गांवों से प्रमुख सड़क तक पहुंचने के लिए उचित स़डक बनाना, शैक्षिक वर्ष 2012-13 के लिए बालिकाओं और अ.जा/अ.ज.जा. के छात्रों को छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता देना, छात्रों के लिए क्लास रूम, आंगनवाड़ी, शौचालय और बाथ रूम बनाना और निःशुल्क प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चलाना।

कंपनी ने ओएनजीसी के साथ मिलकर, रु.21 करोड़ की अनुमानित लागत पर 162 वर्ष पुराने लेडी गोशेन अस्पताल में एक अलग ब्लॉक बनाने का अपना वादा निभाने की ओर कदम बढ़ाया। डॉ. वीरप्पा मोइली, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और श्री जगदीश शेट्टर, कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने 18 मार्च, 2013 को इस सुविधा की आधार शिला रखी। यह सुविधा, मंगलूर शहर और उसके आस पास के इलाकों में महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा में अमिट छाप छोड़ेगी।

एमआरपीएल ने वर्ष 2012-13 के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रु.4.65 करोड़ खर्च किए।

14. निदेशक

वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल में नीचे उल्लिखित परिवर्तन हुएः

14.1 श्री पी.के. सिंह, संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी को श्री विवेक कुमार, संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी के स्थान पर 17.08.2012 को नियुक्त किया गया।

14.2 डॉ. ए.के. रथ, स्वतंत्र निदेशक ने 15/02/2013 को अपना तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा किया।

14.3 श्री वी.जी. जोशी को निदेशक (रिफाइनरी), एमआरपीएल के रूप में नियुक्त किया गया जिन्होंने 04/04/2013 को अपना कार्यभार संभाला।

14.4 श्री पी. कल्याणसुंदरम्, संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी को श्री पी.के. सिंह, संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी के स्थान पर 15/04/2013 से नियुक्त किया गया।

14.5 श्री बी.के. नामदेव, निदेशक (रिफाइनरी), एचपीसीएल को एचपीसीएल से सेवानिवृत्त हुए श्री के. मुरली के स्थान पर 1/7/2013 से नियुक्त किया गया।

14.6 कंपनी के मंडल पर अपने कार्यकाल के दौरान निदेशक के रूप में श्री विवेक कुमार, डॉ. ए.के. रथ, श्री पी.के. सिंह और श्री के. मुरली की सेवाओं हेतु बोर्ड भूरि-भूरि प्रशंसा करता है।

14.7 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 के प्रावधानों और कंपनी के बहिर्नियमों के अनुसार, श्री पी. कल्याणसुंदरम् और श्री सुधीर वासुदेव कंपनी की 25वीं वार्षिक महासभा में आवर्तन से निवृत्त होंगे। श्री पी. कल्याणसुंदरम् और श्री सुधीर वासुदेव, पात्र होने के नाते पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी ही पेशकश करते हैं।

14.8 वार्षिक महा सभा संबंधी नोटिस के अनुबंध में, निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता के स्वरूप उनकी विशेषज्ञता, जिन कंपनियों के मंडल में वे निदेशक और सदस्य/ अध्यक्ष का पद संभाल रहे हों उनके नाम और इन कंपनियों में उनके शेयरधारण के साथ नियुक्ति/ पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का सारवृत्त दिया गया है।

15. निदेशकों की जिम्मेदारी का बयान

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) के अधीन निदेशकों की जिम्मेदारी संबंधित बयान के बारे में निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए यह पुष्टि की जाती है कि :

i) वार्षिक लेखे तैयार करते समय, लागू लेखा मानक अपनाए गए हैं और यह कि इसमें कोई ठोस विचलन नहीं किया गया है।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियां चुनी हैं और लगातार लागू की हैं तथा ऐसे फैसले एवं आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि 31 मार्च, 2013 तक के एवं उस तारीख को समाप्त वर्ष के कंपनी के लाभ-हानि लेखा को लेकर कंपनी की स्थिति का सही और न्याययुक्त चित्रण उभर सके ।

iii) निदेशकों ने कंपनी की आस्तियों की हिफ़ाजत करने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं का पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी पर्याप्त रेकॉर्ड रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।

iv) निदेशकों ने कंपनी के वार्षिक लेखे चालू समुत्थान आधार पर तैयार किए हैं ।

16. मीयादी जमाराशि

आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक से कोई मीयादी जमाराशि स्वीकार नहीं की ।

17. निगमित अभिशासन

17.1 आपकी कंपनी ने, कंपनी के मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के होने की बात को छोड़कर कंपनी शासन की अपेक्षाओं के संबंध में लिस्टिंग संबंधी क़रारनामे के खंड 49 के तमाम अनिवार्यक प्रावधानों का और सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों (सीपीएसई)के कंपनी अभिशासन संबंधी अनिवार्यक दिशा निर्देशों का पालन किया है। आपकी कंपनी के मंडल पर दो स्वतंत्र निदेशक हैं। कंपनी, स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति से संबंधित मामला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपी एण्ड एनजी)मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाती रही है।

17.2 वार्षिक रिपोर्ट में कंपनी शासन के बारे में एक अलग खंड दिया गया है जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है ।

17.3 शेयर बाजारों के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी क़रारनामे के खंड 49 की अपेक्षाओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने कंपनी के लेखा परीक्षकों से निगमित अभिशासन के अनुपालन के बारे में प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जिसे इसके साथ संलग्न किया गया है और जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है ।

17.4 शेयर बाजारों के साथ सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49 (IV) (एफ) के अनुसार, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट (अनुबंध-II) संलग्न की गई है जो इस रिपोर्ट का ही एक अंग है।

17.5 अच्छे निगमित अभिशासन के उपाय के तौर पर, आपकी कंपनी ने वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक साचिविक अनुपालन लेखा परीक्षा कराने के लिए, व्यावसायिक कंपनी सचिव, मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स को मुकर्रर किया है। व्यावसायिक कंपनी सचिव, मेसर्स उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स ने वर्ष 2012-13 के लिए वार्षिक साचिविक अनुपालन लेखा परीक्षा संबंधी रिपोर्ट पेश की है जो इस रिपोर्ट का ही एक भाग है।

18. लेखा परीक्षक

18.1 भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक (सी एण्ड एजी) ने मेसर्स महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं., चेन्नै और मेसर्स गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन, कोइंबत्तूर को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है।

18.2 अनुबंध III में दी गई सी एण्ड एजी की रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का अंग है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि आपकी कंपनी को लगातार 11वें वर्ष सी एण्ड एजी से प्रमाणपत्र मिला है कि टिप्पणी करने के लिए " कुछ " नहीं है।

18.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 233बी के प्रावधानों के अनुरूप, कंपनी द्वारा रखे गए लागत लेखों की लेखा परीक्षा, कंपनी कार्य विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन के साथ नियुक्त हुए मेसर्स मुसीब एण्ड एसोसिएट्स द्वारा की जाती रही है।

19. आभार

19.1 आपके निदेशक, भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य मंत्रालय, सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और

केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्रतिष्ठान चयन बोर्ड तथा विभागों एवं कर्नाटक राज्य सरकार को, बहुमूल्य समर्थन और सतत सहयोग के लिए अपना धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।

19.2 आपके निदेशक, कंपनी सह–प्रवर्तक के नाते हिन्दुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के समर्थन और सहयोग के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

19.3 आपके निदेशक, शेयर धारकों को कंपनी पर लगातार अपना भरोसा रखने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं।

19.4 आपके निदेशक, न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और दूसरे सभी हिस्सेदारों जैसे कच्चे तेल और अन्य निविष्टियों के आपूर्तिकर्ताओं, विक्रेताओं, ठेकेदारों, परिवाहकों और दूसरों को उनके लगातार सहयोग एवं समर्थन के लिए अपना आभार प्रकट करते हैं।

19.5 आपके निदेशक, अपने सम्मानित ग्राहकों से कंपनी के उत्पादों के लिए मिले प्रोत्साहन का सम्मान करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि वे उनके समाधान पर्यंत कार्य करेंगे।

19.6 आपके निदेशक, तमाम कर्मचारियों के, एकजुट हो कर और एक टीम की भांति संगठित रूप से किए गए सतत और समर्पित प्रयासों क़ी भूरि–भूरि प्रंशसा करते हैं ।

19.7 आपकी कंपनी को खरीदकर उसकी कायापलट करने में ओएनजीसी के साहस और दृढ निश्चय की, आपकी कंपनी तहे दिल से अभिवादन करती है। आज, सर्वांगीण उपलब्धि और असाधारण तरक्की हासिल कर अनुसूची ‘‘ ए ‘‘ की हैसियत पाने के बाद, आपकी कंपनी, ओएनजीसी की छत्रछाया में उद्योग में एक अविश्वसनीय उदाहरण बन गई है।

मंडल के लिए और उनकी ओर से

सुधीर वासुदेव
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 8 अगस्त, 2013

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुबंध – ख

अ. ऊर्जा का संरक्षण

आपकी कंपनी ने परिचालन का इष्टतम उपयोग करते हुए, लगातार निगरानी रखते हुए, संरक्षण संबंधी कई योजनाओं को अमल में लाते हुए ऊर्जा संरक्षण पर पहले की भांति बल देना जारी रखा ।

क. वर्ष के दौरान ऊर्जा संरक्षण के प्रति किए गए ख़ास उपाय ।

i) वीजीओ का उत्पादन बढ़ाने के लिए VBU1 फ्लैशर प्रचालन

ii) GOHDS ब्लीड गैस को एलपीएस बहिर्गैस लाइन की तरफ मोड़ा गया जिससे कि ब्लीड गैस से हाइड्रोजन को रिकवर किया जा सके।

iii) HCU2 हीटर के अंदरूनी हिस्से में सिरेमिक कोटिंग के कारण निर्दिष्ट ईंधन की खपत कम हुई।

iv) हीटर का मार्जिन बढ़ाने के लिए CDU1, VDU1, CDU2, VDU2 और VBU1 की ऑनलाइन रासायनिक सफाई की गई जिससे क्षमता उपयोग में इजाफा हुआ है और निदिष्ट ईंधन की खपत में गिरावट आई है।

v) ISOM यूनिट में पेनेक्स फीड में पेंटेन के इष्टतमीकरण से ऊर्जा की खपत में कमी आई है।

vi) CDU 2 में APH का प्रतिस्थापन करने से ऊर्जा की खपत में कमी आई है।

ऊर्जा/संसाधनों की खपत कम करने के लिहाज से यदि कोई निवेश और प्रस्ताव, लागू किए जा रहे हों/विचाराधीन हों तो उनके ब्यौरे।

i) सीडीयू1 और वीबीयू2 में कोअलेसर के साथ छलकाव का पुनःउपयोग करने की व्यवस्था।

ii) HGU1 और HGU2 में फीड नैफ्ता प्री–हीटर।

iii) CDU 1 से GOHDS में तप्त डीज़ल।

iv) CDU 1 में HHGO से VBU ब्लेंडर।

v) स्टीम लाइन इंस्यूलेशन और स्टीम ट्रैप की मरम्मत और रख–रखाव।

vi) वीबीयू–1 और एचसीयू–1 यूनिटों में भाप संघनित रिकवरी।

ग. ऊपर (क) में उल्लिखित उपाय करने से ऊर्जा खपत को लगभग 6200 एमटी/वर्ष तक घटाना संभव हुआ जो लगभग रु.0.3 करोड़ के निवेश के साथ लगभग रु.25 करोड़/वर्ष की निवल बचत के समान है।

घ) वर्ष 2012–13 के दौरान ईंधन और हानि का प्रमाण 2011–12 के 6.75% की तुलना में 7.0% रहा। अधिक ईंधन और हानि, ख़ासकर चरण III यूनिटों की चालू करने संबंधी गतिविधियों और जल संकट के कारण वर्ष की पहली तिमाही के दौरान रिफाइनरी को अप्रत्याशित शटडाउन करने के कारण हुई।

ङ. रिफाइनरी ने, वर्ष 2012–13 के दौरान 61.01 के ऊर्जा सूचक (एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ) के साथ सर्वाधिक क्रूड का प्रसंस्करण किया।

पिछले चार वर्ष के दौरान एमआरपीएल का ऊर्जा निष्पादन इस प्रकार है

वर्ष	क्रूड थ्रूपुट, एमएमटीपीए (निवल क्रूड आधार)	जटिलता, एनआरजीएफ (सीएचटी पद्धति)	ऊर्जा सूचक एमबीएन (एमबीटीयू/बीबीएल/एनआरजीएफ)
2012-13	14.403	4.895	61.01*
2011-12	12.818	5.487	57.92
2010-11	12.639	5.585	58.13
2009-10	12.497	5.371	58.27

. *एमबीएन, उच्चतर ईंधन तथा हानि एवं निम्नतर जटिलता परिचालन के कारण अधिक रहा।

फार्म – क

कुल ऊर्जा खपत और प्रति यूनिट उत्पादन के लिए ऊर्जा खपतः

क) बिजली और ईंधन की खपत	चालू वर्ष 2012-13	पिछले वर्ष 2011-12
1. इलेक्ट्रिसिटी		
क) खरीदी गई		
यूनिट (दशलक्ष KWH)	44.00	20.75
कुल राशि (रु. दशलक्ष)	262.86	118.99
दर/यूनिट (रु /KWH)*	5.97	5.73

*इसमें शामिल है रु.30.59 दशलक्ष का मांग प्रभार (2011–12 के लिए रु.13.18 दशलक्ष)

मांग प्रभार को छोड़कर प्रति KWH यूनिट लागत है रु.5.28 (2011–12 के लिए रु.5.10)

ख) स्वयं उत्पादन		
i) डीज़ल जनरेटर (सरपाडी में) के जरिए		
यूनिट (दशलक्ष KWH)		
प्रति लीटर डीज़ल का यूनिट (KWH/ लीटर)	0.28	0.10
लागत / यूनिट (रु/KWH)	3.22	2.99
ii) भाप टर्बाइन जनरेटर के जरिए	14.09	16.02
यूनिट (दशलक्ष KWH)		
प्रति लीटर ईंधन तेल के लिए यूनिट (KWH/ लीटर) *	688.78	612.01
लागत / यूनिट (रु/KWH)	1.76	1.99
*सह उत्पन्न भाप लागत शामिल है	21.99	16.18
2. ईंधन तेल		
परिमाण (एमटी) (तेल + गैस)	887937	821224
कुल राशि (रु. दशलक्ष में)	35929.08	27649.37
औसत दर (रु/एमटी)	40463.55	33668.49
3. अन्य/आंतरिक उत्पादन		
डीज़ल (सरपाडी में)		
परिमाण (केएल)	86.68	33.09
कुल लागत (रु. दशलक्ष)	3.94	1.59
दर (रु/केएल)	45416	47911
4. प्रति यूनिट उत्पादन के लिए खपत		
प्रसंस्कृत कुल क्रूड (टीपीए)	14402524	12817590
खपाया गया कुल ईंधन (टीपीए) (ईंधन और हानि शामिल है)	963900	865043
कुल इलेक्ट्रिसिटी (दशलक्ष KWH) (बाह्य आपूर्ति को घटाने के बाद)	732.78	632.76
ईंधन की खपत, प्रसंस्कृत क्रूड का एमटी/एमटी(%) (ईंधन और हानि शामिल है)	7.00	6.75
इलेक्ट्रिसिटी की खपत, प्रसंस्कृत क्रूड का KWH / MT	50.88	49.37

फार्म – ख

अ) अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी)

1. विशिष्ट क्षेत्र, जिनमें कंपनी ने 2012–13 के दौरान आर एण्ड डी कार्य किया

क) क्रूड का परीक्षण

नीचे उल्लिखित क्रूड के लिए टीबीपी उपकरण के सहारे क्रूड का परीक्षा किया गयाः

हंगो, ज़फीरो, राबी और लेवन ब्लेंड

ख) बिटूमेन इमल्शन पर प्रयोगः

विभिन्न इमल्सिफायर्स और अन्य कटर स्टॉक्स के साथ बिटूमेन इमल्शन की स्थिरता का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किए गए।

(ग) आयन क्रोमेटोग्राफी का उपयोग करते हुए पद्धति में विकास करने के लिए प्रयोग

रिफाइनरी के खट्टे जल, बहिस्राव के नमूनों और ऐमीन नमूनों तथा आयन क्रोमेटोग्राफी की मदद से ऐमीन और अमोनिया अंश का निर्धारण करने की दृष्टि से पद्धति का विकास करने के लिए प्रयोग किए गए।

घ) योज्य और बायो-डीज़ल का मूल्यांकन

डीज़ल की स्नेहकता बढ़ाने के लिए योज्य और बायो डीज़ल का मूल्यांकन किया गया।

ङ) भू-जल का विश्लेषण

एमआरपीएल के इर्द-गिर्द नल-कुओं से लिए गए भू-जल के नमूनों में धातु लेश का स्तर जानने के लिए प्रयोग किए गए।

2. उक्त आर एण्ड डी के नतीजों से मिले फ़ायदे :

क) विभिन्न प्रकार के क्रूड का परीक्षण करने से यूनिट परिचालन स्थिति का इष्टतम उपयोग करने में मदद मिली जिससे कि उत्पाद का प्रतिफल बढ़ाया जा सके।

ख) बिटूमेन इमल्शन पर प्रयोग करने से बिटूमेन से मूल्य वर्धित उत्पाद बनाना संभव हो पाया।

ग) योज्य का मूल्यांकन करने से परिचालन यूनिटों को डोसेज स्तर का इष्टतमीकरण करने और बायो-डीज़ल को एक डीज़ल निष्पादन में सुधार करने वाले योज्य के रूप में इस्तेमाल करने की संभावनाओं की खोजबीन करने में मदद मिली।

3. भावी कार्य योजनाः

क) बिटूमेन इमल्शन का सूत्रीकरण विकसित करना।

ख) भुक्तशेष कास्टिक उपचार में गंध और फेनॉल नियंत्रण के लिए भुक्तशेष कास्टिक का प्रभावशाली ऑक्सीकारक निम्नीकरण करने का अध्ययन कर विकसित करना।

ग) एफसीसी उत्प्रेरक का अध्ययन।

4. आर एण्ड डी पर व्यय

- **शेयर पूंजी** कुछ नहीं
- **आवर्तीः** रु.0.05 करोड

❖ **कुल :** रु.0.05 करोड

आ. प्रौद्योगिकी का समावेश, अनुकूलन और नवप्रवर्तन

i) प्रौद्योगिकी के समावेश, अनुकूलन और नवप्रवर्तन के प्रति किए गए प्रयासों के संक्षिप्त ब्यौरे ।

क) चरण – 1 और 2 के प्रोसेस यूनिटों के लिए प्रौद्योगिकी का पूरी तरह समावेश किया जा चुका है ।

ख) फर्नेस क्षमता में परिवर्तन किए बगैर यूनिट की क्षमता को 3.69 से 4.8 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए सीडीयू यूनिट का, प्री-फ्लैश कॉलम के साथ पुनर्योजन किया गया। पुनिर्योजित यूनिट, दोबारा अक्तूबर 2011 को चालू किया गया।

ग) चरण III में आनेवाले पीएफसीसी यूनिट को फीड करने की दृष्टि से वन्स थ्रू मोड ऑपरेशन सक्षम करने के लिए एचसीयू1 और एचसीयू2 यूनिटों का पुनर्निर्माण किया गया जिनको दोबारा क्रमशः अक्तूबर 2011 और अप्रैल 2012 में चालू किया गया।

घ) गैस तेल जलीय-अवसल्फ्यूरीकरण यूनिट की क्षमता का पुनर्निर्माण करने का कार्य पूरा किया गया जिससे संयंत्र की क्षमता में अप्रैल 2009 के दौरान 30% तक इजाफा हुआ।

ङ) चरण III विस्तार परियोजनाओं के अंग के तौर पर, सीडीयू3, अप्रैल 2012 में, एचजीयू3, जुलाई 2012 में और डीएचडीटी, नवंबर 2012 में चालू किया गया।

ii) इन प्रयासों की बदौलत, फ़ायदे हासिल किए गए जैसे; उत्पाद में सुधार, लागत में कमी, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन आदि ।

रिफाइनरी के थ्रूपुट को 14.403 एमएमटीपीए पर बरकरार रखा गया जब कि शुद्ध ईंधन के विनिर्देशों का पालन किया गया जिसके लिए अधिक जटिल परिचालन की ज़रूरत पड़ी।

जीओएचडीएस यूनिट की क्षमता के पुनर्निर्माण कार्य से यूरो – III और यूरो -IV श्रेणी के डीज़ल का उत्पादन करने की रिफाइनरी की क्षमता में सुधार हुआ है।

iii) आयातित प्रौद्योगिकी के मामले में (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) नीचे उल्लिखित जानकारी पेश की जाती है।

क) आयातित प्रौद्योगिकी

जीओएचडीएस यूनिट की क्षमता का पुनर्निर्माण कार्य, एचसीयू-1 और एचसीयू-2 को वंस-थ्रू मोड में पुनर्योजित करना

ख) आयात वर्ष

2008-09, 2011-12 और 2012-13.

ग) क्या प्रौद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया गया है?

जीओएचडीएस यूनिट की प्रोद्योगिकी का पूरी तरह से समावेश किया गया है।

घ) अगर पूरी तरह से समावेश न किया गया हो तो यह काम किन क्षेत्रों में नहीं हुआ है और उसकी वजह क्या हैं तथा इस दिशा में भावी कार्य योजनाओं का जिक्र करें ।

पीएफसीसी यूनिट को फीड करने के लिए एचसीयू-1 और 2 यूनिटों को वन्स थ्रू मोड में पुनर्योजित किया गया है। चूंकि पीएफसीसी यूनिट को 2013-14 की तीसरी तिमाही में चालू करने की उम्मीद है इसलिए उसी समय एचसीयू-1 और 2 यूनिटों को वन्स थ्रू मोड में चलाने का कार्य हाथ में लिया जाएगा

इ. विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

(रु. करोड़ में)

	2012- 2013	2011- 2012
विदेशी मुद्रा अर्जन -निर्यात का एफओबी मूल्य	32,180	23,418
विदेशी मुद्रा व्यय	56,137	47,806

अनुबंध – II

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट

1. आर्थिक परिदृश्य

2008-09 के दौरान दुनिया भर में वित्तीय संकट झेलने के बाद लगे झटकों का सिलसिला, 2012-13 में भी जारी रहा। नजीजतन, निवेश का प्रमाण कम हुआ, मांग में मंदी छाई रही और रोजगार की दर में गिरावट की प्रवृत्ति नजर आई। कुल मिलाकर इन वजहों से दुनिया भर में जीडीपी वृद्धि में 2011 के 4% से 2012 में 3% तक गिरावट आई और उभरते एवं विकासशील देशों की वृद्धि दर में 2011 के 6.4% से 2012 में 5.5% तक अवनति हुई।

भारत की अर्थव्यवस्था, इस वैश्विक मंदी और उसके दुष्परिणामों से प्रभावित नहीं हुई। स्फीतिकारक दबाव और निवेश के माहौल में मंदी छाए रहने से देश के जीडीपी में 2011-12 के 6.2% से 2012-13 में 5% तक एकदम गिरावट आई।

यह बेहद चिंता की बात है कि भारतीय रुपए का मूल्य, पिछले तीन सालों से गिरता रहा है जो प्रति डॉलर रु.45 के मुकाबले प्रति रु.60 तक पहुंच गया है। डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य अब तक के निम्नतर स्तर तक पहुंचा जिससे भुगतान संतुलन स्थिति सहित पहले से ही अनगिनत समस्यों से घिरी भारत की अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से डगमगा गई।

हाल में मुद्रास्फीति से हुए फायदे के मुकाबले रुपया मूल्य में लगातार गिरावट के लक्षण ठीक नजर नहीं आ रहे हैं और इससे उभरने के लिए पूंजी प्रवाह की बेहद जरूरत है। रुपया कमजोर पडने से पूंजीगत आयात करना लगभग नामुमकिन सा लगता है जिससे कंपनियां निवेश करने से पीछे हट जाती हैं। इसके अलावा, रफ्तार से बढती रही ईंधन की कीमतें और मुद्रास्फीति की दर से उपभोक्ता मनोभाव कुठित हो जाता है। इसलिए, अनुमान लगाया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को, निकट भविष्य में भी तनाव से गुजरना पडेगा।

2. औद्योगिक परिदृश्य

भारत की कुल परिष्करण क्षमता में 2011 के 187 एमएमटी से 2013 में 215 एमएमटी तक इजाफा हुआ जो 2014 में 240 एमएमटी तक पहुंचने की उम्मीद है।

अधिकतम देशी रिफाइनरियों के जीआरएम, निम्नतर क्रैक स्प्रेड, हल्के/मधुर और भारी/खट्टे क्रूड के विभेदक कमजोर पड़ने और कच्चा तेल की कीमतों में एकदम गिरावट से स्टॉक में अधिक नुकसान होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में परिष्करण के लिए मिलते रहे कम मुनाफे के अनुरूप 2012-13 में मंद रहे। वित्तीय वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही में, अंतर्राष्ट्रीय रिफाइनरियों में अनपेक्षित अस्थाई बहिरंश (आउटेज)के कारण कच्चा तेल और उत्पाद की कीमतों में हुए बढ़त के अनुरूप क्रेक्स में सुधार होने के साथ-साथ जीआरएम में भी सुधार हुआ। " हल्के-मधुर " और " भारी-मधुर " कच्चा तेल के बीच कीमत का अंतर, 2012-13 में ऐतिहासिक स्तर से कम रहा जिससे कॉंप्लेक्स रिफाइनरियों के जीआरएम पर अधोमुखी दबाव पड़ा।

अनुमान लगाया गया है कि दुनिया भर में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति, मांग वृद्धि से अधिक होने की संभावना है। थोडा आगे बढकर विचार करें तो जिस गति से योजनाबद्ध क्षमता में वृद्धि हो रही है जो बदले में पेट्रोलियम उत्पादों की मांग वृद्धि पार करेगी, अंतर्राष्ट्रीय परिष्करण मार्जिन कमजोर होता दिख रहा है। दुनिया भर में परिष्करण मार्जिन घटने और पेट्रोलियम उत्पादों और कच्चा तेल के बीच मामूली आयात-ड्यूटी अंतर की संभावनाओं को देखते हुए देशी रिफाइनरियों के जीआरएम भी, मध्यावधि में कमजोर बने रहने की संभावना है। भारतीय रुपए के मूल्य में अस्थिरता और स्टॉक में मुनाफा/नुकसान तय करने वाली क्रूड की कीमतों से परिचालन परिणामों पर असर पडता रहेगा।

भारत में क्रूड का आयातः

पिछले कुछ वर्षों से, अधिक परिष्करण क्षमताओं के कारण कच्चा तेल के आयात में तेजी नजर आई है। देशी उत्पादन और नए खोज कार्य में अवरुद्धता नजर आने के कारण ऐसी उर्ध्वमुखी प्रवृत्ति जारी रहने की उम्मीद है।

भारत ने 2011-12 के 172 एमएमटी के मुकाबले वर्ष 2012-13 के दौरान 185 एमएमटी क्रूड का आयात किया।

भारत में क्रूड का आयातः

('000 एमएमटी)

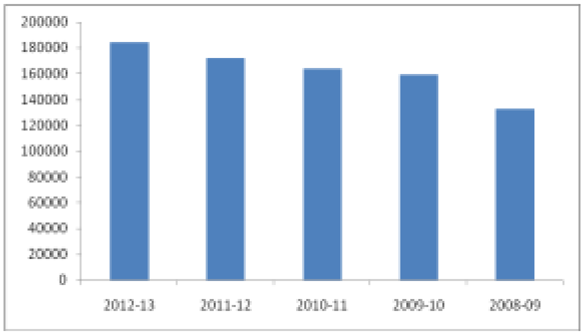

खाड़ी और अफ्रीकी देशों में भौगोलिक-राजनीतिक खलबली के कारण, पिछले कुछ वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें टेढ़ी-मेढ़ी चाल चल रही हैं। ब्रेंट और दुबई कच्चा तेल की औसत कीमत 2010-11 में क्रमशः 87 डॉलर और 84 डॉलर प्रति बैरल रही जो 2011-12 में 30% तक उछली यानी इनमें क्रमशः 115 डॉलर और 110 डॉलर प्रति बैरल तक इजाफा हुआ। 2012-13 के दौरान, तेल की कीमतों में 3-4% तक गिरावट आई जब कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत 110 डॉलर प्रति बैरल और दुबई कच्चा तेल की कीमत 107 डॉलर प्रति बैरल रही। इस समय, ब्रेंट और दुबई कच्चा तेल की कीमतें, क्रमशः 108 डॉलर और 104 डॉलर प्रति बैरल के इर्द-गिर्द मंडरा रही हैं।

2012-13 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उनका उत्पादन स्परूप

('000 एमएमटी)

उत्पाद	खपत		उत्पादन	
	2012-13	**2011-12**	**2012-13**	**2011-12**
एलपीजी	15603	15367	9830	9554
एमएस	15741	14993	30120	27207
नैफ्ता	12283	11188	18851	18707
एटीएफ	5271	5536	10189	10061
एसकेओ	7501	8229	8057	8019
एचएसडी	69164	64753	91090	82929
कुल	125563	120066	168137	156477

हमारे देश में सहायता प्राप्त डीजल मिलने से मोटर स्पिरिट की तुलना में उसकी खपत में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम उत्पादों की खपत के स्परूप में इन परिवर्तनों के चलते, हल्के आसुत की तुलना में मध्य आसुत की मांग बढी है।

2012-13 के दौरान भारत में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत और उनका उत्पादन स्परूप

('000 एमएमटी)

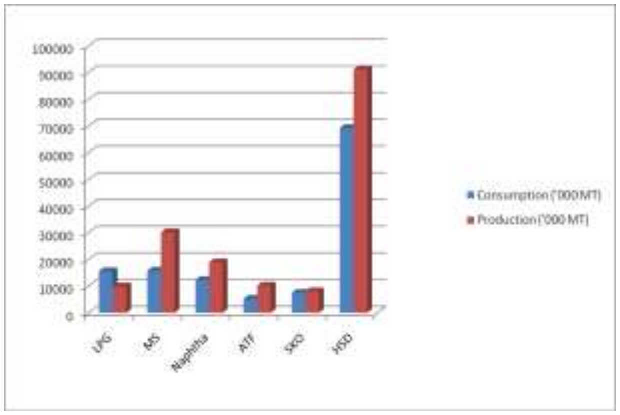

खपत से अधिक उत्पादन होने के कारण, भारत ने पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करना जारी रखा। भारतीय रिफाइनर्स भी, नैफ्ता जैसे नकारात्मक/कम मार्जिन वाले उत्पादों का परिवर्तन करने पर भी पूंजी लगा रहे हैं जिससे कि अधिक मूल्य वाले उत्पादों का अधिक उत्पादन किया जा सके।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के 12.82 एमएमटी की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 14.40 एमएमटी का रिफानरी थ्रूपुट हासिल किया और 15 एमएमटीपीए की बढाई गई क्षमता को देखते हुए 2013-14 के दौरान पूर्ण प्रमाण में थ्रूपुट हासिल होने की संभावना है।

वर्ष 2012-13 के दौरान एमआरपीएल का उत्पादन

उत्पाद	टीएमटी
एलपीजी	281
एमएस	1102
मिश्रित ज़ाइलीन	157
नैफ्ता	1482
एस के ओ	411
एचएसडी	5573
ए टी एफ	1458
वीजीओ	564
एफ ओ	2099
अस्फाल्ट	194
सीआरएमबी	19
गंधक	56
कुल	**13396**

3. अवसर और खतरे

भारतीय परिष्करण उद्योग ने वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख खिलाडी होने के नाते अपनी छाप बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोडी है। रिफाइनरियों में अधिक पूंजी लगाने के कारण भारत एक रिफाइनरी हब के रूप में उभर रहा है और इस समय परिष्करण क्षमता, मांग से अधिक है। पिछले दशक में, परिष्करण क्षेत्र में असदृश्य तरक्की नजर आई। देश की परिष्करण क्षमता में 1998 के मामूली 62 एमएमटीपीए से इस समय 215 एमएमटीपीए तक बढ़त हुई है।

परिष्करण क्षमता, न केवल देशी खपत के लिए पर्याप्त है बल्कि निर्यात करने के लिए भी काफी हद तक बच जाता है। 2001-02 से भारत का पेट्रोलियम उत्पादों का आयात बढ रहा है।

आपकी कंपनी एमआरपीएल की रिफाइनरी का अनोखा "डिज़ाइन" अधिक स्वचालन का संकेत देता है और 24 से 46 एपीआई के साथ विभिन्न प्रकार के क्रूड का प्रसंस्करण करने में अधिक लचीलापन दर्शाता है। एमआरपीएल के पास पहले से ही हाइड्रोक्रैकर का उत्पादन करने वाले 2 प्रीमियम डीज़ल (उच्च ऑक्टेन) और उच्च ऑक्टेन युक्त सीसा रहित पेट्रोल का उत्पादन करने वाले 2 लगातार उत्प्रेरकी रिफॉर्मर यूनिट रही हैं। चरण III यूनिटें चालू करने के साथ, आपकी कंपनी, मूल्य वर्धित उत्पाद बना पाएगी, अधिक टैन युक्त क्रूड सहित विभिन्न प्रकार के क्रूड से अधिक आसुत का उत्पादन कर पाएगी जिससे आपकी कंपनी को प्रतिर्धात्मक धार मिलती है। एसपीएम चालू होते ही, आपकी कंपनी, वीएलसीसी तक अधिक पहुंच हासिल कर पश्चिम अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देशों से क्रूड संभालने का फायदा उठा पाएगी।

भारत सरकार, दो प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों अर्थात्, एचएसडी और एमएस के मामले में, रिफाइनरी अंतरण कीमत के लिए चालू व्यापार समता कीमत निर्धारण (टीपीपी) से निर्यात समता कीमत निर्धारण (ईपीपी) तक मुडने और एलपीजी और एसकेओ के मामले में आयात समता कीमत निर्धारण (आईपीपी) की तरफ मुडने पर विचार कर रही है। एक बार देशी रिफाइनरी अंतरण कीमत के लिए ईपीपी तय हो जाए तो वसूली कम होगी और इससे रिफाइनरी मार्जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

अगर नीति में ऐसा परिवर्तन लागू हो जाए तो आपकी कंपनी का मुनाफा घटेगा और फलस्वरूप, पूंजी लागत और चरण III परियोजना के अन्य खर्च रिकवर करना मुश्किल होगा। सोपानी प्रभाव (कैस्केडिंग एफेक्ट) का आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग पर असर पडेगा जिससे आगे चलकर बाजार से उधार लेने की क्षमता पर असर पडेगा और साथ ही प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण भविष्य में नई परियोजनाएँ हाथ में लेने की आपकी कंपनी का सामर्थ्य पर भी असर पडेगा।

इस समय चल रही करीब रु.15,000 करोड़ की लागत की प्रमुख परियोजना - चरण III का कार्यान्वयन, टीपीपी/आईपीपी के लागत अर्थशास्त्र पर आधारित था। बहरहाल, सरकार के इस रुख से रिफाइनरी प्रचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है।

भारत सरकार ने योजना आयोग के पूर्व सदस्य श्री कृतिक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है जो कीमत निर्धारण संबंधी नीति का अध्ययन कर सिफारिशें सुझाएगी। यह रिपोर्ट जल्द ही मिलने की संभावना है। ओएमसी की वित्तीय स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले ईपीपी की गंभीरता को मद्दे नजर रखते हुए और बाजार के बदलते परिदृश्य को देखते हुए, जिसमें एचएसडी की कीमतें बढने की संभावना है, ईपीपी का कार्यान्वयन असंभव सा लगता है।

4. जोखिम और चिंताएं

आपकी कंपनी, अधिक परिवर्तनशील एवं जोखिम भरे व्यावसायिक माहौल में काम करती है: भौगोलिक-राजनीतिक स्थिति के बढ़ते प्रभाव, बढते रहे वैश्वीकरण, तीव्र प्रतिस्पर्धा और अधिक जटिल प्रौद्योगिकियों के चलते आपकी कंपनी, इन जोखिमों और चिंताओं

के बारे में यथा शक्य अपनी व्यावसायिक योजनाओं में जिक्र करती है। आगे, रिफाइनरियों को, क्रूड की आपूर्ति में विघ्न पडने और कीमत की अस्थिरता के जोखिमों का सामना करना पडता है।

तिस पर भी, अनपेक्षित ढंग से और एकाएक चुनौतियाँ सामने खडी हो जाती हैं। ईरान पर संयुक्त राष्ट्र/अमेरिका/यूई की पांबदी और भुगतान, कार्गो के लिए बीमा कराने, जहाजों के लिए बीमा कराने के सिलसिले में झगडा छिडने के कारण और ईरान की तरफ यात्रा करने वाले जहाज उपलब्ध न होने कारण, ईरान से कच्चा तेल लाना लगभग असंभव हो गया। फलस्वरूप, आपकी कंपनी, वर्ष 2012-13 के लिए एनआईओसी, ईरान के साथ अपने मुद्दती ठेके के मुताबिक पूर्ण प्रमाण में कच्चा तेल का आयात करने में असमर्थ रही।

लेकिन आपकी कंपनी ने, क्रूड खरीदारी बैस्केट का दायरा बढाते हुए और हाजिरी क्रूड की अधिक खरीदारी करते हुए खरीदारी के स्रोतों का विविधीकरण कर जोखिम मिटाने की कोशिश की। आपकी कंपनी के ईरान के साथ प्रारंभ में सिर्फ मुद्दती ठेके थे। इस समय क्रूड की खरीदारी इन देशों से की जा रही है जैसे सऊदी अरैम्को (नैशनल ऑयल कंपनी ऑफ किंगडम् ऑफ सऊदी अरेबिया), एडीएनओसी (नैशनल ऑयल कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी) और कूवैत पेट्रोलियम कार्पोरेशन, नाइजीरिया/अंगोला/मिस्र आदि। ओएनजीसी समूह कंपनियों से बाँबे हाई क्रूड की खरीदारी एकदम नजदीक से की जा रही है। 2013-14 की पहली तिमाही में ईरान से कच्चा तेल का आयात रुकने के बावजूद, आपकी कंपनी, आस्तियों के लिए बीमे की कमी से जुडा जोखिम लेने, बीमा रक्षा न मिलने पर देनदारों का आपकी कंपनी के पास लौटने का जोखिम लेने से संबंधित मामले पर भारत सरकार के रवैए के अनुरूप, अपने फैसले की समीक्षा कर रही है।

क्रूड की कीमत में अस्थिरता का जोखिम काफी हद तक कम करने के लिए आपकी कंपनी, मासिक औसत के आधार पर कच्चा तेल की खरीदारी करती रही है जिससे एक महीने के अंदर दैनिक कीमत में घट-बढ की भरपाई हो पाएगी।

आपकी कंपनी को, विदेशी मुद्रा दर में अधिक अस्थिरता का जोखिम उठाना पडता है। वर्ष के दौरान, रुपए मूल्य में गिरावट अमेरिकी डॉलर के मुकाबले करीब 18% रही। आपकी कंपनी, कच्चा तेल की अपनी करीब 80% आवश्यकता आयात से पूरी करती है। देशी बिक्री में भी, बिक्री की कीमतें, व्यापार/आयात समता पर आधारित होती हैं।

देशी बिक्री में पेट्रोल और डीज़ल जैसे प्रमुख उत्पादों की कीमत, व्यापार समता कीमतों (80% आयात समता कीमत + 20% निर्यात समता सिद्धांत) पर आधारित होती हैं जिसे पूर्ववर्ती पखवाडे की उत्पाद की कीमतों के आधार पर तय किया जाता है। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड कीमत में घट-बढ का बिक्री कीमत पर उस वक्त तक प्रभाव पडता है जब तक उत्पादों की कीमतों में, कच्चा तेल की कीमतों में नजर आए घट-बढ के अनुरूप परिवर्तन हो। इस प्रकार, काफी हद तक प्राकृतिक ढंग से बचाव होता है।

आपकी कंपनी, एचएसडी, एटीएफ और एमएक्स जैसे अपने प्रमुख उत्पादों का औसत मासिक कीमतों के आधार पर टेंडर के तहत निर्यात करती है जिससे आंतर महीने की कीमतों में घट-बढ का जोखिम कम होता है। एफओ और नैफ्ता का निर्यात, वर्ष में समान रूप से फैलाया जाता है जो 5 दिनों के कीमत निर्धारण चक्र पर आधारित होता है।

निर्यात उत्पादों का कीमत निर्धारण करने की यह पद्धति, महीने के दौरान कीमत में घट-बढ की समस्या को सुलझाती है। लेकिन क्रूड और उत्पाद की कीमतों में अचानक घट-बढ होने पर उसका कंपनी के मुनाफे पर काफी असर होगा।

अल्पावधि उधार पर ब्याज दर जोखिम कम करने के लिए, नकदी ऋण अथवा उच्च ब्याज दर पर उधार लेना टाला जाता है। लेकिन, ईरान से कच्चा तेल के आयात रुकने के कारण, अतिरिक्त ऋण अवधि नहीं मिल पाई जिससे अतिरिक्त ब्याज लागत उठाने के अलावा कार्यशील पूंजी उधार पर दबाव पडा। आपकी कंपनी ने, कार्यशील पूंजीगत सुविधाएं पाने के लिए " अधिक ब्याज पर रुपया

" ऋण का निम्नतम उपयोग करने, विदेशी मुद्रा ऋणों और वाणिज्यिक पत्र का इष्टतम उपयोग करने और बाजार की स्थिति को देखकर खरीदारों की ऋण सुविधाएँ लेने की अपनी परिपाटी जारी रखी।

आपकी कंपनी को, चरण III में बिजली संयंत्र चालू करने में विलंब होने का खासा जोखिम भी उठाना पडता है जिसका चरण III यूनिट को समग्र रूप से चालू करने पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। आपकी कंपनी, चरण III परियोजना को यथा शीघ्र पूरा करने के लिए नियमित रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कडी निगरानी रखती है।

5. कूटनीतिक कारोबार की तरफ पहल और भावी दृष्टिकोण

आप जानते हैं कि रिफाइनरी की नेमप्लेट क्षमता, 2011-12 में 3 एमएमटीपीए क्रूड और निर्वात आसवन यूनिट को सफलता से चालू करने के बाद 29/03/2012 को 15 एमएमटीपीए तक बढाई गई। तदनंतर, चरण III विस्तार और उन्नयन परियोजना में 15/07/2013 तक 99% की समग्र प्रगति हासिल की गई है।

चरण III के कैप्टिव पावर प्लांट का क्रूड यूनिट, हाइड्रोजन यूनिट, डीज़ल जलोपचार यूनिट, HRSG-1, GT-1 और GT-2 चालू किया गया है। आपकी कंपनी ने, चरण III परियोजना के अन्य यूनिटों अर्थात्, गंधक रिकवरी यूनिट (एसआरयू), कैप्टिव पावर प्लांट (सीपीपी), डीलेड कोकर यूनिट (डीसीयू), पेट्रो फ्लूइडाइज्ड कैटलिटिक क्रैकिंग यूनिट (पीएफसीसीयू) और कोकर गैस तेल जलोपचारक यूनिट (सीएचटीयू) को नवंबर 2013 तक धीरे-धीरे चालू करने की योजना बनाई है। इन यूनिटों को चालू करने से आपकी कंपनी को कम मूल्य वाले वीजीओ से पॉलीप्रॉपीलीन जैसे मूल्य वर्धित उत्पाद बनाने, यूरो-III, IV और V श्रेणी का हाई स्पीड डीज़ल (एचएसडी)बनाने की सहूलियत मिलेगी जिससे रिफाइनरी का समग्र आसुत उत्पादन, वर्तमान 73% से लगभग 78% से 80% तक बढेगा।

आपकी कंपनी, रु.1804 करोड के निवेश के साथ 440 केटीपीए की क्षमता वाला चरण III विस्तार के साथ एकीकृत पॉलीप्रॉपीलीन (पीपी)संयंत्र स्थापित करने जा रही है जिसे अनुप्रवाह प्रोसेसिंग उद्योग को उपलब्ध कराया जाएगा। देशी बाजार में पीपी मार्केटिंग के लिए एक विस्तृत व्यावसायिक योजना तैयार की जा रही है और महत्वपूर्ण पहलुओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आपकी कंपनी के पीपी के लिए संग्रहण पाइंट, कर्नाटक राज्य के अंदर विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना में 15/07/2013 तक 90% की समग्र प्रगति हासिल हो पाई है।

आपकी कंपनी, बडी मात्रा में क्रूड भरने लायक बडे जहाजों- वीएलसीसी के लिए समुद्र के अंदर 16 किलोमीटर की दूरी पर 30 मीटर की गइराई में बंदरगाह की सीमाओं के अंदर तटवर्ती बूस्टर पंपिंग केंद्र के साथ सिंगल पाइंट मूरिंग (एसपीएम)परियोजना स्थापित करने वाली है जिससे आपकी कंपनी को कच्चा तेल का परिवहन करने पर कम माला भाडा देना पडेगा और साथ ही पश्चिम अफ्रीकी और लातिन अमेरिकी देशों से क्रूड पाने के अवसर का फायदा भी मिलेगा। न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी)में मौजूदा जेटियों में भीड कम होने से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद संभालना संभव होगा। एसपीएम सुविधा के सहारे इंडियन स्ट्रैटजिक पेट्रोलियम लिमिटेड (आईएसपीआरएल) की भूगत कंदराओं में क्रूड को पंप किया जा सकेगा जो 2014-15 तक चालू होने की संभावना है।

सिंगल पाइंट मूरिंग (एसपीएम)परियोजना में 15/07/2013 को समग्र रूप से 98.64% प्रगति हासिल की गई थी। इसका प्रायोगिक परीक्षण, 03/01/2013 को किया गया जिसमें तकनीकी समस्याओं का पता लगाकर समाधान किया गया।

चरण ।।। की तमाम यूनिटों को पूरा कर चालू करने के बाद, उम्मीद की जाती है कि आपकी कंपनी को निष्पादन मापदंडों के मुकाबले चरण ।।। का पूरा फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कंपनी के मार्जिन में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है। इसके अलावा, आपकी कंपनी, कर्नाटक सरकार से प्रवेश कर छूट, बिक्री कर छूट, चरण ।।। पर वैट की छूट पाने की हकदार है। सरकारी आदेश के तहत लाभ पाने के लिए वाणिज्यिक कर अधिसूचना जल्द ही मिलने की संभावना है। इन तमाम फायदों के सहारे, उम्मीद की जाती है कि आपकी कंपनी, एक बार फिर लाभप्रदता के पथ पर चलेगी।

आपको याद होगा कि बेंगलूर में 7 और 8 जुलाई, 2012 को संपन्न वैश्विक निवेशकर्ता सम्मेलन में, आपकी कंपनी ने कर्नाटक सरकार के साथ, लीनियर अल्काइल बेंज़ीन संयंत्र लगाने (अपमार्जक बनाने के लिए ज़रूरी कच्चा माल)और मंगलूर में तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और अपेक्षित संरचना की उपलब्धता के अधीन रु. 8500 करोड के अनुमानित निवेश पर अपनी परिष्करण क्षमता को 21 एमएमटीपीए तक बढाने के लिए, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए।

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

आपकी कंपनी, पर्यावरण का प्रभावशाली ढंग से आंतरिक नियंत्रण करने के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे प्रचालन की दक्षता और आस्तियों की हिफाजत का आश्वासन दिया जा सकेगा। आपकी कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग की देखरेख, लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष, आपकी कंपनी के स्वतंत्र निदेशक हैं। आपकी कंपनी ने सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण तंत्र अपनाया है जिससे लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल को प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण पर्यावरण का आश्वासन दिया जा सकेगा।

इन बातों के अलावा, कंपनी का सतर्कता विभाग, विभिन्न प्रकार की निवारक सतर्कता संबंधी गतिविधियां चलाता है जिसके तहत प्रमुख कार्य आदेशों / क्रय आदेशों का निरीक्षण किया जाता है, विस्तृत परीक्षण किया जाता है और माने गए सिंगल टेंडरों और नामांकन आधार पर टेंडरों की संवीक्षा की जाती है।

7. निष्पादन

वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी ने अब तक का सर्वाधिक 14.4 एमएमटी का क्रूड प्रसंस्कृत किया और 19.04.2012 से लेकर 27.04.2012 तक जल की कमी के कारण रिफाइनरी को शटडाउन करने के बावजूद अब तक का सर्वाधिक रु.68,834 करोड़ का कुल कारोबार हासिल किया गया। वर्ष के दौरान भौतिक निष्पादन अच्छा रहने के बावजूद, कंपनी ने पिछले वर्ष के रु.909 करोड़ के कर उपरांत लाभ के मुकाबले रु.757 करोड़ की कर उपरांत निवल हानि उठाई।

कंपनी को, वर्ष 2012-13 के प्रारंभ में (पहली तिमाही) और वर्ष 2012-13 के अंत में (चौथी तिमाही) क्रूड और उत्पाद, दोनों की कीमतों में असाधारण गिरावट का सामना करना पडा। अत्यधिक रुपया अवमूल्यन से और साथ ही बाजार में उत्पादों के क्रैक्स में गिरावट से स्थिति और बिगड गई। मानसून के आने में देर होने से जल अभाव के कारण शटडाउन करना पडा जिससे कीमतों में तेजी से गिरावट की प्रवृत्ति होने के बावजूद स्टॉक की मात्रा बढने से स्थिति और बिगड गई। इससे भारी मात्रा में स्टॉक के कारण नुकसान उठाना पडा। आपकी कंपनी को, उप-इष्टतम थ्रूपुट पर और कभी-कभार पूर्ण मूल्य रूपांतरण के लिए उपलब्ध अनुकूल

सहायक प्रोसेसिंग यूनिटों के बगैर उच्चतर थ्रूपुट स्तर पर परिचालन अपेक्षाओं के लिए कभी-कभार नए सिरे से चालू किए गए यूनिटों का भी प्रचालन करना पडा। आगे, यूनिटों को अंशतः चालू करने के कारण, मूल्यह्रास और ब्याज लागत से मार्जिन अधिक प्रभावित हुआ। इन सभी कारणों से आपकी कंपनी को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान एक दशक तक लाभप्रदता हासिल करने के बाद हानि उठानी पडी।

लेकिन इस बात पर गौर किया जाए कि उद्योग के परिदृश्य को देखते हुए और हमारे समकक्ष की कंपनियों के निष्पादन परिणामों के साथ तुलना करते हुए बेशक यह कबूल करना पड़ेगा कि वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी का निष्पादन वाकई तारीफ़े काबिल है।

8. मानव संसाधन

31/03/2013 को कुल मिलाकर 1625 कर्मचारी कार्यरत रहे। वर्ष 2012-13 के दौरान आपकी कंपनी का अपने सहयोगियों के साथ संबंध हार्दिक एवं सौजन्यपूर्ण रहा और इसके सबूत के तौर पर, इस दौरान किसी औद्योगिक उपद्रव के कारण एक भी श्रम घंटा गंवाया नहीं गया।

9. सचेतक बयान

प्रबंधन की चर्चा में तथा विश्लेषण एवं निदेशकों की रिपोर्ट में कंपनी के लक्ष्यों, प्रक्षेपणों और आकलन का वर्णन करते हुए दिए गए बयान प्रगतिशील बयान हैं और लागू नियमों और विनियमों के अर्थ के अंदर प्रगतिशील हैं । वास्तविक परिणाम, अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित परिणामों से, आर्थिक दशा, सरकारी नीतियों और अन्य प्रासंगिक कारकों के आधार पर अलग हो सकते हैं । पाठकों को आगाह किया जाता है कि वे प्रगतिशील बयानों पर ज्यादा निर्भर न हों ।

अनुबंध III

भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4)के तहत, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लेखों पर टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी ढांचे के अनुसार 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2)के तहत नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक, उनके पेशेवर निकाय, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा और आश्वासन संबंधी मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 227 के तहत इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं । यह मान लिया गया है कि उन्होंने दिनांक 24.05.2013 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के जरिए ऐसा किया है।

मैं ने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की तरफ से, मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मंगलूर के 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों की कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(3)(बी)के तहत अनुपूरक लेखा परीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य करने के कागजात देखे बगैर की गई है और सांविधिक लेखा परीक्षकों एवं कंपनी के कर्मचारियों और कुछ लेखा मानकों के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसी कोई उल्लेखनीय बात नहीं आई है जिस पर टिप्पणी करना पडे अथवा जो कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 619(4)के तहत सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का समर्थन करे।

कृते और इनकी ओर से
भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक
(एम.वी. राजेश्वरी)
वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक
पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड, चेन्नै

स्थानः चेन्नै
दिनांकः 28.06.2013

संधारणीय विकास में निष्पादन संबंधी रिपोर्ट

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, संधारणीय विकास करने के लिए संभावित मूल्य वर्धित परियोजनाओं और प्रणालियों की खोजबीन कर रहा है। ख़ास तौर से, मूल्य वर्धित परियोजनाओं, ऊर्जा खपत में कमी, नई प्रौद्योगिकियाँ अपनाने और उत्पादन में सुधार करने संबंधी परियोजनाओं पर गौर किया जाएगा।

रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में, अनुमानित 1 एमएमअीपीए कच्चा पेट्रोलियम कोक (पेट्ट कोक) का उत्पादन किया जाएगा। कम मूल्य के पेट्ट कोक से बिजली और हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए, एमआरपीएल, पेट्ट कोक गैसीकरण परियोजना (पेट्ट कोक के लिए वैकल्पिक उपयोग) शुरू करने की संभावनाओं की खोजबीन कर रहा है। मेसर्स ईआईएल ने स्वतंत्र पेट्ट कोक गैसीकरण कॉम्प्लेक्स लगाने की संभावनाओं का व्यवहार्यता पूर्व अध्ययन किया है। बिजली हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए पेट्ट कोक इस्तेमाल करते हुए विभिन्न विकल्पों का अध्ययन किया गया है। परियोजना की लाभप्रदता बढ़ाने की खातिर, रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत दृष्टिकोण की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है।

2012-13 के दौरान इस प्रयोजन के लिए आंतरिक बहु-विषयी लेखा परीक्षा दल के जरिए एमओयू 2012-13 के तहत तय किए गए मापदंडों के अनुसार रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में हर कहीं ऊर्जा लेखा परीक्षा कराई गई। तीन क्षेत्रों में ऊर्जा लेखा परीक्षा कराई गई और लेखा परीक्षा संबंधी सभी लेखा-टिप्पणियों पर गौर करने के बाद उनको बंद किया गया।

- ✓ अप्रैल 2012 के दौरान की गई हाइड्रोकार्बन हानि संबंधी लेखा परीक्षा
- ✓ सितंबर 2012 के दौरान की गई भाप रिसाव संबंधी लेखा परीक्षा
- ✓ नवंबर 2012 के दौरान की गई फर्नेस दक्षता संबंधी लेखा परीक्षा

एमआरपीएल, उत्पादन लागत घटाने के तरिकों की लगातार खोजबीन करता रहा है और इस दिशा में विस्तृत नैफ्ता प्रबंधन अध्ययन किया गया है जिससे कि विभिन्न प्रकार के उच्च कोटि के गैसोलीन (एमएस) के उत्पादन में ऑक्टेन बैरल दक्षता बढाई जा सके। अध्ययन के निष्कर्षों को लागू किया जा रहा है।

चरण III के रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कैप्टिव पावर प्लांट में बिजली उत्पादन की सुविधाएं, प्राकृतिक गैस/अन्य रिफाइनरी धाराओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई हैं। इससे न केवल ऊर्जा खपत में कमी आएगी बल्कि सॉक्स उत्सर्जन भी कम होगा। इसी तरह से, एमआरपीएल, चरण I और चरण II रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स में प्राकृतिक गैस/ अन्य रिफाइनरी धाराओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने पर विचार करते हुए गैस टर्बाइन लगाने की व्यवहार्यता की खोजबीन कर रहा है।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में:
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के सदस्य

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ("दी कंपनी") के संलग्न किए गए वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2013 तक के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण एवं उल्लेखनीय लेखा नीतियों का सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों के प्रति प्रबंधन की जिम्मेदारी

प्रबंधन, कंपनी अधिनियम, 1956 ("दी एक्ट")की धारा 211(3सी)में निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले ये वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में शामिल हैं, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, तथ्यों की गलत बयानी से मुक्त, सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाने वाले वित्तीय विवरण तैयार एवं पेश करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण बनाना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी, लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने तक सीमित है। हमने, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में अपेक्षा की जाती है कि हम, नैतिक अपेक्षाएँ पूरी करें और योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें जिससे कि वित्तीय विवरणों के बारे में उचित ऐसा आश्वासन मिल सके कि उनमें महत्वपूर्ण पहलू के बारे में कोई गलत बयान नहीं दिया गया है।

लेखा परीक्षा में शामिल है, वित्तीय विवरणों में रकम और प्रकटन के बारे में सबूत पाने के इरादे से क्रियाविधियों का प्रयोग करना। चुनी गईं क्रियाविधियाँ, चाहे धोखाधड़ी के कारण हो या गलती के कारण, वित्तीय विवरणों में तथ्यों की गलती बयानी के जोखिमों का निर्धारण करने सहित लेखा परीक्षक के फ़ैसले पर निर्भर होंगी। जोखिम संबंधी ऐसे निर्धारण करते समय, लेखा परीक्षक, कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार कर निष्पक्ष रूप से पेश करने में कंपनी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर विचार करते हैं जिससे कि लेखा परीक्षा संबंधी क्रियाविधियाँ, परिस्थितियों के अनुरूप हों। लेखा परीक्षा में यह भी शामिल हैं जैसे; प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए उल्लेखनीय आकलन का निर्धारण करना तथा समग्र वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना।

हमें विश्वास है कि हासिल की गई लेखा परीक्षा संबंधी सबूत, हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

राय

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणों में, अधिनियम में अपेक्षित तरीके से जानकारी दी गई है जो भारत में आम तौर पर अपनाए गए लेखा सिद्धांतों के अनुरूप सही एवं निष्पक्ष चित्र दर्शाती है।

क) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2013 को कंपनी के कामकाज की स्थिति;

ख) लाभ-हानि विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष की हानि; और

ग) नकदी प्रवाह विवरण के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 227 (4ए) के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 ('' दी ऑर्डर '') की अपेक्षा के अनुसार हमने अनुबंध में आदेश के परिच्छेद 4 और 5 में निर्दिष्ट मामलों पर विवरण दिया है।
2. अधिनियम की धारा 227(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि

   क) हमने ऐसी तमाम जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए ज़रूरी थे।

   ख) हमारी राय में, जहां तक इन बहियों का परीक्षण करने से हमें नज़र आता है, कंपनी ने, कानून की अपेक्षा के मुताबिक उचित लेखा बहियाँ रखी हैं।

   ग) इस रिपोर्ट में शामिल किए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, रखी गई लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, इस रिपोर्ट में शामिल किए गए, तुलन-पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी अधिनियम, 1956 की उप-धारा (3सी) में निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।

   ङ) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उप-धारा (1) के खंड (जी) का प्रावधान, कंपनी कार्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना सं. जीएसआर 829(ई), दिनांक 21 अक्तूबर, 2003 के अनुसार लागू नहीं होता है।

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार कं
फर्म की पंजीकरण सं. :001931S

सीए. एन.आर.सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 021661
स्थानः मुंबई
दिनांकः 24 मई 2013

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960ड

सीए. एस. सुंदर
साझेदार
सदस्यता सं. 202725

" अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं " के शीर्षक के अधीन हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के परिच्छेद 1 में निर्दिष्ट बातें

(i) (क) कंपनी ने अचल आस्तियों के परिमाणात्मक ब्यौरे और स्थान सहित संपूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रेकॉर्ड रखे हैं ।

(ख) प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान तमाम आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। लेकिन नियमित रूप से सत्यापन करने का एक ऐसा कार्यक्रम रखा गया है जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी आस्तियों के स्वरूप को देखते हुए उचित लगता है। ऐसा सत्यापन करने पर कोई ख़ास विसंगतियां नज़र नहीं आई।

(ग) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अचल आस्तियों का पर्याप्त हिस्सा नहीं निपटाया है और कंपनी की चालू समुत्थान की अवधारणा इससे प्रभावित नहीं हुई है।

(ii) (क) हमें बताया गया है कि प्रबंधन ने, वर्ष के दौरान भंडार और अतिरिक्त पुर्जों की सूची का शाश्वत स्टॉक निकालने के कार्यक्रम के अनुसार लगातार प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। अन्य मदों के स्टॉक का वर्षांत में प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया जिसकी बारंबारता, हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसके कारोबार के स्वरूप को देखते हुए उचित लगती है।

ख) हमारी राय में और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन करने की प्रबंधन द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि, कंपनी के आकार और उसके कारोबार स्वरूप को देखते हुए यथोचित और पर्याप्त लगती है।

(ग) कंपनी ने, स्टॉक का उचित रेकॉर्ड रखा है। प्रत्यक्ष स्टॉक और बही अभिलेखों के बीच प्रबंधन को सत्यापन के दौरान नज़र आई, महत्वपूर्ण न समझी गई विसंगतियों को कंपनी की लेखा बहियों में ठीक तरह से लेखाबद्ध किया गया है।

(iii) (क) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों को चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, कोई भी ऋण नहीं दिया है।

(ख) कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के तहत रखे गए रजिस्टर में दर्ज की गई कंपनियों, फर्मों अथवा अन्य पक्षकारों से चाहे जमानती हो या गैर-जमानती, कोई भी ऋण नहीं लिया है। और फलस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के परिच्छेद 4 के खंड (iii) (च) और (iii) (छ) की रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएँ लागू नहीं होती हैं।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आंतरिक नियंत्रण क्रियाविधियां पर्याप्त हैं एवं स्टॉक और अचल आस्तियां खरीदने और वस्तुओं को बेचने के लिहाज से कंपनी के आकार एवं उसके कारोबार स्वरूप के अनुरूप हैं. लेखा परीक्षा के दौरान हमने कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों में कोई बड़ी कमजोरियां दोहराई जाती हुई नहीं पाई।

v) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 का अनुसरण करते हुए रखे जाने वाले रजिस्टर में ठेका संबंधी व्यवस्था को दर्ज करने की जरूरत नहीं है।

(ख) तदनुसार, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2003 के परिच्छेद 4 के खंड (V) (ख)के अनुसार रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(vi) हमें दिए गए विवरणों और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक से कोई जमाराशि स्वीकार नहीं की, इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेश और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58ए, 58एए के प्रावधान अथवा कोई अन्य संबंधित प्रावधान और उसके अधीन बनाए गए नियम लागू नहीं होते हैं।

(VII) हमारी राय में, कंपनी ने ऐसी आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली अपनाई है जो उसके आकार और उसके कारोबार स्वरूप के अनुरूप है।

VIII. लागत संबंधी रेकॉर्ड रखने के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(1) (डी) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कंपनी (लागत लेखा रेकॉर्ड) नियम, 2011 का अनुसरण करते हुए हमने कंपनी द्वारा रखे गए लागत संबंधी रेकॉर्डों की स्थूल रूप से समीक्षा की है और हमारी राय में, प्रथम दृष्टि में, निर्धारित खाते और रेकॉर्ड बनाकर रखे गए हैं ।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार एवं कंपनी के रेकॉर्डों के मुताबिक, कंपनी, वर्ष के दौरान उचित प्राधिकरणों के पास, भविष्य निधि, निवेशकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, धन कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, और अन्य सांविधिक देयताओं सहित विवाद रहित सांविधिक देयताएं आम तौर पर नियमित रूप से जमा कराती रही है। महत्वपूर्ण किस्म की विवाद रहित कोई भी सांविधिक देयता, देय होने की तारीख से 6 महीने से अधिक बाकी नहीं रही ।

ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रेकॉर्डों के हमारे सत्यापन के अनुसार, उचित प्राधिकरणों के पास न जमा कराई गई विवादित कर राशि यथा 31 मार्च 2013 इस प्रकार हैः

अधिनियम का नाम	देय राशि का स्वरूप	कुल रकम (रु.दशलक्ष)	रकम, किस अवधि से संबंधित है (वित्तीय वर्ष)	किस मंच पर विवाद लंबित है
दी कर्नाटक सेल्स टैक्स एक्ट, 1957/ सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956	केंद्रीय बिक्री कर – दंड	4.53	2009-10	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	केंद्रीय बिक्री कर – ब्याज	18.33	2009-10	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.43	2006-07	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.13	2009-10	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
	मूल्य वर्धित कर – ब्याज	0.67	2010-11	अपील प्राधिकरण – मंगलूर
आय कर अधिनियम,1961	आय कर / ब्याज / दंड	122.48	लेव 2006-07	आय कर अपील अधिकरण – मुंबई
	आय कर / ब्याज / दंड	794.13	लेव 2009-10	आय कर आयुक्त (अपील) – मुंबई
सीमा–शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क / ब्याज /दंड	132.24	1999-2008	भारत का सर्वोच्च न्यायालय
		627.38	1997-2000	सीईएसटीएटी – बेंगलूर
		3.24	2005-08	आयुक्त (अपील) – मंगलूर
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर / दंड	66.66	2000-01 to 2012-13	आयुक्त (अपील) – मंगलूर
		169.85	1996-97 to 2012-13	सीईएसटीएटी – बेंगलूर
		0.38	2002-03 to 2011-12	संयुक्त सचिव, एमओएफ
		25.60	1999-2000	आयुक्त (अपील)– मंगलूर
	कुल	**1966.05**		

x) 31 मार्च 2013 को कंपनी की कोई संचित हानि नहीं रही। कंपनी ने वर्ष के दौरान और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान कोई नकद हानि नहीं उठाई है।

(xi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रेकॉर्डों के हमारी ओर से किए गए सत्यापन के अनुसार, कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को देय रकम चुकाने में कोई चूक नहीं की है।

(XII) कंपनी ने, शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है।

(XIII) चूंकि कंपनी, चिट फंड/निधि/म्यूचुअल फंड/सोसाइटी नहीं है, इसलिए रिपोर्ट करने संबंधी अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(xiv) कंपनी ने वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड निवेश में व्यवहार किया। लेन-देनों और ठेकों के बारे में उचित रेकॉर्ड रखे गए हैं और वक्त पर प्रविष्टियां पारित की गई हैं। कंपनी ने उक्त निवेश अपने ही नाम से किए हैं।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण एवं कंपनी के रेकॉर्डों के हमारी ओर से किए गए सत्यापन के अनुसार, न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कंपनी द्वारा दी गई गारंटी, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं है। इस गारंटी को छोड़कर, कंपनी ने दूसरों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों के लिए कोई गारंटी नहीं दी है।

(xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान नए सावधि ऋण लिए हैं और जिस मकसद के लिए ऋणों का आवेदन किया गया था उसी प्रयोजन के लिए इनका उपयोग किया गया सिवाए रु.2078.80 दशलक्ष, जिसे वर्ष के अंत में लेकर बैंक की जमाराशियों में रखा गया।

(xvii) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों का समग्र परीक्षण करने के बाद हम यह रिपोर्ट करते हैं कि अल्पावधि आधार पर ली गई निधि का दीर्घावधि निवेश के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(xviii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों का अधिमान्य आबंटन नहीं किया।

(xix) वर्ष के अंत में कंपनी के कोई बकाया डिबेंचर नहीं रहे।

(xx) कंपनी ने वर्ष के दौरान सार्वजनिक निर्गम से कोई धनराशि नहीं जुटाई।

(xxi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी में या कंपनी द्वारा धोखाधडी होने की कोई घटना नजर नहीं आई न ही रिपोर्ट की गई।

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं. :001931S

सीए एन.आर. सुरेश

साझेदार

सदस्यता सं. 021661

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन

सनदी लेखाकार

फर्म की पंजीकरण सं. :000960S

सीए एस. सुदंर

साझेदार

सदस्यता सं. 202725

स्थानः मुंबई

दिनांकः 24 मई, 2013

31 मार्च, 2013 तक का तुलन पत्र

(रु. दशलक्ष में)

			टिप्पणी सं.	यथा 31 मार्च 2013	यथा 31 मार्च 2012
I.	इक्विटी और देयताएं				
1	शेयरधारकों की निधि				
	(क)	शेयर पूंजी	2	17,526.64	17,572.57
	(ख)	आरक्षित निधि और अधिशेष	3	47,150.26	54,719.37
2	गैर-चालू देयताएं				
	(क)	दीर्घावधि उधार	4	57,807.91	38,919.12
	(ख)	आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	5	7,343.28	4,531.40
	(ग)	अन्य दीर्घावधि सावधि देयताएँ	6	0.31	20.29
	(घ)	दीर्घावधि प्रावधान	7	451.43	543.22
3	चालू देयताएँ				
	(क)	अल्पावधि उधार	8	11,990.03	18,597.93
	(ख)	व्यापार देयताएं	9	109,607.64	111,046.60
	(ग)	अन्य चालू देयताएँ	10	14,130.92	12,816.65
	(घ)	अल्पावधि प्रावधान	11	1,003.76	2,778.52
		कुल		267,012.18	261,545.67
II.		आस्तियां			
		गैर चालू आस्तियां			
1	(क)	अचल आस्तियां	12		
	(i)	गोचर आस्तियां		57,768.52	40,442.95
	(ii)	अगोचर आस्तियाँ		37.80	73.39
	(iii)	प्रगति पर पूंजीगत कार्य		75,544.81	70,891.74
	(ख)	गैर-चालू निवेश	13	150.02	150.02
	(ग)	दीर्घावधि ऋण व अग्रिम	14	4,699.21	7,909.22
	(घ)	अन्य गैर चालू आस्तियां	15	974.35	1,022.32
2	चालू आस्तियां				
	(क)	चालू निवेश	16	-	272.78
	(ख)	स्टॉक	17	67,152.61	78,175.76
	(ग)	प्राप्य व्यापारी राशियाँ	18	39,726.97	34,592.66
	(घ)	नकदी और बैंक शेष	19	16,058.55	22,347.16
	(ङ)	अल्पावधि ऋण व अग्रिम	20	4,748.88	5,367.25
	(च)	अन्य चालू आस्तियां	21	150.46	300.42
		कुल		267,012.18	261,545.67
उल्लेखनीय लेखा नीतियां			1		
अन्य प्रकटन			31		

अन्य वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 001931S

सीए एन आर सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 021661

मुंबई 24 मई, 2013

मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

सीए एस. सुंदर
साझेदार
सदस्यता सं. 202725

सुधीर वासुदेव
अध्यक्ष

पी.पी. उपाध्या
प्रबंध निदेशक

विष्णु अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

बी. सुकुमार
कंपनी सचिव

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा विवरण

(रु. दशलक्ष में)

		देखें टिप्पणी सं	समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
I.	परिचालन से राजस्व	22	688,382.63	572,136.88
	घटाएँ: उत्पाद शुल्क		31,420.45	34,434.12
	परिचालन से निवल राजस्व		656,962.18	537,702.76
II.	अन्य आय	23	1,113.34	3,473.76
III.	**कुल राजस्व (I + II)**		**658,075.52**	**541,176.52**
IV.	व्यय:			
	खपाई गई सामग्री की लागत (देखें टिप्पणी 31.15)		654,001.82	512,367.50
	स्टॉक में वृद्धि (-)/ (अवनति)	24	-11,161.53	-1,502.05
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	25	1,845.60	1,608.83
	वित्त लागत	26	3,285.53	2,066.77
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	27	6,044.10	4,338.73
	अन्य व्यय	28	9,273.00	9,094.71
	कुल व्यय		**663,288.52**	**527,974.49**
V.	**अपवादात्मक और असाधारण मदों से और कर पूर्व लाभ (III-IV)**		**-5,213.00**	**13,202.03**
VI.	अपवादात्मक मद	29	-444.54	-
VII.	**असाधारण मद और कर पूर्व लाभ(V - VI)**		**4,768.46**	**13,202.03**
VIII.	असाधारण मद		-	-
IX.	**कर पूर्व लाभ (VII- VIII)**		**-4,768.46**	**13,202.03**
X	कर संबंधी व्यय:			
	(1) वर्तमान कर		-	3,042.27
	(2) पिछले वर्ष का कर समायोजन		-11.23	14.23
	(3) आस्थगित कर		2,811.88	1,059.75
XI	**वर्ष का लाभ(हानि)(IX - X)**		**-7,569.11**	**9,085.78**
XII	प्रति इक्विटी शेअर अर्जन:	30		
	(1) मूल		-4.32	5.18
	(2) आंशिक		-	4.94
उल्लेखनीय लेखा नीतियां		1		
अन्य प्रकटन		31		

अन्य वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां देखें

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 001931S

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

सुधीर वासुदेव
अध्यक्ष

पी.पी. उपाध्या
प्रबंध निदेशक

सीए एन आर सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 021661

सीए एस.सुंदर
साझेदार
सदस्यता सं. 202725

विष्णु अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

बी. सुकुमार
कंपनी सचिव

मुंबई 24 मई, 2013

31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण

(रु. दशलक्ष में)

			समाप्त वर्ष 31.03.2013	समाप्त वर्ष 31.03.2012
क	**परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह :**			
	कर पूर्व लाभ		-4,768.46	13,202.03
	इनके लिए समायोजन :			
	- मूल्यह्रास / परिशोधन		6,044.10	4,393.80
	- अचल आस्तियों की बिक्री से हानि / (लाभ)		27.84	12.66
	- प्रतिलेखित प्रावधान		156.43	61.10
	- संदिग्ध कर्ज/अग्रिमों/जमाराशियों और बट्टे खाते डालने के लिए प्रावधान		92.42	-
	- अचल स्टॉक / स्टॉक हानि के लिए प्रावधान		-	1.68
	- विदेशी मुद्रा रूपांतरण और लेन-देन - निवल		373.69	1,687.02
	- ब्याज खर्च		3,285.53	2,066.77
	- ब्याज / लाभांश आय		-905.57	-3,291.41
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन होने से पहले परिचालन लाभ		**3,993.12**	**18,011.45**
	इनके लिए समायोजन :			
	- व्यापार और अन्य प्राप्य रकम		-1,380.87	6,848.58
	- स्टॉक		11,023.15	-37,203.60
	- देय व्यापार और उसके लिए प्रावधान		-2,589.88	19,467.48
	परिचालन से उत्पन्न नकद		11,045.52	7,123.91
	- प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (निवल धनवापसी)		-1,093.43	-4,335.25
	पूर्व अवधि वाली मदों से पहले नक्दी प्रवाह		9,952.09	2,788.66
	- पूर्व अवधि वाली मद (नकदी मद)		-53.87	-33.25
	परिचालन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(क)	**9,898.22**	**2,755.41**
ख	**निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	अचल आस्तियों की खरीदारी		-24,429.98	-41,922.03
	अचल आस्तियों की बिक्री		32.11	14.06
	प्राप्त ब्याज / लाभांश आय		1,047.24	3,336.11
	ब्याज आय पर प्रदत्त कर		-92.45	-292.65
	निवेश (निवल)		272.79	-
	निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह	(ख)	**-23,170.29**	**-38,864.51**
ग	**वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह**			
	शेयर पूंजी के निर्गम से प्राप्तियां		-45.93	-45.93
	दीर्घावधि उधार से प्राप्तियां		18,919.54	28,236.33
	अल्पावधि उधार से प्राप्तियां		-6,616.20	17,831.77
	प्रदत्त ब्याज और वित्त प्रभार		-3,238.59	-1,996.77

प्रदत्त लाभांश और लाभांश कर		-2,036.92	-2,444.31
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह :	**(ग)**	**6,981.90**	**41,581.09**
नकद और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (गिरावट)	**(क+ख+ग)**	**-6,290.17**	**5,471.99**
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकदी समतुल्य		**22,170.09**	**16,698.10**
वर्ष के अंत में नकद और नकदी समतुल्य		**15,879.92**	**22,170.09**
		-6,290.17	**5,471.99**

1 नकद और नकदी समतुल्य

अग्रदाय सहित नकदी शेषराशि	**0.73**	0.78
अनुसूचित बैंकों ** के पास बैंक शेषराशि	**15,879.19**	22,169.31
	15,879.92	22,170.09

** बैंकों / सरकारी प्राधिकरण के पास धारणाधिकार, गिरवी के अधीन ब्याज वारंट / धनवापसी खातों के चालू खाते / जमा खाते में उपलब्ध रु.178.63 दशलक्ष को छोड़कर (पिछले वर्ष रु.177.07 दशलक्ष)

2 2) पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं ज़रूरी हो पुनर्वर्गीकृत/पुनव्यवस्थित किया गया है ।

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार

मंडल के लिए और उनकी ओर से

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 001931S

सीए एन आर सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 021661

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

सीए एस. सुंदर
साझेदार
सदस्यता सं. 202725

सुधीर वासुदेव
अध्यक्ष

पी.पी. उपाध्या
प्रबंध निदेशक

विष्णु अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

बी. सुकुमार
कंपनी सचिव

मुंबई 24 मई, 2013

टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. लेखा परिपाटी और प्रस्तुतीकरण/लेखाकरण का आधार

1.1. वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी के तहत, आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी), कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों और कंपनी (लेखा मानक)नियम, 2006 के तहत जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

1.2. ऐसे तमाम आय और उचित निश्चितता के साथ प्राप्य/देय समझी जाने वाली समस्त आय और खर्च को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

2. आकलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, ऐसे आकलन और ऐसी परिकल्पनाएं करनी पड़ेंगी जो वित्तीय विवरणों की तारीख को रिपोर्ट की गई आस्तियों और देयताओं की रकम को और रिपोर्ट अवधि के दौरान राजस्व और खर्च संबंधी दर्शाई गई रकम को प्रभावित करें। वास्तविक परिणामों और आकलन के बीच का अंतर, उस अवधि में जाना जा सकेगा जिसमें परिणाम ज्ञात हों/प्रकट हों।

3. नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह विवरण, कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2006 के तहत जारी तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा यथापेक्षित लेखा मानक -3 में निर्धारित परोक्ष पद्धति के अनुसार तैयार किया गया है।

4. अचल आस्तियां

4.1. भूमि को, जहां कहीं लागू हो, परिशोधन को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

4.2. अन्य अचल आस्तियों को, संचित मूल्यह्रास / परिशोधन और हानि को घटाने के बाद ऐतिहासिक लागत पर दर्शाया जाता है।

4.3. संयंत्र अथवा उपकरणों के साथ प्राप्त और निर्दिष्ट मशीनों की ख़ातिर बाद में खरीदे गए और अनियमित उपयोग वाले अतिरिक्त पुरजों का पूंजीकरण किया जाता है।

4.4. निर्माण की अवधि के दौरान, प्रत्यक्ष रूप से पहचानने लायक खर्च को पहली बार पूंजीकृत किया जाता है और सभी अन्य आबंटनीय खर्च को आस्तियों के मूल्य के आधार पर यथानुपात पूंजीकृत किया जाता है।

4.5. इस प्रयोजन के लिए लागत में शामिल हैं, क्रय कीमतें, शुल्क(केंद्रीय निवल कर जमा), कर, प्रासंगिक खर्च, स्थापना/चालू करने संबंधी खर्च, तकनीकी जानकारी शुल्क, पेशेवर शुल्क और जिस तारीख तक आस्ति का उपयोग किया गया हो उस तारीख तक ब्याज आदि और अवक्षय आस्तियों आदि की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी संबंधी मौद्रिक मदों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा दर में अंतर।

5. हानि

जहां कहीं रखाव-लागत, उच्चतर निवल वसूलने योग्य रकम होने के नाते वसूलने योग्य रकम और उपयोग में लाए गए मूल्य से अधिक हो, नकद उत्पन्न करने वाली इकाइयों/आस्तियों को हुई हानि का पता लगाकर उस पर विचार किया जाता है ।

6. मूल्यह्रास/परिशोधन

6.1. अचल आस्तियों (पट्टे पर ली गई आस्तियों सहित) पर मूल्यह्रास, सीधी रेखा पद्धति के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट तरीके से किया जाता है।

6.2. पट्टेवाली भूमि की लागत का परिशोधन पट्टा अवधि में किया जाता है। ऐसी पट्टेवाली भूमि की लागत का, जहां पट्टा अवधि समाप्त होने पर कंपनी के स्वामित्व का अंतरण आखिरकार निश्चित हो, परिशोधन नहीं किया जाता है।

6.3. विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के निमित्त पूंजीकृत रकम पर मूल्यह्रास के लिए आस्तियों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से प्रावधान किया जाता है ।

6.4. नियमित रूप से इस्तेमाल न किए जाने वाले और निर्दिष्ट मशीनें स्थापित किए जाने के बाद खरीदे गए अतिरिक्त पुरज़ों पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, निर्दिष्ट मशीनों की शेष अवधि पर भविष्यलक्षी प्रभाव से किया जाता है और अतिरिक्त पुरज़े का अवलेखित मूल्य, जब कभी बदला जाए, लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

7. अमूर्त आस्तियाँ

भावी आर्थिक लाभ में परिलक्षित होने वाली अमूर्त आस्तियों पर उठाई गई लागत का अमूर्त आस्तियों के रूप में पूंजीकरण किया जाता है और इन आस्तियों का, अनुमानित उपयोगी अवधि में, समीकरण आधार पर परिशोधन किया जाता है।

8. निवेश

8.1. दीर्घावधि निवेश का लागत पर मूल्यांकन किया जाता है। खातों में अस्थाई अवनति को छोड़कर किसी दूसरी तरह की अवनति के लिए प्रावधान किया जाता है।

8.2. चालू निवेश का मूल्यांकन, निम्नतर लागत पर और उचित मूल्य पर किया जाता है।

9. स्टॉक

स्टॉक का मूल्यांकन निम्नतर लागत पर और निवल वसूलने योग्य मूल्य पर किया जाता है। स्टाक की लागत में, स्टॉक को उसके वर्तमान स्थान पर और मौजूदा हालत में लाने के लिए उठाई गई क्रय लागत और अन्य लागत, स्टॉक की लागत में शामिल हैं। लागत का निर्धारण इस तरह किया गया है:

9.1. कच्चा माल-प्रथम आवक प्रथम जावक मूल्यन विधि (फिफो)के आधार पर

9.2. तैयार माल-कच्चा माल, परिवर्तन लागत और उत्पाद शुल्क पर

9.3. प्रक्रियागत स्टॉक-कच्चा माल और यथानुपात परिवर्तन लागत पर

9.4. भंडार, अतिरिक्त पुरज़े और अन्य व्यापारी माल-भारित औसत लागत आधार पर

10. राजस्व की गणना

10.1. ग्राहक की अभिरक्षा में अंतरण होने पर बिक्री दर्शाई जाती है और इसमें शामिल हैं मूल्य संवर्धित कर (वैट) को छोड़कर सभी सांविधिक उगाही और निवल बट्टा।

10.2. लाभांश प्राप्त होने का अधिकार सिद्ध होने पर लाभांश आय को मान्यता दी जाती है।

10.3. ब्याज आय को समय अनुपात आधार पर दर्शाया जाता है।

10.4. स्क्रैप की बिक्री से प्राप्त राजस्व को, ग्राहकों के हवाले करने पर मान्यता दी जाती है।

10.5. ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से निर्णीत हर्जाने के संबंध में राजस्व को तभी मान्यता दी जाती है जब यह तय हो गया हो कि उसे देना नहीं पडेगा।

10.6. ग्राहकों से की गई उत्पाद शुल्क की वसूली, कुल कारोबार (कुल) से घटाई जाती है । उत्पाद शुल्क देने लायक वस्तुओं के अंतिम और प्रारंभिक स्टॉक के बीच का उत्पाद शुल्क, अन्य व्यय के अधीन जोडा जाता है।

11. दावे

11.1. पेट्रोलियम आयोजना और विश्लेषण कक्ष, भारत सरकार, पर किए गए दावों/के प्रति अभ्यपर्ण को यथा निर्दिष्ट अंतिम समायोजन के अधीन उपलब्ध अनुदेशों/स्पष्टीकरणों के आधार पर उसकी 'सैद्धांतिक स्वीकृति' पर बुक किया जाता है।

11.2. बीमा संबंधी दावे

11.2.1 आस्ति का पूरी तरह से नुकसान होने पर, बीमाकर्ता को सूचित करने के उपरांत, या तो रखाव-लागत को या बीमा मूल्य (काटने लायक अतिरिक्त मूल्य के अधीन) को, जो भी कम हो, बीमा कंपनी से वसूल करने योग्य दावे के रूप में माना जाएगा। अगर बीमा संबंधी दावा आस्ति की रखाव-लागत से कम हो तो अंतर को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाएगा।

11.2.2 अगर नुकसान आंशिक स्वरूप का हो या अन्य किस्म का हो तो, अन्य पक्षकार अथवा अन्य देयताओं को, यदि कोई हो तो, उनकी पूर्ति करने (काटने लायक अतिरिक्त रकम को घटाने के बाद) की दृष्टि से इन आस्तियों को वापस प्रयोग में लाने के लिए किए गए खर्च/भुगतान को बीमा कंपनी से वसूल करने लायक दावे के रूप में लेखाबद्ध किया जाता है। काटने लायक बीमा पॉलिसी आधिक्य को उस तदनुरूपी वर्ष में खर्च किया जाएगा जिसमें उसे उठाया गया हो।

11.2.3 जब कभी दावे बीमा कंपनी से अंतिम रूप में प्राप्त हों, बीमा से प्राप्य दावे और प्राप्त दावे के बीच कोई अंतर हो तो उसका समायोजन लाभ-हानि लेखा में किया जाता है।

11.3. सभी अन्य दावों और प्रावधानों को प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर बुक किया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन

12.1. विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन-देन की तारीख को विद्यमान विनिमय दर पर लेखाबद्ध किया जाता है।

12.2. मौद्रिक मदों की विदेशी मुद्रा आस्तियों/देयताओं को रिपोर्ट तारीख को विद्यमान विनिमय दर के आधार पर रूपांतरित किया जाता है।

12.3. रिपोर्ट तारीख को विदेशी मुद्रा लेन-देन का रूपांतरण करने पर पाए गए विनिमय अंतर को आय या व्यय के रूप में मानते हुए लाभ-हानि लेखा में समायोजित किया जाता है जब कि इसके लिए अपवाद है, अवक्षयी पूंजीगत आस्तियों की खरीदारी से संबंधित दीर्घावधि विदेशी मुद्रा संबंधी मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने पर उत्पन्न ऐसा विनिमय अंतर जिसे आस्तियों की लागत में जोडा जाता है/या लागत से घटाया जाता है।

12.4. मौजूदा ठेके के प्रति भावी निर्यात बिक्री के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में होने वाले परिवर्तन के जोखिम से बचने के लिए तय किए गए असमाप्त वायदा ठेकों के संबंध में बेचने के लिए अंकित हानि (निवल) को लाभ-हानि लेखा में दर्शाया जाता है।

13. कर्मचारियों के लाभ

13.1. कर्मचारियों को मिलने वाले सभी अल्पावधि लाभ को उनकी बट्टा रहित रकम पर, उस लेखा अवधि में जिसमें उसे दिया गया हो, दर्शाया जाता है। भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि सहित परिभाषित अंशदान योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को, योजना के प्रति कंपनी के बट्टा रहित दायित्व के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। इनका भुगतान, क्रमश: भविष्य निधि प्राधिकरणों और भारतीय जीवन बीमा निगम को किया जाता है और इनको वर्ष के दौरान खर्च के अधीन दर्शाया जाता है।

13.2. उपदान, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घावधि सेवा चिह्न, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ सहित परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत कर्मचारियों के लाभ को परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर, जिसका परिकलन प्रक्षेपित इकाई जमा पद्धति का उपयोग करते हुए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है, लेखाबद्ध किया जाता है। उपदान के संबंध में संबंधित योजना आस्तियों से अधिक वास्तविक देयता को वर्ष के दौरान लेखाबद्ध किया जाता है।

13.3. वास्तविक अभिलाभ और हानि को लाभ-हानि लेखा में आय या खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

13.4. अनर्जित अवकाश के निमित्त अल्पावधि देयता की बट्टा रहित रकम का वर्षांत में निर्धारण कर उसके लिए प्रावधान किया जाता है।

13.5. वास्तविक मूल्यांकन के अनुसार उपदान के लिए प्रावधान की निधि, एक अलग न्यास में रखी जाती है।

14. पट्टे

14.1. वित्तीय पट्टे के संबंध में पट्टा किराए को, प्रतिफल की स्पष्ट दर लगाते हुए आस्तियों की लागत और ब्याज घटक में पृथक किया जाता है।

14.2. पट्टे पर खरीदी गई आस्तियों का, जहां स्वामित्व के जोखिमों और प्रतिफल का उल्लेखनीय हिस्सा पट्टेदार द्वारा रखा जाता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकरण किया जाता है। पट्टा किराए को उपचय आधार पर लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

15. उधार संबंधी लागत

उधार संबंधी लागत को, जो अर्हक आस्तियों की खरीदारी, निर्माण अथवा उत्पादन के कारण उत्पन्न होती है, इन आस्तियों की लागत के अंश के रूप में पूंजीकृत किया जाता है। अर्हक आस्तियां उनको कहा जाता है जो निर्दिष्ट उपयोग के लिए तैयार होने के लिए काफी समय लेती हैं। उधार संबंधी दूसरी सब प्रकार की लागत को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

16. अनुसंधान और विकास संबंधी खर्च

अनुसंधान और विकास संबंधी पूंजीगत खर्च को, संबंधित अचल आस्तियों के तहत पूंजीकृत किया जाता है। उस पर राजस्व खर्च को लाभ-हानि लेखा में प्रभारित किया जाता है।

17. आय पर देय कर

17.1. चालू कर का निर्धारण, आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिकलित कर योग्य आय के आधार पर किया जाता है।

17.2. आस्थगित कर को, किसी एक अवधि में उत्पन्न होने वाली और बाद में किसी एक अवधि में या उससे अधिक अवधि में प्रतिगामी होने वाली कर योग्य और लेखा बद्ध की जाने वाली आय/खर्च के बीच के समय अंतर के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है। आस्थगित कर संबंधी आस्ति को, यथा लागू उसकी वसूली योग्यता के बारे में वास्तविक/यथोचित निश्चितता के आधार पर दर्शाया जाता है।

17.3. आस्थगित कर आस्तियों की आवर्ती रकम की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को की जाती है।

18. प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

जिन प्रावधानों को नापने के लिए काफी हद तक आकलन का सहारा लिया जाता है, उनको तब दर्शाया जाता है जब गत घटनाओं के कारण वर्तमान बाध्यता उत्पन्न हुई हो और संसाधनों का बाह्य प्रवाह होने की संभावना हो। आकस्मिक देयताओं को, अगर महत्वपूर्ण हो तो टिप्पणियों के जरिए प्रकट किया जाता है। आकस्मिक देयताओं को वित्तीय विवरणों में न लेखाबद्ध किया जाता है न ही प्रकट किया जाता है।

टिप्पणी 2	शेयर पूँजी				
2.1	**प्राधिकृत, निर्गमित और अभिदत्त तथा प्रदत्त शेयर पूंजी के ब्यौरे**				
2.1.1	**शेयर पूँजी**	**यथा 31 मार्च 2013**		**यथा 31 मार्च 2012**	
		संख्या	**(रु. दशलक्ष)**	**संख्या**	**(रु. दशलक्ष)**
	प्राधिकृत				
	प्रत्येक रु.10 के इक्विटी शेयर	1,900,000,000	19,000.00	1,900,000,000	19,000.00
	प्रत्येक रु.10 के गैर संचयी 0.01% की दर पर प्रतिदेय अधिमान शेयर (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10)	100,000,000	1,000	100,000,000	1,000
	कुल	2,000,000,000	20,000.00	2,000,000,000	20,000.00
2.1.2	इक्विटी शेयर पूंजी				
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
	प्रत्येक रु.10 के इक्विटी शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
	जब्त शेयर		0.65		0.65
	कुल	1,752,598,777.00	17,526.64	1,752,598,777.00	17,526.64
2.1.3	अधिमान शेयर पूंजी				
	निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त				
	कुछ नहीं (पिछले वर्ष रु.5 के गैर संचयी 0.01% की दर पर प्रतिदेय अधिमान शेयर)	-	-	9,186,242.00	45.93
	कुल	-	-	9,186,242.00	45.93
2.1.4	कुल निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त (2.1.2+2.1.3)	1,752,598,777.00	17,526.64	1,761,785,019.00	17,572.57

2.2	शेयरों का समाधान				
2.2.1	**इक्विटी शेयर**				
		यथा 31 मार्च 2013		**यथा 31 मार्च 2012**	
		संख्या	**(रु. दशलक्ष)**	**संख्या**	**(रु. दशलक्ष)**
	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
	वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,752,598,777	17,525.99	1,752,598,777	17,525.99
2.2.2	**अधिमानी शेयर**				
	वर्ष के प्रारंभ में बकाया शेयर	9,186,242	45.93	9,186,242	91.86
	वर्ष के दौरान पुनःशोधित शेयर	9,186,242	45.93	-	45.93
	वर्ष के अंत में बकाया शेयर	-	-	9,186,242	45.93

2.3	अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध		
	विवरण	**इक्विटी शेयर**	**अधिमानी शेयर**
	लाभांश वितरण	एजीएम में शेयरधारकों द्वारा यथा अनुमोदित	अंकित मूल्य पर निश्चित 0.01% की दर से
	पूंजी की वापसी	लागू नहीं	दो समान किस्तों में प्रतिदान (1 जुलाई 2011 और 1 जुलाई 2012)
2.4	नियंत्रक अथवा अंतिम नियंत्रक कंपनी अथवा उसकी सहायक अथवा सहयोगी कंपनियों द्वारा धारित शेयर		
	नियंत्रक कंपनी, ओएनजीसी के पास 1,255,354,097 इक्विटी शेयर (1,255,354,097 इक्विटी शेयर)हैं।		
2.5	कुल शेयरों में से 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों के ब्यौरे		

2.5.1	इक्विटी शेयर				
	शेयरधारक का नाम	यथा 31 मार्च 2013		यथा 31 मार्च 2012	
		धारित कुल शेयर	धारण का प्रतिशत	धारित कुल शेयर	धारण का प्रतिशत
	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1,255,354,097	71.63%	1,255,354,097	71.63%
	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297,153,518	16.96%	297,153,518	16.96%
2.5.2	अधिमानी शेयर				
	आईएफसीआई लिमिटेड	-	-	7,148,949	77.82%
	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	-	-	2,037,293	22.18%
2.6	शेयर बेचने / विनिवेश करने की खातिर विकल्प और ठेकों/वायदों के तहत जारी करने के लिए कोई शेयर आरक्षित नहीं किए गए हैं				

2.7	इक्विटी अथवा अधिमानी शेयरों में परिवर्तनीय प्रतिभूतियां				
	जमानत का नाम	प्रतिभूतियों की संख्या	परिवर्तन की शर्तें	यथा 31 मार्च 2013	यथा 31 मार्च 2012
				कुल शेयर	कुल शेयर
	शून्य कूपन बांड	-	मूल धनराशि या ब्याज न चुकाए जाने पर सममूल्य पर प्रत्येक रु.10 के इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय	-	71,404,618

2.8	जब्त शेयर			
	यथा 31 मार्च 2013		यथा 31 मार्च 2012	
	जब्त शेयरों की संख्या	रु.दशलक्ष में प्रदत्त रकम	जब्त शेयरों की संख्या	रु.दशलक्ष में प्रदत्त रकम
	-	**0.65**	-	**0.65**

टिप्पणी 3	आरक्षित निधि और अधिशेष	यथा 31 मार्च, 2013 (रु. दशलक्ष)	यथा 31 मार्च, 2012 (रु. दशलक्ष)
3.1	**पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि (देखें टिप्पणी क)**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	45.93	-
	लाभ-हानि लेखा से अंतरण	45.93	45.93
	अंतिम शेष	91.86	45.93
3.2	**प्रतिभूति प्रीमियम खाता**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	3,490.53	3,490.53
3.3	**सामान्य आरक्षित निधि**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	1,192.00	1,192.00
	जोड़ें : चालू वर्ष में अंतरण	-	-
	अंतिम शेष	**1,192.00**	**1,192.00**
3.4	**लाभ-हानि खाता**		
	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	49,990.91	42,987.98
	जोड़ें : वर्ष का लाभ/(हानि)	(7,569.11)	9,085.78
	घटाएँ: पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि में अंतरण	45.93	45.93
	घटाएँ: प्रस्तावित लाभांश		
	इक्विटी लाभांश शून्य (पिछले वर्ष रु.1.00 प्रति शेयर)		1,752.60

	अधिमान लाभांश (प्रत्येक शेयर के अंकित मूल्य पर 0.01% की दर से निश्चित)	-	0.00
	लाभांश पर कर		284.32
	अंतिम शेष	**42,375.87**	**49,990.91**
	कुल	**47,150.26**	**54,719.37**
टिप्पणियां			
क	2011-12 और 2012-13 के दौरान रु.91.86 दशलक्ष की अधिमान शेयर पूंजी के शोधन पर निर्मित पूंजीगत आरक्षित शोधन निधि		

टिप्पणी 4	दीर्घावधि उधार		
		यथा 31मार्च, 2013 (रु. दशलक्ष)	**यथा 31मार्च 2012, (रु. दशलक्ष)**
4.1	**जमानती**		
	सावधि ऋण : बैंकों से		
4.1.1	**बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) (देखें टिप्पणी क)**	**16,293.00**	**2,576.50**
	(250 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर के प्रति अचल आस्तियों पर प्रथम समरूप प्रभार और वर्तमान एवं भावी, दोनों प्रकार की अचल आस्तियों पर प्रथम क्रमांकित समरूप प्रभार के रूप में जमानत प्रदान की गई है। अतिरिक्त 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर का प्रभार/जमानत, निर्मित की जा रही है।		
	चुकौती की शर्तें :		
	2015-16 के दौरान : रु 1,221.98 दशलक्ष		
	2016-17 के दौरान : रु 2,036.63 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : रु 7,874.95 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : रु 5,159.44 दशलक्ष		
		16,293.00	**2,576.50**
4.2	**गैर-जमानती**		
4.2.1	**अन्य से : ओआईडीबी से सावधि ऋण (देखें टिप्पणी ख)**		
	चुकौती की शर्तें :	**7,000.00**	**4,000.00**
	2013-14 के दौरान : रु 1,000.00 दशलक्ष		
	2014-15 के दौरान : रु 2,000.00 दशलक्ष		
	2015-16 के दौरान : रु 2,000.00 दशलक्ष		
	2016-17 के दौरान : रु 2,000.00 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : रु 1,000.00 दशलक्ष		

4.2.2	**आस्थगित भुगतान देयताएं (देखें टिप्णी ग)**	2,693.51	2,742.62
	चुकौती की शर्तें :		
	2014-15 के दौरान : रु 534.34 दशलक्ष		
	2015-16 के दौरान : रु 555.83 दशलक्ष		
	2016-17 के दौरान : रु 458.17 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : रु 526.54 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : रु 400.00 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान : रु 218.63 दशलक्ष		
4.2.3	**संबंधित पक्षकारों से ऋण और अग्रिम (देखें टिप्पणी घ)**	-	-
	ऋण 1	-	3,600.00
	ऋण 2	31,821.40	26,000.00

	चुकौती की शर्तें :		
	ऋण 1		
	2013-14 के दौरान : रु 3,600.00 दशलक्ष		
	ऋण 2		
	2013-14 के दौरान : रु 1,178.60 दशलक्ष		
	2014-15 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2015-16 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2016-17 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2017-18 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2018-19 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2019-20 के दौरान : रु 4,714.40 दशलक्ष		
	2020-21 के दौरान : रु 3,535.00 दशलक्ष		
		41,514.91	**36,342.62**
	कुल	**57,807.91**	**38,919.12**
टिप्पणियां			
क	ईसीबी के लिए ब्याज दर है 6 महीने का एलआईबीओआर + रु. 8,146.50 दशलक्ष, रु. 2,335.33 दशलक्ष, रु. 5,431.00 दशलक्ष और रु.380.17 दशलक्ष पर क्रमशः 3.75%, 2.92%, 3.44% और 2.54%। वर्ष के दौरान, 400 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर का ईसीबी ऋण अतिरिक्त रूप से मंजूर किया गया जिसमें से 50 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर की रकम निकाली गई है।		
ख	ओआईडीबी सावधि ऋण के लिए ब्याज है रु. 3650.00 दशलक्ष, रु. 350 दशलक्ष, रु. 1250 दशलक्ष और रु.2750 दशलक्ष पर क्रमशः 9.04%, 8.73% और 8.98%।		
ग	बिक्री कर आस्थगन दर्शानेवाली आस्थगित भुगतान देयता, शून्य ब्याज दर पर है।		
घ	संबद्ध पक्षकारों अर्थात् ओएनजीसी से लिए गए सावधि ऋण पर ब्याज दर है रु. 3600.00 दशलक्ष और रु.33,000.00 दशलक्ष पर क्रमशः 9.00% और 10.65%।		

टिप्पणी 5	**आस्थगित कर देयता (निवल)**		
	31 मार्च 2013 को कंपनी के पास रु.7,343.14 दशलक्ष की आस्थगित कर देयताएँ रहीं (पिछले वर्ष रु.4,531.90 दशलक्ष)। आस्थगित कर देयताओं का विश्लेषित विवरण इस प्रकार है:		
		यथा 31मार्च 2013, (रु. दशलक्ष)	**यथा 31मार्च 2012, (रु. दशलक्ष)**
5.1	**आस्थगित कर देयताएं**		
	आस्तियों पर डब्ल्यूडीवी अंतर	7,343.28	6,162.27
	कुल 5.1	**7,343.28**	**6,162.27**
5.2	**आस्थगित कर आस्तियाँ (देखें टिप्पणी 31.09)**		
	43ख अस्वीकृतियाँ	-	1,395.15
	अन्य	-	235.72
	कुल 5.2	**-**	**1,630.87**
	निवल आस्थगित कर देयताएं (5.1-5.2)	**7,343.28**	**4,531.40**

टिप्पणी 6	**अन्य दीर्घावधि सावधि देयताएँ**		
		यथा 31मार्च 2013, (रु. दशलक्ष)	**यथा 31मार्च 2012, (रु. दशलक्ष)**
	अन्य देयताएं	0.31	20.29
	कुल	**0.31**	**20.29**
टिप्पणी 7	**दीर्घावधि प्रावधान**		
7.1	**कर्मचारियों के लिए लाभ**		

	छुट्टी नकदीकरण (न लौटाने गए)(देखें टिप्पणी 31.12.01)	359.01	251.51
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (न लौटाने गए)(देखें टिप्पणी 31.12.01)	92.42	71.87
	कराधान के लिए (निवल अग्रिम कर)	-	219.84
	कुल	**451.43**	**543.22**
टिप्पणी 8	अल्पावधि उधार		
8.1	**जमानती**		
	बैंकों से अल्पावधि ऋण : कार्यकारी पूंजी	41.83	47.13
	(कंपनी के वर्तमान और भावी, कच्चा माल, तैयार माल, प्रक्रियागत माल, भंडार, अतिरिक्त पुरजों, घटकों के स्टॉक, बही ऋणों, प्राप्य बकाया राशियों, दावे, बिलों, ठेकों, वचनबद्धता, प्रतिभूतियों के दृष्टिबंधक के रूप में जमानत दी गई है और आगे परस्पर समरूप के आधार पर और कंपनी मीयादी जमाराशियों पर, जो शून्य है, ग्राहणाधिकार सहित, वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की कंपनी की अचल और चल संपत्तियों (चालू आस्तियों के सिवाए)पर अवशिष्ट प्रभार के जरिए जमानत दी गई है / दी जाएगी जिसमें कंपनी की मीयादी जमाराशियों पर एक ग्रहणाधिकार भी है जिसकी रकम शून्य है (पिछले वर्ष शून्य))		
		41.83	**47.13**
8.2	**गैर-जमानती**		
क	**बाह्य उधार**		
	बैंकों से अल्पावधि ऋण : खरीदार की साख	11,948.20	18,550.80
		11,948.20	**18,550.80**
	कुल	**11,990.03**	**18,597.93**
टिप्पणी 9	व्यापार देयताएं		
	व्यापार देयताएं		
	व्यष्टि और लघु प्रतिष्ठानों के प्रति बकाया देयताएं	-	-
	व्यष्टि और लघु प्रतिष्ठानों से भिन्न प्रतिष्ठानों के प्रति बकाया देयताएं	109,607.64	111,046.60
	कुल	**109,607.64**	**111,046.60**

टिप्पणी 10	अन्य चालू देयताएं		
	दीर्घावधि ऋण (जमानती)की चालू परिपक्वता (देखें टिप्पणी क)	-	714.05
	(वर्तमान और भावी, दोनों प्रकार की अचल संपत्तियों पर साम्यक बंधक और साथ ही वर्तमान एवं भावी चल संपत्तियों पर दृष्टिबंधक के रूप में जमानत प्रदान की गई है। ऋण न चुकाए जाने पर इन रुपया सावधि ऋणों का इक्विटी शेयरों में परिवर्तन किया जा सकेगा।)		
	दीर्घावधि कर्ज (गैर-जमानती)की चालू परिपक्वता (देखें टिप्पणी 4.2.1 और 4.2.3)	5,778.60	3,600.00
	अदत्त लाभांश (देखें टिप्पणी ख)	156.37	155.79
	परिपक्व डिबेंचरों पर ब्याज (देखें टिप्पणी ग)	0.19	0.19
	आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/अन्य से प्राप्त जमाराशियां	103.48	90.15
	उपदान के लिए देयता (देखें टिप्पणी घ)	95.14	32.16
	पूँजीगत वस्तुओं के प्रति देय रकम (देखें टिप्पणी 31.21)	3,643.75	3,113.01
	सांविधिक भुगतान के लिए देयता	602.99	636.46
	कर्मचारियों के लिए देयता	74.08	235.48
	ब्याज जो उपचित है परंतु देय नहीं है	116.94	70.00
	वाणिज्यिक कर से धनवापसी मिलने पर तेल कंपनियों को देय राशियां	2,884.48	2,884.48
	अन्य देय राशियां	674.90	1,284.88

	कुल	**14,130.92**	**12,816.65**
टिप्पणियां			
क	बैंकों से प्राप्त रुपया सावधि ऋण, शून्य कूपन ऋण दर्शाता है (शून्य ब्याज दर पर)		
ख	निवेशकर्ता शिक्षा संरक्षण निधि में भुगतान करने के लिए कोई रकम देय नहीं है।		
ग	विवादग्रस्त दावों के प्रति ब्याज के लिए प्रावधान		
घ	उपदान न्यास से प्राप्य/देय निवल रकम		
टिप्पणी 11	**अल्पावधि प्रावधान**		
11.1	**कर्मचारियों के लिए लाभ**		
	छुट्टी के लिए (गैर निधिक)(देखें टिप्पणी 31.12.01)	33.31	38.68
	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा और अन्य लाभ (गैर निधि)(देखें टिप्पणी 31.12.01)	3.67	4.24
11.2	**अन्य**		
	लाभांश के लिए	-	1,752.60
	कंपनी लाभांश कर के लिए	-	284.32
	अन्य (देखें टिप्पणी क)	966.78	698.68
	कुल	**1,003.76**	**2,778.52**
टिप्पणियां			
क	कंपनी ने, काफी हद तक आकलन करने के बाद 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2012 को स्टॉक में पडी रहीं वस्तुएं खाली करने पर देय उत्पाद शुल्क के लिए क्रमशः रु.961.75 दशलक्ष और रु. 692.71 दशलक्ष की देयता स्वीकार की थी।		

टिप्पणी 12		**अचल आस्तियां**												
		अचल आस्तियां	**देखें टिप्पणियां**	**उपयोगी आयु, वर्षों में**	**कुल ब्लॉक**				**मूल्यह्रास / परिशोधन**				**निवल ब्लॉक**	
					यथा 01-04-2012	**परिवर्धन**	**कटौतियां / समायोजन**	**यथा 31-03-2013**	**यथा 01-04-2012**	**वर्ष के लिए प्रभार**	**कटौतियां / समायोजन**	**यथा 31-03-2013**	**यथा 31-03-2013**	**यथा 31-03-2012**
					(रु. दशलक्ष)	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**
	12.1	**गोचर आस्तियां**												
		भूमि : पूर्ण स्वामित्ववाली			17.65	-	-	17.65	-	-	-	-	17.65	17.65
		पट्टे पर दी गई भूमि	क, ख		269.24	-7.76	-	261.48	0.53	0.08	-	0.61	260.87	268.71
		भवन			3,342.44	371.25	-	3,713.69	730.12	72.37	-	802.49	2,911.20	2,612.32
		संयंत्र और उपकरण	ग, घ		85,996.75	22,997.13	39.70	108,954.18	48,633.96	5,910.20	31.57	54,512.59	54,441.59	37,362.79
		फर्नीचर और जुड़नार			120.36	27.03	1.68	145.71	68.64	8.45	1.25	75.84	69.87	51.72
		वाहन			198.79	4.02	95.47	107.34	69.03	15.79	44.82	40.00	67.34	129.76
		कुल गोचर आस्तिया			**89,945.23**	**23,391.67**	**136.85**	**113,200.05**	**49,502.28**	**6,006.89**	**77.64**	**55,431.53**	**57,768.52**	**40,442.95**
	12.2	**अगोचर आस्तिया**											-	-
		सुनाम	ङ	10	20.13	-	-	20.13	10.06	2.01	-	12.07	8.06	10.07
		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		10	4.47	-	-	4.47	1.89	0.45	-	2.34	2.13	2.58

		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		3	95.28	-	-	95.28	36.97	31.77	-	68.74	26.54	58.31
		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		7	0.81	-	-	0.81	0.33	0.12	-	0.45	0.36	0.48
		कंप्यूटर सॉफ्टवेयर		4	7.39	-	-	7.39	5.44	1.24	-	6.68	0.71	1.95
		लाइसेंस और विशेष विक्रय अधिकार		3	56.50	-	-	56.50	56.50	-	-	56.50	-	-
		कुल अगोचर आस्तियाँ			**184.58**	-	-	**184.58**	**111.19**	**35.59**	-	**146.78**	**37.80**	**73.39**
		कुल			**90,129.81**	**23,391.67**	**136.85**	**113,384.63**	**49,613.47**	**6,042.48**	**77.64**	**55,578.31**	**57,806.32**	**40,516.34**
		पिछले वर्ष			**76,116.99**	**14,122.11**	**80.71**	**90,158.39**	**45,298.78**	**4,396.74**	**51.37**	**49,644.15**	**40,514.24**	**30,818.21**
	12.3	**प्रगति पर पूंजीगत कार्य**	**च**										**75,544.81**	**70,891.74**

	टिप्पणियां
क	इसमें शामिल है रु.253.74 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.261.50 दशलक्ष)जिसका इस कारण परिशोधन नहीं किया गया है कि पट्टा अवधि समाप्त होने पर अंत में स्वामित्व का हस्तांतरण कंपनी के नाम हो जाएगा जिसमें से रु.11.52 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.11.52 दशलक्ष)सक्षम प्राधिकारी को अभ्यर्पित करने की प्रक्रिया चल रही है। निवल ब्लॉक रु.11.52 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.11.52 दशलक्ष)
ख	इसमें शामिल है भूमि मूल्य रु.40.34 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.29.99 दशलक्ष)जो कंपनी के कब्जे मे है जिनके संबंध में पट्टा संबंधी विलेख निष्पादित करने की औपचारिकता अभी पूरी नहीं हुई है। निवल ब्लॉक रु.40.34 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.29.92 दशलक्ष)
ग	इसमें शामिल है रु.782.98 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.782.98 दशलक्ष)जो किसी दूसरी कंपनी के साथ संयुक्त रूप से स्वाधिकृत आस्ति में से कंपनी का अंश है। निवल ब्लॉक रु.79.39 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.120.73 दशलक्ष)
घ	कार्यालय उपकरण शामिल है
ङ	खरीदी गई निवल आस्तियों के बही मूल्य से अधिक कारोबार (नाइट्रोजन संयंत्र) की खरीदारी के लिए प्रतिफल दर्शाता है।
च	चालू पूंजीगत कार्य (ठीक तरह से पूंजीकृत किए जाने वाले परियोजना खर्च सहित) (रु. दशलक्ष में)

छ. चालू पूंजीगत कार्य (ठीक तरह से पूंजीकृत किए जाने वाले परियोजना खर्च सहित)

	यथा 31/03/2013	**यथा 31/03/2013**	**यथा 31/03/2012**	**यथा 31/03/2012**
प्रगति पर पूंजीगत कार्य		93,065.66		82,913.99
ठीक तरह से पूंजीकृत्त किया जाने वाला परियोजना व्यय				
वेतन, मज़दूरी और उपदान	617.15		499.72	
भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति निधि में अंशदान	77.07		63.81	
स्टाफ कल्याण खर्च	0.41		0.41	
दर और कर	2.95		2.77	
बीमा	479.59		361.99	
विविध खर्च	156.80		132.45	
ईआरवी हानि/(अभिलाभ)	-30.73		26.14	
ब्याज और वित्त लागत	4,478.57		889.56	
मूल्यह्रास	9.79	5,791.60	8.02	1,984.87
कुल		**98,836.36**		**84,898.86**
घटाएँ: वर्ष के दौरान अचल आस्तियों में पूंजीकृत रकम		**23,292.55**		**14,007.09**
प्रगति पर निवल पूंजीगत कार्य		**75,544.81**		**70,891.77**
ज. वर्ष के दौरान प्रावधान किए गए मूल्यह्रास में शामल है:				
i) लाभ-हानि लेखा में प्रभारित: रु.6,044.10 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.4,338.73 दशलक्ष)				
ii) पूर्व अवधि से संबंधित समायोजन के प्रति प्रभारित (निवल):शून्य (पिछले वर्ष रु.55.07 दशलक्ष)				

iii)	प्रगति पर पूंजीगत कार्य के प्रति प्रभारितः रु.1.76 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.3.27 दशलक्ष)
iv)	बिक्री के लिए रखी गई अचल आस्तियों में प्रभारित रु.3.38 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.0.33 दशलक्ष)
झ.	इस्तेमाल न की जाती रही और बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों को अन्य चालू आस्तियों के अधीन दर्शाया गया है और निम्नतर लागत अथवा अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर रखा गया है।

टिप्पणी 13	गैर–चालू निवेश		
		यथा 31मार्च 2013, (रु. दशलक्ष)	यथा 31मार्च 2012, (रु. दशलक्ष)
	व्यापार निवेश (दीर्घावधि निवेश)		
	इक्विटी उपकरणों में निवेश : लागत पर कोट न किए गए		
	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड (पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रु.10 के 1,50,00,000 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10) (देखें टिप्पणी क)	150.00	150.00
	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. (पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रु.10 के 1,500 इक्विटी शेयर) (पिछले वर्ष प्रत्येक रु.10 के) (देखें टिप्पणी ख)	0.02	0.02
	कुल	**150.02**	**150.02**
टिप्पणियां			
क	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	
ख	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि.	सहयोगी	

टिप्पणी 14	दीर्घावधि ऋण व अग्रिम				
	(गैर जमानती और शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
		यथा 31मार्च 2013		**यथा 31मार्च 2012**	
		(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)
14.1	**संबद्ध पक्षकारों को**				
	इक्विटी शेयर के प्रति अग्रिम		600.49		600.98
14.2	**अन्य**				
	पूंजीगत अग्रिम		2,434.82		6,755.03
	कर्मचारियों को अग्रिम				
	जमानती, शोध्य समझे गए (देख टिप्पणी क)	194.79		119.21	
	जमानती, संदिग्ध समझे गए	0.81		0.81	
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.81	194.79	0.81	119.21
	सीमा शुल्क, पोर्ट ट्रस्ट आदि में जमाराशि		0.01		0.01
	प्रदत्त आय कर (निवल प्रावधान)		1,016.77		-
	दूसरों के पास रखी गई जमाराशियां				
	गैर–जमानती, शोध्य समझे गए	452.33		433.99	
	गैर–जमानती, संदिग्ध समझे गए	3.40		4.35	
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रावधान	3.40	452.33	4.35	433.99
	कुल		**4,699.21**		**7,909.22**
टिप्पणियां					
क	ऐसे ऋण सहित जिनकी चुकौती अनूसूची 7 वर्ष से अधिक हो। ऊपर उल्लिखित, कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों में शामिल है :				
				यथा 31मार्च 2013	**यथा 31मार्च 2012**
				(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)
	निदेशक			1.09	1.23
				1.09	1.23
टिप्पणी 15	अन्य गैर चालू आस्तियां				

	कर्मचारी ऋण योजना पर उपचित ब्याज	25.61	21.40
	विवाद के अधीन प्रदत्त आय कर	948.74	1,000.92
	कुल	**974.35**	**1,022.32**
टिप्पणी 16	चालू निवेश		
	गैर व्यापार		
	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश : लागत पर कोट न किए गए		
	7% भारत सरकार के तेल बांड,2012	-	272.78
	(शून्य (पिछले वर्ष पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक रु.10,000 के 27,278 बांड))		
	कुल	**-**	**272.78**

टिप्पणी 17	स्टॉक				
		यथा 31मार्च 2013		**यथा 31मार्च 2012**	
		(रु. दशलक्ष)	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**	**(रु. दशलक्ष)**
	कच्चा माल	7,257.03		19,430.50	
	मार्गस्थ कच्चा माल	25,521.18	32,778.21	35,179.34	54,609.84
	प्रक्रियागत स्टॉक		2,351.30		1,961.45
	तैयार वस्तुएं	30,699.58		19,927.90	
	घटाएँ: स्टॉक में हुई हानि के लिए प्रावधान	5.91	30,693.67	5.91	19,921.99
	भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	1,246.15		1,638.87	
	मार्गस्थ भंडार और अतिरिक्त पुर्जे	168.76		129.09	
	घटाएँ: अक्रियाशील/रुके हुए स्टॉक के लिए प्रावधान	85.48	1,329.43	85.48	1,682.48
	कुल		**67,152.61**		**78,175.76**

टिप्पणी 18	प्राप्य व्यापारी राशियाँ		
		यथा 31.03.2013	**यथा 31.03.2012**
		(रु. दशलक्ष)	**(रु. दशलक्ष)**
	व्यापार संबंधी प्राप्य राशियाँ (जमानत रहित)		
	छह महीने से कम अवधि में देय		
	शोध्य माने गए	39,697.11	32,205.60
	संदिग्ध माने गए	48.70	12.62
	घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	48.70	12.62
		39,697.11	32,205.60
	छह महीने से अधिक अवधि में देय		
	शोध्य माने गए	29.86	2,387.06
	संदिग्ध माने गए	665.73	617.33
	घटाएँ: संदिग्ध त्रणों के लिए प्रावधान	665.73	617.33
		29.86	2,387.06
	कुल (देख टिप्पणी क)	**39,726.97**	**34,592.66**

टिप्पणियां					
उक्त रकम में शामिल है, रु.963.31 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.780.00 दशलक्ष)जिसके लिए बैंक गारंटी दी गई है।					
टिप्पणी 19	नकदी और बैंक शेष				
		यथा 31मार्च 2013		यथा 31मार्च 2012	
		(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)	(रु. दशलक्ष)
19.1	**नकद और नकदी समतुल्य**				
	बैंकों में शेषराशियां				
	चालू खाते	195.89		9.89	
	जमा खाते : 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले	14,683.30	14,879.19	16,469.42	16,479.31
	अग्रदाय सहित हाथ में नकद (देखें टिप्पणी क)		0.73		0.78
19.2	**अन्य बैंक शेषराशियां**				
	जमा खाते : 3 से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाले	1,000.00		5,690.00	
	डिबेंचर खाते पर अदत्त ब्याज	0.19		0.19	
	अदत्त लाभांश खाता	156.38		155.79	
	कर्मचारी हितकारी निधि	5.62		4.87	
	प्रतिभूति के तौर पर सांविधिक प्राधिकारियों के पास जमाराशि	16.44	1,178.63	16.22	5,867.07
			16,058.55		**22,347.16**
टिप्पणियां					
रु.0.34 दशलक्ष की कीमत के सोने के सिक्के शामिल हैं (पिछले वर्ष रु.0.60 दशलक्ष)					

टिप्पणी 20	**अल्पावधि ऋण व अग्रिम**				
	(गैर जमानती और शोध्य समझे गए, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)				
		यथा 31.03.2013		**यथा 31.03.2012**	
			(रु. दशलक्ष)		**(रु. दशलक्ष)**
20.1	**संबद्ध पक्षकारों को**				
	अन्य अग्रिम		12.45		25.06
20.2	**दूसरे पक्षकारों को**				
	सीमा शुल्क, पोर्ट, न्यास आदि के पास शेषराशि		3,032.34		3,063.05
	ग्राहक के पास प्रतिभूति जमाराशि				
	संदिग्ध माने गए	7.52		7.52	
	घटाएँ: संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान	7.52	-	-	7.52
	कर्मचारियों को अग्रिम		**25.98**		**64.37**
	अन्य जमाराशियां		**1,678.11**		**2,207.25**
	कुल		**4,748.88**		**5,367.25**
ऊपर उल्लिखित कर्मचारियों को दिए गए अग्रिमों में शामिल है :					

		यथा 31.03.2013 (रु. दशलक्ष)	**यथा 31.03.2012 (रु. दशलक्ष)**
	कंपनी के अन्य अधिकारी	0.72	0.50
	कुल	**0.72**	**0.50**
टिप्पणी 21	**अन्य चालू आस्तियां**		
	अन्य चालू आस्तियां		
	बैंक जमाराशियों पर उपचित परंतु देय न रहा ब्याज	**72.45**	**218.32**

	बीमा कंपनी से प्राप्य दावा	**0.05**	**0.02**
	बिक्री के लिए रखी गईं अचल आस्तियाँ	**77.96**	**82.08**
	कुल	**150.46**	**300.42**
टिप्पणी 22	**परिचालन से राजस्व**		
22.1	**उत्पादों की बिक्री**	**688,335.61**	**572,067.55**
22.2	**अन्य प्रचालन राजस्व**		
	स्क्रैप की बिक्री	27.38	21.43
	खुदरा केंद्रों से आय	0.35	0.67
	टेंडर फार्म की बिक्री	0.52	0.79
	निर्णीत हर्जाने	14.16	38.27
	कर योग्य सेवाएं	4.61	8.17
	कुल	**47.02**	**69.33**
	कुल	**688,382.63**	**572,136.88**

टिप्पणी 23	अन्य आय		
		समाप्त वर्ष 31.03.2012 (रु. दशलक्ष)	**समाप्त वर्ष 31.03.2012 (रु. दशलक्ष)**
23.1	**ब्याज आय**		
	बैंक जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर रु.88.38 दशलक्ष) (पिछले वर्ष रु.274.25 दशलक्ष)	533.21	2,586.34
	अंतर कार्पोरेट जमाराशि पर (स्रोत पर काटा गया कर रु.4.07 दशलक्ष) (पिछले वर्ष रु.18.40 दशलक्ष)	40.68	184.03
	प्रत्यक्ष विपणन ग्राहक से	77.66	47.78
	ठेकेदार संग्रहण अग्रिम पर	98.42	122.02
	कर्मचारी ऋण योजना पर	10.49	11.94
	तेल बांडों पर	8.34	19.09
	अन्य पर	0.90	0.75
	कुल	**769.70**	**2,971.95**
23.2	**लाभांश आय**		
	यूटीआई निवेश पर प्राप्त लाभांश (अल्पावधि निवेश)	**120.87**	**319.46**
	शेल्ल निवेश पर प्राप्त लाभांश (दीर्घावधि निवेश)	**15.00**	**–**
23.3	**विविध आय**		
	प्रतिलेखित देयता जिसकी अब जरूरत नहीं है	140.39	28.10
	प्रतिलेखित अतिरिक्त प्रावधान	16.04	33.00
	कर्मचारियों से वसूली	4.85	4.32
	बीमा संबंधी दावा	–	88.46
	विविध प्राप्तियां	46.49	28.47
	कुल	**207.77**	**182.35**
	कुल	**1,113.34**	**3,473.76**

टिप्पणी 24	स्टॉक में वृद्धि (–)/ (अवनति)		
24.1	**अंतिम स्टॉक:**		
	तैयार वस्तुएं	30,699.58	19,927.90
	प्रक्रियागत स्टॉक	2,351.30	1,961.45
	कुल अंतिम स्टॉक	**33,050.88**	**21,889.35**
24.2	**प्रारंभिक स्टॉक:**		
	तैयार वस्तुएं	19,927.90	17,972.51
	प्रक्रियागत स्टॉक	1,961.45	2,414.79

	कुल प्रारंभिक स्टॉक	**21,889.35**	**20,387.30**
	स्टॉक में वृद्धि / (अवनति)	**-11,161.53**	**-1,502.05**
टिप्पणी 25	**कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय**		
		समाप्त वर्ष 31.03.2013 (रु. दशलक्ष)	**समाप्त वर्ष 31.03.2012 (रु. दशलक्ष)**
	वेतन और मजदूरी	1,327.33	1,234.90
	भविष्य और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	165.95	149.99
	स्टाफ कल्याण खर्च	75.83	79.22
	छुट्टी के लिए प्रावधान	155.72	76.44
	उपदान के लिए प्रावधान	95.06	32.65
	सेवानिवृत्ति उपरांत, चिकित्सा और दीर्घावधि लाभ के लिए प्रावधान	25.71	35.63
	कुल	**1,845.60**	**1,608.83**
टिप्पणी 26	वित्त लागत		
		समाप्त वर्ष 31.03.2013 (रु. दशलक्ष)	**समाप्त वर्ष 31.03.2012 (रु. दशलक्ष)**
	ब्याज खर्च	2,179.07	1,332.26
	अन्य उधार लागत	315.45	561.10
	विदेशी मुद्रा लेन-देन और रूपांतरण पर निवल (अभिलाभ)/हानि		
	विनिमय (अभिलाभ)/हानि(निवल)	791.01	173.41
	कुल	**3,285.53**	**2,066.77**
टिप्पणी 27	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		
	गोचर आस्तियों पर	6,008.89	4,309.03
	अगोचर आस्तियों पर	35.21	29.70
	कुल	**6,044.10**	**4,338.73**

टिप्पणी 28	अन्य व्यय				
		समाप्त वर्ष 31.03.2013		**समाप्त वर्ष 31.03.2012**	
			रु. दशलक्ष में		**रु. दशलक्ष में**
28.1	**अन्य व्यय**				
	बिजली और ईंधन	36,195.98		27,769.09	
	घटाएँ: स्वयं खपत	35,929.32	266.66	27,649.37	119.72
	मरम्मत और रख-रखाव				
	संयंत्र और मशीनें	659.39		790.49	
	भवन	37.55		34.63	
	अन्य	217.92	914.86	173.91	999.03
	खपाए गए भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ	990.89		950.11	
	घटाएँ: अन्य शीर्षों के अधीन दर्शाए गए	305.63	685.26	413.19	536.92
	खपाई गई पैकिंग सामग्री		76.71		91.37
	किराया		54.09		57.86
	बीमा		136.00		91.59
	दर और कर		517.20		523.75
	स्टॉक (निवल)पर उत्पाद शुल्क		217.99		-606.16
	विनिमय दर में घट-बढ से हानि		5,364.91		6,482.20
	निदेशको के बैठक शुल्क		0.90		0.80
	अचल आस्तियों की बिक्री से हानि		28.79		11.37
	विविध खर्च		971.08		762.76

	कुल		9,234.45		9,071.21

28.2	**प्रावधान**		
	संदिग्ध ऋणों के लिए	84.48	-
	संदिग्ध अग्रिम/जमाराशियों के लिए	7.52	-
	अक्रियाशील/रुके हुए स्टॉक के लिए	-	1.68
	कुल	92.00	1.68
28.3	**बट्टे खाते लिखे गए**		
	संदिग्ध अग्रिमों के लिए	0.42	-
	कुल	0.42	-
28.4	**अवधि पूर्व मद (निवल)**		
	मूल्यह्रास (निवल)	-	55.07
	मरम्मत और रख-रखाव	-	6.75
	वेतन और मजदूरी	2.39	0.86
	विविध खर्च	-72.03	-1.65
	बिक्री	-25.49	2.06
	अन्य	41.26	-41.27
	कुल	**-53.87**	**21.82**
	सकल योग (28.1+28.2+28.3+28.4)	**9,273.00**	**9,094.71**
टिप्पणी 29	अपवादात्मक मद (देखें टिप्पणी 31.08)		
	खपाई गई सामग्रियों की लागत	-325.04	-
	विविध खर्च	-119.50	-
	कुल	**-444.54**	**-**

टिप्पणी 30	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन		
		समाप्त वर्ष 31.03.2013	**समाप्त वर्ष 31.03.2012**
	अंश : निवल लाभ (रु. दशलक्ष में)		
	मूल	-7,569.11	9,085.78
	आंशिक	-7,569.11	9,085.78
	डिनॉमिनेटर : वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की औसत संख्या		
	मूल	1,752,598,777	1,752,598,777
	आंशिक	1,770,157,289	1,837,898,633
	प्रति शेयर नाम मात्र मूल्य		
	प्रति शेयर अर्जन (रु. में)		
	मूल (रु.)	-4.32	5.18
	आंशिक (रु.)	-	4.94
	प्रति शेयर मूल और आंशिक अर्जन का समाधान		
	निवल लाभ (रु. दशलक्ष में)	-7,569.11	9,085.78
	जोड़ें : ऋणों के आंशिक भाग पर ब्याज (निवल कर) (रु. दशलक्ष में)	-	-
	कुल	-7,569.11	9,085.78
	इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,752,598,777	1,752,598,777
	उन ऋणों के संबंध में जिनका रूपांतरण खंड हो, शेयरों की संख्या	17,558,512	85,299,856
	प्रति शेयर आंशिक अर्जन के लिए इक्विटी शेयरों की औसत संख्या	1,770,157,289	1,837,898,633
	टिप्पणियां: 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आंशिक ईपीएस नहीं दिया गया है क्योंकि संभावित इक्विटी शेयर, एंटी डायल्यूटीव हैं		

टिप्पणी : 31	**अन्य प्रकटन**

31.01	अगोचर आस्तियां - अनुसंधान और विकास (एएस-26)			
	वर्ष के दौरान, कंपनी ने, अपनी अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों के अंग के तौर पर, गैस क्रोमैटोग्रैफिक पद्धति विकास, बिटूमेन इमल्शन सूत्रीकरण, भुक्त शेष कॉस्टिक में फेनॉलिक और सल्फाइडिक गंध कम करने, उपचारित बहिस्राव में अमोनियाकल और नाइट्रेट कम करने, विस्तृत क्रूड एस्से का विश्लेषण करने, क्रूड सुसंगति अध्ययन, एचएसडी की स्नेहकता में सुधार करने वाले अप्लिकेशन के लिए मूल्य वर्धित उत्पाद का संश्लेषण करने से संबंधित गतिविधियाँ चलाई जिस पर नीचे उल्लिखित तरीके से खर्च किया गया। ये व्यय, संबंधित स्वाभावित व्यय शीर्ष में बुक किए जाते हैं			
				(रु. दशलक्ष)
	विवरण	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल
	अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय	4.66	कुछ नहीं	4.66
		(2.91)	(11.25)	(14.16)
	टिप्पणियां: कोष्ठकों में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।			

31.02	**विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव (एएस 11)**
	एमसीए द्वारा जारी दिनांक 29 दिसंबर 2011 की अधिसूचना सं. जीएसआर.(914)ई का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने 31 मार्च 2012 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से, दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को रिपोर्ट करने से उत्पन्न विनिमय में अंतर का समायोजन उस हद तक करने का विकल्प चुना है जहां तक उसका संबंध, आस्तियों की लागत के प्रति अवक्षयी आस्तियों का अधिग्रहण करने और आस्तियों की शेष अवधि में उक्त समायोजन का मूल्यह्रास करने से हो। एमसीए द्वारा जारी दिनांक 9 अगस्त 2012 की अधिसूचना सं. 17/133/2008-सीएल-वी का अनुसरण करते हुए, कंपनी ने आस्तियों के निर्माण के बाद की अवधि के लिए विनिमय दर में अंतर को पूंजीकृत किया। अगर ऐसा न किया होता तो, पूंजीकृत आस्तियों से संबंधित रु.3.13 दशलक्ष की रकम का विनिमय अंतर लाभ-हानि खाते में जमा हुआ होता और 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए अचल आस्तियों की मात्रा उस हद तक बढ जाती।
31.03	**कर्मचारियों के लिए लाभ (एएस:15)**

31.03.01		**संक्षित वर्णनः विभिन्न प्रकार की परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन इस प्रकार है:**
	क	**अर्जित छुट्टी संबंधी लाभ (ईएल):**
		उपचय - 32 दिन प्रति वर्ष
		300 दिनों तक इकट्ठा करने की इजाजत दी जाती है
		15 दिनों से अधिक संचित ईएल को सेवा में रहते समय नकदीकरण की इजाजत दी जाती है।
	ख	**बीमारी छुट्टी (एसएल):**
		उपचय - 10 दिन प्रति वर्ष
		सेवा में रहते समय नकदीकरण की इजाजत नहीं है
		सेवानिवृत्त होने पर नकदीकरण किया जा सकेगा और समग्र संचयन भुनाया जा सकेगा
	ग	**उपदान :**
		पूरी की गई हर एक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिनों का वेतन। इसे 5 वर्ष तक रखा जा सकेगा और भुगतान रु.1 दशलक्ष तक सीमित किया गया है।
	घ	**लंबी सेवा का चिह्न:**
		कार्य ग्रहण तारीख से सेवा में प्रत्येक मील का पत्थर पार करने पर और साथ ही सेवानिवृत्त होते समय, कर्मचारियों को सोने का सिक्का उपहार स्वरूप दिया जाएगा, जब कि सोने का वजन, पूर्ण की गई सेवा पर निर्भर होगा।
	ङ	**सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:**
		सेवानिवृत्ति के बाद, एक बारगी एकमुश्त अंशदान अदा करने पर, सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी/उसके आश्रित पत्नी/पति को, कंपनी के नियमों के अनुसार चिकित्सा लाभ की रक्षा प्रदान की जाएगी।
	च	**सेवानिवृत्ति लाभ:**
		सेवानिवृत्ति के समय, कर्मचारी, अपने पदनाम के आधार पर कुछ सीमाओं तक, यात्रा के प्रति, सेवानिवृत्ति स्थान से नए स्थान तक अपने वैयक्तिक्र सामान ले जाने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति और व्यवस्थापन भत्ते के प्रति एक महीने का वेतन पाने के हकदार होंगे।
31.03.02	**परिभाषित अंशदान योजनाओं के प्रति किए गए नीचे उल्लिखित अंशदान को वर्ष के दौरान खर्च की तरह माना**	

	जाएगा.		
			(रु. दशलक्ष)
	परिभाषित अंशदान योजना	**2012-13 के दौरान स्वीकृत खर्च**	**प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारियों के प्रति अंशदान**
	भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान	105.05	0.38
		(92.99)	(0.47)
		[120.57]	[0.33]
	सेवानिवृत्ति निधि में नियोजक का अंशदान	58.73	0.48
		(55.07)	(0.59)
		[44.68]	[0.41]

31.03.03 **रोज़गार उपरांत लाभ योजनाओं के लिए तुलन पत्र में दर्शाई गई रकम इस प्रकार है:**

(रु. दशलक्ष)

क्रम सं.	विवरण	उपदान(निधिक) :	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ (अनिधिक)	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ(अनिधिक)
1	निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	402.28	-	-
		(294.21)		
		[254.34]		
2	योजना आस्ति का उचित मूल्य	307.22	-	-
		(261.55)		
		[183.09]		
3	गैर निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	-	43.61	8.55
			(35.60)	(6.61)
			[16.74]	[6.04]
4	अस्वीकृत गत सेवा संबंधी लागत	-	-	-
5	निवल देयता	95.06	43.61	8.55
		(32.66)	(35.60)	(6.61)
		[71.25]	[16.74]	[6.04]

31.03.04 **उपदान निधि की योजना आस्तियों के उचित मूल्य में शामिल की गई राशि निम्नानुसार है:**

परिभाषित अंशदान योजना	**2012-13**	**2011-12**	**2010-11**
प्रतिष्ठान के खुद के वित्तीय लिखतों के बारे में रिपोर्ट करना	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
रिपोर्टिंग प्रतिष्ठान के कब्जे में ली गई कोई संपत्ति अथवा प्रयुक्त कोई अन्य आस्तियाँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.03.05 **अवधि के दौरान तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता में चलन दर्शाने वाला समाधान विवरण:** **(रु. दशलक्ष)**

क्रम सं.	विवरण	उपदान(निधिक) :	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
1	प्रारंभिक परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	294.21	35.60	6.61
		(254.34)	(16.74)	(6.04)
		[175.15]	[16.74]	[6.28]
2	सेवा लागत	22.82	2.10	0.74

			(20.81)	(18.36)	(0.19)
			[15.25]	[1.01]	[0.17]
	3	ब्याज लागत	25.74	3.11	0.58
			(20.98)	(1.38)	(0.50)
			[14.93]	[1.35)]	[0.46]
	4	वास्तविक हानि/ (अभिलाभ)	70.61	5.75	1.37
			(8.89)	(-0.65)	(0.14)
			[56.63]	[-0.72]	[0.46]
	5	देयता अंतरण	कुछ नहीं	-	-
			(0.36)		
			(शून्य)		
	6	प्रदत्त लाभ	-11.10	-2.95	-0.75
			(-11.18)	(-0.23)	(-0.26)
			[-7.62]	[-1.64]	[-1.33]
	7	अंतिम परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व	402.28	43.61	8.55
			(294.21)	(35.60)	(6.61)
			[254.34]	[16.74]	[6.04]

31.03.06	**लाभ–हानि विवरण में सम्मिलित कुल खर्च इस प्रकार हैं:**				
					(रु. दशलक्ष)
	क्रम सं.	**विवरण**	**उपदान(निधिक) :**	**सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:**	**अन्य सेवानिवृत्ति लाभ**
	1	चालू सेवा लागत	22.82	2.10	0.74
			(20.81)	(1.13)	(0.20)
			[15.25]	[1.01]	[0.17]
	2	दायित्व पर ब्याज	25.74	3.11	0.58
			(20.98)	(1.38)	(0.50)
			[14.93]	[1.35]	[0.46]
	3	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	-23.54	-	-
			(-16.48)		
			[-15.42]		
	4	वर्ष में सम्मिलित निवल वास्तविक हानि / (अभिलाभ)	69.47	5.75	1.37
			(4.82)	(-0.64)	(0.14)
			[56.50]	[-0.72]	[0.46]
	5	गत सेवा लागत	-	-	-
			(-)	(17.22)	(-)
			[-]	[-]	[-]
	6	कटौतियां और निपटान पर हानि / (अभिलाभ)	-	-	-
	7	' कर्मचारी लाभ खर्च ' में शामिल किया गया कुल	94.49	10.96	2.69
			(30.13)	(19.09)	(0.84)

		योग	(71.26)	(1.64)	(1.09)
	8	योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिफल	24.69 (20.55) [15.56]	-	-

31.03.07 उपदान के संबंध में योजना आस्तियों के उचित मूल्य का शेषराशि समाधान विवरण:

(रु. दशलक्ष)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011
1	अवधि के प्रारंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	261.55	183.09	144.36
2	योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	23.54	16.48	15.42
3	अंशदान	32.08	68.74	30.79
4	अन्य कंपनी से अंतरण	कुछ नहीं	0.36	कुछ नहीं
5	(अन्य कंपनी में अंतरण)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	(प्रदत्त लाभ)	(11.10)	(11.18)	(7.62)
7	योजना आस्तियों पर वास्तविक अभिलाभ/(हानि)	1.15	4.07	0.14
8	अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	307.22	261.55	183.09

31.03.08 **अन्य प्रकटन**

(रु. दशलक्ष)

उपदान :	31.03.2013	31.03.2012	31.03.2011	31.03.2010	31.03.2009
अवधि के अंत में निधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य	402.28	294.21	254.34	175.15	140.25
अवधि के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य	307.22	261.55	183.09	144.36	81.5
अधिशेष/(कमी)	95.06	32.66	71.25	30.79	58.75
योजना देयताओं से उत्पन्न हानि/(अभिलाभ)का समायोजन	10.12	24.33	65.37	22.95	-4.64
योजना आस्तियों से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन	1.15	4.07	0.14	(0.67)	0.98
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:	**31.03.2013**	**31.03.2012**	**31.03.2011**	**31.03.2010**	**31.03.2009**
अवधि के अंत में अनिधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य	43.61	35.60	16.74	16.74	8.08
योजना देयताओं से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन	1.65	1.29	-0.28	8.64	0.36
अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	**31.03.2013**	**31.03.2012**	**31.03.2011**	**31.03.2010**	**31.03.2009**
अवधि के अंत में अनिधिक बाध्यता का वर्तमान मूल्य	8.55	6.61	6.04	6.28	5.64
योजना देयताओं से उत्पन्न (हानि)/अभिलाभ का समायोजन	1.10	0.28	0.56	0.79	0.45

31.03.09	तुलन पत्र की तारीख को की गई मुख्य वास्तविक कल्पनाएं (जिसे भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है): (रु. दशलक्ष में)				
	क्रम सं.	विवरण	उपदान : (निधिक)	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ:	अन्य सेवानिवृत्ति लाभ
	1	बट्टा दर	8.25%	8.25%	8.25%
			(8.75%)	(8.75%)	(8.75%)
			[8.25%]	[8.25%]	[8.25%]
	2	पूर्व योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	9.00%	-	-
	3	वर्तमान योजना आस्तियों पर अपेक्षित प्रतिफल	8.70%	-	-
	4	मेड क्लेम पॉलिसी के प्रीमियम में वार्षिक वृद्धि	-	लागू नहीं	-
				लागू नहीं	
				[5.00%]	
	5	वेतन में वार्षिक वृद्धि	6.00%	-	6.00%
			(5.00%)		(5.00%)
			[5.00%]		[5.00%]

31.03.10	उपदान (निधिक) परिभाषित लाभ संबंधी दायित्व – योजनागत आस्तियों की श्रेणी (रु. दशलक्ष में)				
	क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12	2010-11
	1	भारत सरकार के बांड	154.28	129.96	88.18
			50.22%	49.69%	48.17%
	2	कंपनी बांड	139.01	120.83	88.48
			45.25%	46.20%	48.32%
	3	अन्यः	13.94	10.76	6.43
			4.54%	4.11%	3.51%
	4	कुल	307.23	261.55	183.09
			100.00%	100.00%	100.00%

31.03.11	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा खर्च की संवेदनशीलता (रु. दशलक्ष में)				
	क्रम सं.	विवरण	2012-13	2011-12	2010-11
	1	बट्टा दर में 1% की वृद्धि के कारण देयता में परिवर्तन	-5.75	-1.71	-0.80
	2	बट्टा दर में 1% की गिरावट के कारण देयता में परिवर्तन	7.15	1.94	0.91
	3	बट्टा दर में 1% की वृद्धि के कारण सेवा लागत में परिवर्तन	-	-0.06	-0.06
	4	बट्टा दर में 1% की वृद्धि की गिरावट के कारण सेवा लागत में परिवर्तन	-	0.12	0.12
	टिप्पणियांः कोष्ठकों में ( ) दिए आंकड़े 2011-12 से संबंधित हैं और [ ] में दिए गए आंकड़े 2010-11 से				

	सरोकार रखते हैं ।

31.04	**उधार लागत (एएस-16)**			
	वर्ष के दौरान पूंजीकृत उधार लागत की रकम है रु.3,589.01 दशलक्ष (पिछले वर्ष (रु. 889.56))			
31.05	**खंडवार रिपोर्टिंग (एएस 17)**			
	खंडवार राजस्व, परिणाम और लगाई गई पूँजी (रु. दशलक्ष में)			
	क्रम सं.	**विवरण**	**31.03.2013 लेखा परीक्षित**	**31.03.2012 लेखा परीक्षित**
	1	खंड राजस्व		
		क. देशी बिक्री	323,511.06	303,450.23
		ख. निर्यात बिक्री	333,404.10	234,183.20
		परिचाललन से निवल बिक्री / आय	656,915.16	537,633.43
	2	कर पूर्व खंड परिणाम लाभ/ (हानि)और प्रत्येक खंड से ब्याज		
		क. देशी	2,339.80	8,166.30
		ख. निर्यात	1,210.10	10,798.48
		कुल	3,549.90	18,964.78
		घटाएँ:		
		i. ब्याज का भुगतान	3,285.53	2,066.77
		ii. अनाबंटनीय निवल आय का अन्य अनाबंटनीय व्यय	5,032.83	3,695.98
		कर पूर्व लाभ / (हनि) और असाधारण मदें	-4,768.46	13,202.03
		असाधारण मदें	-	
		कर पूर्व लाभ / (हानि)	-4,768.46	13,202.03
	3	लगाई गई पूँजी (खंड आस्तियाँ-खंड देयताएँ)		
		क. देशी बिक्री	25,416.82	24,325.36
		ख. निर्यात बिक्री	14,312.60	10,267.30
		कुल	39,729.42	34,592.66
		अनाबंटित	24,947.48	37,699.28
		लगाई गई कुल पूँजी	64,676.90	72,291.94
		पूंजीगत व्यय	27,872.91	44,983.61
		मूल्यह्रास और परिशोधन	6,045.86	4,397.07
		अन्य नकदेतर खर्च	337.52	1,640.26
31.06	**संबद्ध पक्षकार के बारे में प्रकटन (एएस-18)**			
31.06.01	कंपनी, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित है, इसलिए राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य प्रतिष्ठानों के साथ किए गए लेन-देनों के बारे में एएस-18 के अनुसार प्रकटन करने की कोई ज़रूरत नहीं है ।			
31.06.02	प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी:			
	(i) श्री. यू.के. बासु, प्रबंध निदेशक (30/06/2012 तक) पारिश्रमिक - रु. 34,52,847/-			
	(ii) श्री. पी.पी. उपाध्या, प्रबंध निदेशक (01/07/2012 से निदेशक (तकनीकी)के रूप में अतिरिक्त प्रभार के			

	साथ) पारिश्रमिक - रु.41,81,373/-					
	(iii) श्री विष्णु अग्रवाल, निदेशक (वित्त) पारिश्रमिक रु.31,28,003/-					
31.06.03	संबद्ध पक्षकार के ब्यौरे: (रु. दशलक्ष में)					
	विवरण	ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि.	शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड	मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड	पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड
	संबंध	सहयोगी	संयुक्त उद्यम	संयुक्त उद्यम	सहयोगी	सहयोगी
	उत्पादों की बिक्री	कुछ नहीं कुछ नहीं	4,022.24 (4647.31)	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
	देय परिवहन प्रभार	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	-39.72 (-37.96)
	एमआरपीएल द्वारा व्यय की प्रतिपूर्ति	1.01 कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	1.33 (-2.38)	कुछ नहीं कुछ नहीं
	एमआरपीएल द्वारा प्रदत्त वेतन और किए गए अन्य स्थापना संबंधी खर्च जिसकी प्रतिपूर्ति जेवी/सहयोगी द्वारा की जाएगी।	6.74 (18.40)	0.29 (0.78)	कुछ नहीं कुछ नहीं	3.53 (3.82)	24.54 (24.08)
	जेवी / सहयोगी कंपनियों में किए गए इक्विटी निवेश के प्रति अग्रिम	599.99 (599.99)	कुछ नहीं कुछ नहीं	0.05 (1.00)	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं
	31 मार्च, 2013 को प्राप्य/समायोजनीय रकम	12.45 (25.06)	406.91 (408.47)	कुछ नहीं कुछ नहीं	133.55 (131.54)	कुछ नहीं कुछ नहीं
	31 मार्च, 2013 को देय/समायोजनीय रकम	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	कुछ नहीं कुछ नहीं	1.83 (8.55)
	टिप्पणियां: कोष्ठकों में दिए आंकड़े पिछले वर्ष से संबंधित हैं।					
31.07	पट्टा (एएस-19)					
31.07.01	कंपनी ने विभिन्न परिसर, परिचालन पट्टे पर लिए हैं जिनको रद्द किया जा सकेगा ।					
31.07.02	पट्टा संबंधी इन करारनामों का सामान्यत: अवधि समाप्त होने पर नवीकरण किया जाता है ।					
31.07.03	उक्त परिचालन पट्टे के संबंध में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष का पट्टा किराया संबंधी खर्च रु.35.06 दशलक्ष रहा (पिछले वर्ष रु.34.75 दशलक्ष)					
31.08	**अपवादात्मक मदें**					
31.08.01	भारत के गजट में 12 अप्रैल 2013 को प्रकाशित महत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण (टैंप)के आदेश सं. टीएएमपी/22/2012-एनएमपीटी, दिनांक 1 अप्रैल, 2013 का अनुसरण करते हुए कंपनी ने एनएमपीटी से स्वीकार्य के रूप में रु. 444.54 दशलक्ष को स्वीकार किया जिसे अपवादात्मक मदों के अंतर्गत आय के रूप में माना गया है (संदर्भ टिप्पणी सं. 29)					
31.09	**आस्थगित कर**					
31.09.01	आभासी निश्चितता के अभाव में कंपनी ने रु.5,792.10 दशलक्ष रकम की आस्थगित कर आस्तियों को स्वीकार					

	नहीं किया है (देखें टिप्पणी सं. 5)				
31.10	**संयुक्त उद्यमों में हितों के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग (एएस–27)**				**(रु. दशलक्ष में)**
	विवरण	**शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स सर्वीसस लिमिटेड**		**मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड**	
	स्वामित्ववाले हित का अनुपात	50%		45%	
	निगमन का देश	भारत		भारत	
	संयुक्त उद्यम में हितबद्ध कुल रकम (एमआरपीएल का अंश)	2012-13 (लेखा परीक्षित)	2011-12 (लेखा परीक्षित)	2012-13 (अलेखापरीक्षित)	2011-12 (अलेखा परीक्षित)
	आस्तियाँ	1473.89	864.98	0.60	0.91
	देयताएँ	1,188.61	612.15	0.25	0.01
	आय	2478.54	2635.55	0.21	कुछ नहीं
	कर संबंधी खर्च सहित व्यय	2,432.04	2,570.33	0.02	कुछ नहीं
	आकस्मिक देयताएँ	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	पूंजीगत प्रतिबद्धता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

31.11	**प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस – 29)**				
31.11.01	**प्रावधान में घट-बढ़**				**(रु. दशलक्ष में)**
	वर्ष	**2012-13**		**2011-12**	
	विवरण	**देनदार**	**अन्य**	**देनदार**	**अन्य:**
	प्रारंभिक शेष	629.95	96.55	660.65	98.25
	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	84.48	7.52	-	1.68
	घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित / पुनर्वर्गीकृत / घटाए गए प्रावधान	-	0.95	30.70	3.38
	अंतिम शेष	714.43	103.12	629.95	96.55

31.12	**प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ (एएस – 29)**				
31.12.01	**कर्मचारियों के लिए लाभ (रु. दशलक्ष में)**				
	वर्ष	**2012-13**		**2011-12**	
	विवरण	छुट्टी	अन्य लाभ	छुट्टी	अन्य लाभ
	प्रारंभिक शेष	290.19	76.11	243.81	41.68
	जोड़ें : वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	155.72	25.71	76.44	35.63
	घटाएँ: वर्ष के दौरान प्रतिलेखित / पुनर्वर्गीकृत / घटाए गए प्रावधान	53.59	5.73	30.06	1.20
	अंतिम शेष	392.32	96.09	290.19	76.11
31.12.02	**इनके संबंध में आकस्मिक देयताओं के लिए प्रावधान नहीं किया गया है:**				

	क	जेटियां बनाने के लिए न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) को कुछ बैंकरों / वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर रु.3,372.30 दशलक्ष के ऋण के प्रति कंपनी द्वारा दी गई गारंटी। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के अंत में, एनएमपीटी द्वारा की गई चुकौती का समायोजन करने के बाद बकाया रकम, रु. शून्य रही (पिछले वर्ष रु. शून्य)	
	ख	**कंपनी के खिलाफ दावे, जिनको कर्ज के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है:** **(रु. दशलक्ष में)**	

क्रम सं.	**विवरण**	**यथा 31.03.2013**	**यथा 31.03.2012**
1	माध्यस्थम् / अदालत में ठेकेदारों / विक्रेताओं के दावे		
	उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना करने वाले कुछ ठेकेदारों ने कंपनी पर दावे पेश करते हुए निर्णीत हर्जाने, बढ़ाई गई अवधि के लिए मुआवजे के बगैर ठेका पूरा करने की अवधि बढ़ाने की मांग की है और अतिरिक्त दावे आदि किए गए हैं जिनकी अभ्यापत्ति करते हुए कंपनी ने संबंधित ठेकों के प्रावधानों के अनुसार उनको कबूल नहीं किया है. अगर निर्णय नकारात्मक निकला तो देय रकम को रु.327.39 दशलक्ष में पूंजीकृत किया जाएगा / रु.37.63 दशलक्ष रु. में प्रतिपूर्त किया जाएगा (पिछले वर्ष क्रमशः रु.306.73 दशलक्ष और रु.37.63 दशलक्ष)	365.02	344.36
2	ग्राहकों के दावे / प्रति दावे		
(क)	कंपनी और ग्राहक ने, सौहार्दपूर्ण समझौता होने के कारण, मुकदमा वापस लेने के सिलसिले में 16.08.2012 को मुंबई के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका दर्ज की थी।	-	18.85
(ख)	ग्राहकों में से एक ने वक्त से पहले ठेका बंद करने पर हर्जाने के तौर पर दावा पेश किया है। कंपनी ने इसे एक अपरिहार्य घटना करारते हुए इस दावे को चुनौती दी है। अगर कंपनी का रुख ठुकराया गया तो रकम लाभ-हानि लेखा में नामे डाली जाएगी।	85.20	85.20
3	अन्यः		
(क)	न्यू मंगलूर पोर्ट ट्रस्ट (एनएमपीटी) ने कंपनी से, एमओयू के बाद की अवधि के लिए (16.10.2009 से 31.03.2013 तक बर्थ सं. 10 और 01.04.2011 से 31.03.2013 तक बर्थ सं. 11) तेल बर्थ पर कार्गो संभालने के लिए अधिसूचित घाट शुल्क अदा करने की मांग की है। कंपनी ने दावा किया है कि सहमति पत्र में, सरकारी अनुमोदन के अधीन (टैंपःमहत्वपूर्ण बंदरगाहों के लिए प्रशुल्क प्राधिकरण) आपस में सहमत करने योग्य दर तय करने की बात कही गई है। यह मामला टैंप के सामने है। अगर टैंप द्वारा अधिनिर्णय किए जाने पर, अधिसूचित घाट दर और कंपनी द्वारा अदा की जाती रही घाट दर के बीच कोई फर्क हो तो उसे ऐसे निपटान वर्ष में, लाभ-हानि लेखा में नामे डाला जाएगा / जमा किया जाएगा।	1,561.36	1,288.07
(ख)	यह ऐसी संभावित देयता दर्शाता है जिसे कंपनी ने पट्टेदारों को उनके संबंधित कर निर्धारण में कोई देयता होने पर उसकी प्रतिपूर्ति के प्रति उठाया हो। अगर पट्टेदार कोई दावा करें तो ऐसी रकम लाभ-हानि लेखा में नामे डाली जाएगी।	133.67	133.67
(ग)	भूमि और पुनःस्थापना एवं पुनर्वास कार्य के लिए प्रदत्त अग्रिम से अधिक मंगलूर एसईजड लि. का दावा।	37.43	37.43

(घ)	ईसीबी उधार के लिए जमानत निर्मित करने में विलंब के लिए प्रभार	2.26	-
	कुल	2,184.94	1,907.58

उन तमाम दावों के संबंध में जिनको कंपनी ने अस्वीकार्य करारते हुए चुनौती दी हो, मध्यस्थ / अदालत से समाधान/ फैसला मिलने तक ऐसे दावे निपटाने के लिए अगर संसाधनों का बहिर्वाह हो तो उसका वस्तुनिष्ठ आकलन करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

31.12.03		**अपील में लंबित विवादित कर / शुल्क संबंधी मांगे:**
	(क)	आय करः रु.1,881.24 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.1,123.40 दशलक्ष)। इसके प्रति, रु. 948.74 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.1000.92 दशलक्ष) अभ्यापत्ति के तहत समायोजित / अदा किया गया है और इसे ऋण और अग्रिम संबंधी टिप्पणी. 15 के अधीन शामिल किया गया है।
	ख)	वाणिज्यिक करः रु.24.09 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.321.49 दशलक्ष) – इसमें शामिल है, परियोजनाओं से संबंधित रु.शून्य दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.321.49 दशलक्ष)।
	(ग)	उत्पाद शुल्क : रु.341.85 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.500.19 दशलक्ष) (इसके प्रति रु.79.36 दशलक्ष (अभ्यापत्ति के तहत रु.39.10 दशलक्ष समायोजित/अदा किए गए हैं और उसे ऋणों और अग्रिमों से संबंधित टिप्पणी-20 के तहत दर्शाया गया है)
	घ)	उत्पाद शुल्कः रु.762.86 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.647.54 दशलक्ष)
31.12.04	**(क)**	पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने के लिए बचे हुए ठेकों की अनुमानित रकम और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है (निवल अग्रिम) रु.19,896.30 दशलक्ष है(पिछले वर्ष रु.31,185.31 दशलक्ष)।
	ख)	अन्य प्रतिबद्धताएं

		i) ईसीबी ऋण	350 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर लिया जाएगा
		ii)ओएनजीसी ऋण	17,000 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर लिया जाएगा
		iii)मेसर्स शेल्ल ग्लोबल इंटरनैशनल सोल्यूशन द्वारा रिफाइनरी निष्पादन में सुधार करने के कार्यक्रम के निमित्त किया गया वायदा पूरा होने तक (मेसर्स शेल्ल जीआईएस)3.25 दशलक्ष अमेरिकी डॉलर	

31.13 **विदेशी मुद्रा जोखिम**

31.13.01 **ऐसे जोखिम जिनसे बचने के लिए कोई व्युत्पन्न लिखत अथवा अन्यथा (निवल) नहीं थे:** **(रु. दशलक्ष में)**

विवरण	**यथा 31.03.2013**		**यथा 31.03.2012**	
	विदेशी मुद्रा	**समतुल्य रुपए**	**विदेशी मुद्रा**	**समतुल्य रुपए**
आयात यूएसडी	1,764.62	95,836.51	2,476.18	127,597.56
लेनदार यूरो	कुछ नहीं	कुछ नहीं	31,788.00	2.19
लेनदार जेपीवाई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
लेनदार यूएसडी	0.01	0.54	0.03	1.55
निर्यात यूएसडी	312.30	16,957.89	200.79	10,222.22
ऋण यूएसडी	520.00	28,241.20	410.00	21,127.30

31.13.02 **सीआईएफ आधार पर आयात का मूल्यः**

(रु. दशलक्ष में)

विवरण	2012-13	2011-2012
पूंजीगत वस्तुएँ	119.26	1396.91
कच्चा माल	558,690.88	476,186.50
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ	534.18	316.25

31.13.03 **विदेशी मुद्रा में व्ययः** **(रु. दशलक्ष में)**

	विवरण	2012-13	2011-2012
	ब्याज	1665.90	73.30
	अन्य	363.80	85.85

31.13.04	**विदेशी मुद्रा में अर्जन** (रु. दशलक्ष में)		
	विवरण	**2012-2013**	**2011-2012**
	निर्यात (एफओबी मूल्य)	321,798.45	234,183.24
31.14	**लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक:** (रु. दशलक्ष में)		
	विवरण	**2012-2013**	**2011-2012**
	लेखा परीक्षक के रूप में	1.90	1.50
	कराधान संबंधी मामलों के सिलसिले में	0.53	0.38
	प्रमाणीकरण शुल्क के सिलसिले में	0.92	1.83
	खर्च की प्रतिपूर्ति	1.17	1.71

31.15 कच्चा माल, व्यापारी माल, भंडार, अतिरिक्त पुरज़ों और रासायनिक पदार्थों की खपत

(रु. दशलक्ष में)

विवरण	2012-2013		2011-2012	
	रु. दशलक्ष में मूल्य	(%)	रु. दशलक्ष में मूल्य	(%)
कच्चा मालः कच्चा तेल				
आयातित	574,921.62	87.91%	444,149.46	86.69%
देशी	79,026.98	12.08%	68,100.07	13.29%
सीआरएमबी मॉडिफायर लागत				
आयातित				
देशी	52.79	0.01%	117.82	0.02%
कुल	**654,001.39**	**100.00%**	**512,367.35**	**100.00%**
व्यापारी वस्तुएँ	**0.43**		**0.15**	
भंडार, अतिरिक्त पुर्जे और रासायनिक पदार्थ(कुल)				
आयातित	544.28	54.93%	407.07	42.84%
देशी	446.61	45.07%	543.04	57.16%
कुल	**990.89**	**100.00%**	**950.11**	**100.00%**

31.16	**अनिवासी शेयरधारकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:**		
	विवरण	**यथा 31.03.13**	**यथा 31.03.12**
	अनिवासी शेयरधारकों की संख्या	19,536	20,434
	अनिवासी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों की संख्या	16,946,878	26,447,524
	वर्ष के दौरान अनिवासी शेयरधारकों को प्रेषित लाभांश	रु 21.54 दशलक्ष	रु 42.42 दशलक्ष
31.17	**ऋण और अग्रिम :**		

	ऋणों और अग्रिमों में (टिप्पणी 14), परियोजना आयात पर सीमा शुल्क के लिए 378.71 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.378.71 दशलक्ष) और वाणिज्यिक कर रु.158.30 दशलक्ष(पिछले वर्ष रु.548.48 दशलक्ष)के धन वापसी दावे सम्मिलित हैं। वाणिज्यिक कर के प्रति देय रु.2884.43 दशलक्ष रु. की अतिरिक्त धनवापसी को भी उसमें सम्मिलित किया गया है जिसके लिए धनवापसी प्राप्त होने पर ग्राहकों को भुगतान किया जाता है जिसे अन्य चालू देयताओं - सांविधिक भुगतान के लिए देयता के तहत सम्मिलित किया गया है (टिप्पणी 10)।		
31.18	**वाणिज्यिक कर संबंधी प्रोत्साहन :**		
31.18.01	**कर्नाटक सरकार की अधिसूचना के अनुसार कंपनी, बिक्री कर आस्थगित ऋण पाने की इस प्रकार हक़दार है:**		
	रिफाइनरी परियोजना	**रकम (रु. दशलक्ष में)**	**ऋण की अवधि**
	चरण II(6 एमएमटीपीए)	2,500.00 प्रति वर्ष *	अधिसूचना जारी की गई तारीख अर्थात्; 14 अगस्त 2000 से 14 वर्ष
	***सीएसटी की छूट के रूप में भी लिया जा सकता है.**		
31.18.02	जमानत रहित ऋणों के तहत दर्शाया गए बिक्री कर संबंधी आस्थगन ऋण (टिप्पणी-4) में शून्य रकम (पिछले वर्ष रु.290.17 दशलक्ष) जो वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिए वाणिज्यिक कर विभाग (टिप्पणी 20) से धनवापसी के तहत सम्मिलित उत्पाद शुल्क पर सीएसटी से संबंधित है जिसे इससे पहले अभ्यापत्ति के तहत अदा किया गया था और अब जिसका कंपनी द्वारा बिक्री कर आस्थगन ऋण के रूप में दावा किया जा रहा है ।		
31.19	कंपनी को विविध देनदारों में से कुछ देनदारों से, ऋणों और अग्रिमों एवं विविध लेनदारों से अपने पुष्टीकरण पत्रों के प्रति अभी कोई जवाब नहीं मिले है। समाधान और समायोजन, पुष्टीकरण मिलने के बाद किया जाएगा जो, प्रबंधन की राय में उल्लेखनीय नहीं होगा।		
31.20	**सूक्ष्म, लघु और मझोले प्रतिष्ठानों के प्रति देयता:**		
	सूक्ष्म, लघु और मझोले प्रतिष्ठान विकास अधिनियम, 2006 के तहत आपूर्तिकर्ताओं का वर्गीकरण, कंपनी को उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर किया जाता है। कंपनी ने, उक्त अधिनियम की धारा 16 के अनुसार न कोई ब्याज अदा किया है न ही कोई ब्याज अदा करने से रह गया है और न ही 31.03.2013 को समाप्त वर्ष के दौरान इन प्रतिष्ठानों को नियत तारीख के बाद कोई भुगतान किया गया। 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए इन प्रतिष्ठानों को कोई रकम देना बाकी नहीं था (पिछले वर्षः रु. शून्य)		
31.21	**कीमत घटाने संबंधी खंड**		
	टिप्पणी सं.10 - अन्य चालू देयताओं में रु.838.81 दशलक्ष की रकम शामिल है (पिछले वर्ष रु.386.92 दशलक्ष)जो पूंजीगत वस्तुओं के प्रति कम देय है, जिसे वितरण में विलंब होने पर कीमत कटौती खंड का अनुसरण करते हुए और कार्यवाही, अचल आस्तियों की लागत, मूल्यह्रास को अंतिम रूप दिए जाने तक विक्रेताओं से रोक रखा गया था और डब्ल्यूडीवी में, उस वर्ष, जिसमें रोक रखी गई रकम का विनियोजन करने संबंधी कार्यवाही को अंजाम देकर विनियोजित किया जाता है, संशोधन हो सकता है।		
31.22	**नीचे उल्लिखित खर्च को अन्य खर्च शीर्षों के तहत सम्मिलित किया गया है**		
	क्रूड तेल की खरीदारी और स्टाफ कल्याण से संबंधित रु.29.88 दशलक्ष (पिछले वर्ष रु.20.22 दशलक्ष) की बीमा प्रभार की रकम को संबंधित शीर्षों के तहत दर्शाया गया है ।		
31.23	पिछले वर्ष के आंकड़ों को, चालू वर्ष के प्रस्तुतीकरण के अनुरूप जहां कहीं ज़रूरी हो पुनर्वर्गीकृत/पुनव्यवस्थित किया गया है ।		

संलग्न हमारी सम दिनांक रिपोर्ट के अनुसार		
कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.	**कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन**	**सुधीर वासुदेव**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	अध्यक्ष
फर्म की पंजीकरण सं. :001931S	फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S	

			पी.पी. उपाध्या
			प्रबंध निदेशक
सीए एन आर सुरेश	**सीए एस. सुंदर**		
साझेदार	साझेदार		

सदस्यता सं. 21661	सदस्यता सं. 202725		**विष्णु अग्रवाल**
			निदेशक (वित्त)
		बी. सुकुमार	
		कंपनी सचिव	
मुंबई, 24 मई, 2013			

वर्ष 2012–2013 के लिए निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट

निगमित अभिशासन, पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कारोबार चलाने, हर तरह का प्रकटन करते हुए प्रत्येक कारोबार के संबंध में पारदर्शिता दिखाने, देश के कानून का अनुपालन करने, शेयरधारकों के प्रति जिम्मेवारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने और नैतिक ढंग से कारोबार चलाने के प्रति प्रतिबद्धता दिखाने के सिद्धांत पर आधारित है।

एमआरपीएल में, हम एक ऐसी अच्छी अभिशासन परिपाटी के प्रति प्रतिबद्ध है जिससे उसके हिस्सेदारों को लंबे समय तक सतत मूल्य मिल सके। हमारा निगमित अभिशासन ढांचा, नीचे उल्लिखित सिद्धांतों पर बनाया गया है:

- निदेशक मंडल / निदेशक मंडल की समितियों को अधिकतम जानकारी प्रकट करना ताकि बैठकों में अर्थपूर्ण और सकेंद्रित विषयों पर चर्चा हो सके ;
- पारदर्शी प्रणाली और मान्यताओं के प्रति प्रतिबद्धता;
- ईमानदारी और जिम्मेवारी पर बल देते हुए आंतरिक नियंत्रण की सुदृढ प्रणाली के बलबूते पर काम करना;
- तमाम हिस्सेदारों को समस्त महत्वपूर्ण जानकारी वक्त पर और पर्याप्त रूप से उपलब्ध कराना;
- लागू कानूनों, दिशा निर्देशों, नियमों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना;
- अपने तमाम हिस्सेदारों और समाज के लोगों के साथ न्याय संगत तरीके से और निष्पक्ष रूप से पेश आना ।

1) निदेशक मंडल

क. निदेशकों की संरचना– 31.03.2013 को

कार्यकारी निदेशक	:	2
गैर कार्यकारी निदेशक	:	5

(दो स्वतंत्र निदेशकों सहित)

(i) निदेशक मंडल – 31.03.2013 को

निदेशक	कार्यकारी / गैर कार्यकारी	श्रेणी	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री सुधीर वासुदेव	अध्यक्ष गैर–कार्यपालक	प्रवर्तक कंपनी के निदेशक	8	-	-	-
श्री पी.पी. उपाध्या	कार्यपालक	प्रबंध निदेशक और निदेशक (रिफाइनरी)	3	-	1	-
श्री विष्णु अग्रवाल	कार्यपालक	निदेशक (वित्त)	2	-	2	-

श्री पी.के. सिंह	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक (संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	1	-	-	-
श्री के. मुरली	गैर-कार्यपालक	प्रवर्तक कंपनी के निदेशक	5	-	2	-
श्री बी. रवींद्रनाथ	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	4	-	1	-
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	3	1	2	-

निदेशकों का संक्षिप्त सारवृत्त (सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49 (जी)के अनुसार अर्हता/विशेषज्ञता)

निदेशक	**संक्षिप्त सारवृत्त (अर्हता/विशेषज्ञता)**	**अन्य कंपनियों/फर्मों के नाम जहां निदेशक का पद संभाल रहे हों**
श्री सुधीर वासुदेव	श्री सुधीर वासुदेव, एक रासायनिक इंजीनियर है जिन्होंने प्रबंधन में एड्वांस्ड डिप्लोमा हासिल किया है। श्री सुधीर वासुदेव, एक प्रतिष्ठित तकनीक तंत्री है जिनको तेल की खोज में 36 सालों का व्यापक अनुभव है। ओएनजीसी में अपनी टीम प्रबंधन की क्षमताओं के लिए पहचाने जाने वाले श्री सुधीर वासुदेव ने, 2009 में निदेशक (अपतट) के रूप में और 2011 में सीएमडी, ओएनजीसी के रूप में कमान संभालने से पहले ओएनजीसी के अपतटीय संयुक्त उद्यम का खंड संभाल रहे थे।	1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 3. ओएनजीसी पेट्रो-एडिशन्स लिमिटेड 4. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड 5. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड 6. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड 7. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. 8. ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड
श्री पी.पी. उपाध्या	श्री पी.पी. उपाध्या, एक रासायनिक इंजीनियर है और रासायनिक संयंत्र डिजाइन इंजीनियरिंग में मास्टर्स पदवी धारक हैं। श्री पी.पी. उपाध्या ने अपना पेशेवर करियर, 1978 में भारत की सर्वप्रथम फॉर्चून ग्लोबल 200 तेल कंपनी - इंडियन आयॅल कार्पोरेशन में शुरू किया और 1993 में मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. में कदम रखने से पहले करीब 15 साल काम किया और रिफाइनरी के प्रदर्शन में एमआरपीएल को कामयाबी के शिखर तक ले जाने में खासा भूमिका निभाई। श्री पी.पी. उपाध्या को रिफाइनरी प्रचालन और प्रबंधन में 3 दशक से अधिक पेशेवर अनुभव है।	1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल एण्ड सर्वीसस लिमिटेड 2. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड 3. पेट्रोनेट एमएचबी लिमिटेड

श्री विष्णु अग्रवाल	श्री विष्णु अग्रवाल, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के सह सदस्य हैं और इनको वित्त और लेखा, वाणिज्यिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राजकोष, कार्पोरेट वित्त, विपणन, प्रबंध सूचना प्रणाली - खासकर तेल क्षेत्र में (अनुप्रवाह और प्रतिप्रवाह, दोनों क्षेत्रों में)32 वर्ष से भी अधिक कार्यात्मक अनुभव है। आईओसीएल और ओएनजीसी में कई मीलपत्थर कायम करने में इन्होंने ख़ासा भूमिका निभाई। विपणन प्रभाग और कार्पोरेट कार्यालय, आईओसीएल में 20 साल और ओएनजीसी में 8 साल तक विभिन्न महत्वपूर्ण पद संभालने के बाद इन्होंने 2011 में एमआरपीएल में कदम रखा। विभिन्न प्रणालियों और क्रियाविधियों का विकास करने और उन्नत किए गए कंप्यूटरीकरण के लिए विभिन्न सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में इन्होंने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया है।	1. शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस प्राइवेट लिमिटेड 2. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड
श्री पी के सिंह	श्री पी के सिंह, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ये एक आई.ए.एस. अधिकारी हैं जिनको लोक कार्य में 18 वर्ष से अधिक अनुभव है। इस समय ये, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मंत्रालय के अन्य ऊंचे दर्जे के संविभाग संभाल रहे हैं।	1. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
श्री के. मुरली	श्री के. मुरली, एचपीसीएल में रिफाइनरी के निदेशक का पद भी संभाल रहे हैं। ये रासायनिक इंजीनियर हैं। इनको रिफाइनरी प्रचालन में गहरा अनुभव है। 30 साल से अधिक अपने लंबे करियर के दौरान, इन्होंने मुंबई और विशाखपट्टनम् में एचपीसीएल की दोनों रिफाइनरियों में अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण पद संभाले।	1. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड 2. एचपीसील-मित्तल एनर्जी लिमिटेड 3. एचपीसीएल-बायो फ्यूएल्स लिमिटेड 4. क्रेडा -एचपीसीएल बायो फ्यूएल्स लिमिटेड 5. प्राईज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड
श्री बी. रवींद्रनाथ	श्री बी. रवींद्रनाथ, एक मैकेनिकल इंजीनियर है जो आईडीबीआई बैंक लि. (आईडीबीआई)के नामिती निदेशक हैं। इस समय श्री बी. रवींद्रनाथ, आईडीबीआई में कार्यकारी निदेशक का पद संभाल रहे हैं। इन्होंने, आईडीबीआई में 1982 में औद्यागिक वित्त अधिकारी के रूप में कदम रखा। विभिन्न औद्योगिक / संरचनात्मक परियोजनाएं संभालते हुए प्रधान कार्यालय में कार्पोरेट वित्त विभाग और परियोजना मूल्यांकन विभाग में उल्लेखनीय योगदान देने के कारण इनकी तरक्की का रास्ता तेजी से खुलता गया। इन्होंने आईडीबीआई के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय की बागडोर संभाली, दक्षिण अंचल के इनके नेतृत्व की बदौलत अंचल में असाधारण	1. आईडीबीआई इन्फ्राफिन् लिमिटेड 2. स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 3. असेट रीकंस्ट्रक्शन् कंपनी (आई)लिमिटेड 4. जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड

	कारोबार वृद्धि नजर आई।	
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	डॉ. डी. चंद्रशेखरम्, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के भू-विज्ञान विभाग में प्रोफेसर हैं। इन्होंने 1972 में अप्लाईड भू-विज्ञान में एम.एससी डिग्री और पीएच.डी हासिल की। ये, पिछले 30 साल से ज्वालामुखी विज्ञान, भू-जल प्रदूषण और जीयोथर्मिक्स के क्षेत्र में काम करते रहे हैं। जीयोथर्मिक्स में इनके असीम अनुभव को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई ने, भारत में एकमात्र जीयोथर्मल कंपनी, मेसर्स जीयोसिंडिकेट पावर प्राइवेट लिमिटेड को संभालने के लिए प्रोत्साहित किया। इस समय ये, मेसर्स जीयोसिंडिकेट पावर प्राइवेट लि., इंडिया में अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। ये, ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र की सलाहकार समिति के सदस्य भी हैं।	1. जीयोसिंडिकेट पावर प्राइवेट लिमिटेड 2. इंडियन रेर अर्थ्स लिमिटेड 3. वेस्टर्न कोलफील्ड्स 4. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड

*टिप्पणियां: 01.01.2013 को मंडल में तीन स्वतंत्र निदेशक रहे जो मंडल का एक तिहाई हिस्सा लेते हैं। तदनंतर, श्री ए.के. रथ, स्वतंत्र निदेशक ने 15.02.12013 को अपना 3 वर्ष का कार्यकाल समाप्त किया और तदनुसार इस समय एमआरपीएल के बोर्ड में 2 स्वतंत्र निदेशक हैं।

एमआरपीएल, एक सरकारी कंपनी होने के कारण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (एमओपी एण्ड एनजी), भारत सरकार (जीओआई)द्वारा की जाती है। इस बात के मद्दे नज़र, एमआरपीएल, लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 का अनुपालन करने की दृष्टि से स्वतंत्र निदेशकों को अपेक्षित संख्या में नियुक्त करने का मामला एमओपी एण्ड एनजी के साथ उठाता रहा है।

(ii) गत निदेशक

निदेशक	कार्यकारी / गैर कार्यकारी	श्रेणी	निदेशक पदों की संख्या		बाह्य समितियों की संख्या	
			सार्वजनिक	निजी	सदस्य	अध्यक्ष
श्री यू.के. बासु	कार्यपालक	प्रबंध निदेशक	2	1	-	1
श्री विवेक कुमार	गैर-कार्यपालक	सरकारी निदेशक (संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय)	1	-	-	1
डॉ. ए.के. रथ	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र निदेशक	2	-	3	3

(iii) 2012-2013 के दौरान निदेशक मंडल में परिवर्तन

निदेशक	नियुक्ति तारीख	सेवा समाप्ति तारीख	टिप्पणियाँ

श्री यू.के. बासु	01/09/2008	30/06/2012	30/06/2012 को सेवानिवृत्ति के उपरांत निदेशक नहीं रहे।
श्री विवेक कुमार	29/10/2007	06/08/2012	एमआरपीएल के बोर्ड से इस्तीफा दिया और श्री पी.के. सिंह को आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति करने के लिए नियुक्त किया गया।
श्री पी.के. सिंह	17/08/2012	11/04/2013	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
डॉ. ए.के. रथ	16/02/2010	15/02/2013	15/02/2013 को तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर निदेशक नहीं रहे।

(iv) 31/03/2013 के बाद निदेशक मंडल में परिवर्तन

- श्री वी.जी. जोशी को 04.04.2013 से निदेशक (रिफाइनरी) के रूप में नियुक्त किया गया।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने श्री पी.कल्याणसुंदरम्, संयुक्त सचिव, एमओपी एण्ड एनजी को श्री पी.के. सिंह, संयुक्त सचिव के स्थान पर 15.04.2013 से सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया।
- एचपीसीएल ने श्री बी.के. नामदेव, निदेशक रिफाइनरी (एचपीसीएल) को, एचपीसीएल की सेवाओं से 30.06.2013 को सेवानिवृत्त हुए श्री के. मुरली के स्थान पर एमआरपीएल बोर्ड पर निदेशक के रूप में 01/07/2013 से नियुक्त किया।

ख. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान संपन्न मंडल की बैठक और 15.09.2012 को हुई 24वीं वार्षिक महा सभा में निदेशकों की उपस्थिति

(i) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान संपन्न मंडल की बैठकों के ब्यौरे

बैठक की तारीख	बैठक सं.	स्थान
23.05.2012	170	नई दिल्ली
16.06.2012	171	मंगलूर
27.07.2012	172	नई दिल्ली
17.08.2012	173	नई दिल्ली
15.09.2012	174	मंगलूर
02.11.2012	175	नई दिल्ली
31.01.2013	176	नई दिल्ली
05.03.2013	177	नई दिल्ली
29.03.2013	178	मंगलूर

टिप्पणियाँ: वर्ष 2012-13 के दौरान मंडल की 9 बैठकें हुईं।

(ii) वर्ष 2012-13 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक महा सभा में भाग लिया
श्री सुधीर वासुदेव	9	हां
श्री पी.पी. उपाध्या	9	हां
श्री विष्णु अग्रवाल	9	हां
श्री पी.के. सिंह	1	नहीं
श्री के. मुरली	6	नहीं
श्री बी. रवींद्रनाथ	8	हां
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	7	नहीं

(iii) वर्ष 2012-13 के दौरान गत निदेशकों की उपस्थिति

निदेशक	मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	पिछली वार्षिक महा सभा में भाग लिया
श्री यू.के. बासु	2	नहीं *
श्री विवेक कुमार	1	नहीं **
डॉ. ए.के. रथ	6	हां

* 01.07.2012 से निदेशक नहीं रहे
** 06.08.2012 से निदेशक नहीं रहे

2) लेखा परीक्षा समिति

(i) विचारार्थ विषय:

लेखा परीक्षा समिति का गठन, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए और शेयर बाजारों के साथ किए गए लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों द्वारा कंपनी अभिशासन के बारे में सार्वजनिक प्रतिष्ठान विभाग (डीपीई) की तरफ से जारी दिशा-निर्देश के तहत यथा निर्धारित विचारार्थ विषय के तहत किया गया।

(ii) 31.03.2012 को लेखा परीक्षा समिति की संरचना

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री बी. रवींद्रनाथ	अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
श्री के. मुरली *	सदस्य

* श्री बी.के. नामदेव को, 22.07.2013 से श्री के. मुरली के स्थान पर नामित किया गया।

{Q>ßn[U¶m§…

- कंपनी ने लेखा परीक्षा समिति के गठन के बारे में लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 (II) (E) की अपेक्षाओं का पालन किया है।
- प्रबंध निदेशक*, निदेशक (वित्त) और महा प्रबंधक (आंतरिक लेखा परीक्षा)को, लेखा परीक्षा की तमाम बैठकों में स्थाई तौर पर आमंत्रित किया जाता है।

* 09.05.2013 से स्थाई अतिथि नहीं रहे।

- कंपनी सचिव, लेखा परीक्षा समिति के सचिव होते हैं।
- लेखा परीक्षा समिति द्वारा वित्तीय लेखों की समीक्षा करते समय, सांविधिक लेखा परीक्षकों को विशेष अतिथियों के रूप में आमंत्रित किया जाता है।

(iii) वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान संपन्न लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के ब्यौरे

बैठक की तारीख	बैठक सं.	कितने सदस्यों ने भाग लिया
23.05.2012	52	4
16.06.2012	53	4
05.07.2012	54	3
27.07.2012	55	4
15.09.2012	56	2
02.11.2012	57	4
31.01.2013	58	4

टिप्पणियां: वर्ष 2012-13 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 7 बैठकें हुईं।

(iv) लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थिति

लेखा परीक्षा समिति के सदस्य	कितनी बैठकों में भाग लिया	टिप्पणियां
श्री बी. रवींद्रनाथ	7	
श्री के. मुरली	5	
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	6	
डॉ. ए.के. रथ	7	गत सदस्य

3) पारिश्रमिक समिति:

चूंकि एमआरपीएल एक सरकारी कंपनी और सीपीएसई है, इसलिए कार्यकारी निदेशकों और कार्यात्मक निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशक)के पारिश्रमिक के नियम एवं शर्तें, भारत सरकार द्वारा तय की जाती हैं।

लिस्टिंग संबंधी करारनामे के खंड 49 और साथ ही कंपनी अभिशासन के बारे में डीपीई के दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं के अनुरूप, कंपनी ने अप्रैल 2009 में पारिश्रमिक समिति का गठन किया। वर्ष 2012-13 के दौरान पारिश्रमिक समिति की कुल मिलाकर 2 बैठकें हुईं। इस समिति में 31.03.2013 को नीचे उल्लिखित निदेशक रहे:

पारिश्रमिक समिति के सदस्य	**सदस्यों की उपस्थिति**
श्री बी. रवींद्रनाथ अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)	2
डॉ. डी. चंद्रशेखरम् सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)	1

श्री पी.के. सिंह सदस्य (सरकारी निदेशक)	-

मंडल की उप-समिति और मंडल की बैठकों में भाग लेने के लिए सिर्फ स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी द्वारा बैठक शुल्क अदा किया जाता है।

(i) स्वतंत्र निदेशकों को 2012-13 के दौरान अदा किए गए पारिश्रमिक(बैठक शुल्क) के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

स्वतंत्र निदेशक	**बैठक शुल्क (रु.)**
श्री बी. रवींद्रनाथ	**3,30,000**
डॉ. ए.के. रथ	**2,85,000**
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	**2,85,000**

(ii) 2012-13 के दौरान प्रदत्त आधार पर प्रबंध निदेशक, निदेशक(वित्त) और निदेशक (रिफाइनरी) को प्रदत्त पारिश्रमिक के ब्यौरे:

(रकम, रु. में)

विवरण	**प्रबंध निदेशक (श्री पी.पी. उपाध्या व श्री यू.के. बासु)**	**निदेशक (तकनीकी) (श्री पी.पी. उपाध्या)**	**निदेशक (वित्त)**	**कुल**
वेतन और भत्ते	65,63,238	4,88,657	27,65,225	98,17,120
भविष्य निधि और अन्य निधियों के प्रति अंशदान	4,08,264	91,956	3,62,778	8,62,698
अन्य अनुलाभ और लाभ	82,405		-	82,405
कुल	**70,53,907 ***	**5,80,613**	**31,28,003**	**1,07,62,223**

* श्री यू.के. बासु को पारिश्रमिक / सेवांत लाभ के प्रति प्रदत्त रु. 34,52,847 शामिल है।

विवरण	**प्रबंध निदेशक***	**निदेशक (वित्त)**
सेवा संबंधी ठेका	31.07.2014 तक (सेवानिवृत्ति की तारीख)अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो।	नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की तारीख अथवा आगे आदेश दिए जाने तक, जो भी पहले हो।
नोटिस अवधि	-	तीन महीने की नोटिस अथवा उसके बदले तीन महीने के वेतन का भुगतान।
पृथक्करण शुल्क	-	लागू नहीं
स्टॉक विकल्प के ब्यौरे (अगर कोई हो तो)	-	लागू नहीं
क्या बट्टे पर दिया गया	-	लागू नहीं
कितनी अवधि में उपचित रहा और उसे लागू किया जा सकेगा	-	लागू नहीं

*नियुक्ति की विस्तृत शर्तों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(iii) निदेशक का शेयरधारण:

नीचे उल्लिखित निदेशकों ने यथा 31.03.2013 कंपनी के इक्विटी शेयर निम्नानुसार रखे हैं:

निदेशक का नाम	**धारित कुल शेयर**
श्री सुधीर वासुदेव	300
श्री विष्णु अग्रवाल	50

4) शेयरधारकों/निवेशकर्ताओं की शिकायत समिति

(i) कंपनी ने, सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49(IV) (जी) (iii) और सेबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए, शेयरधारक / निवेशकर्ता शिकायत समिति का गठन किया है।

31.03.2013 को शेयरधारकों/निवेशकर्ताओं की शिकायत समिति की संरचना

शेयरधारकों/निवेशकर्ताओं की शिकायत समिति के सदस्य	श्रेणी
श्री बी. रवींद्रनाथ	अध्यक्ष (स्वतंत्र निदेशक)
डॉ. डी. चंद्रशेखरम्	सदस्य (स्वतंत्र निदेशक)
श्री पी.पी. उपाध्या	सदस्य
श्री विष्णु अग्रवाल	सदस्य

(ii) शेयर अंतरण, प्रेषण, अवमूर्तीकरण, पुनर्मूर्तीकरण आदि के सिलसिले में अनुमोदन पाने के लिए शेयर अंतरण समिति का गठन किया जाता है।

टिप्पणियां:

- अनुपालन अधिकारी का नाम और पदनाम: श्री बी. सुकुमार, कंपनी सचिव।
- वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या : 103
- वित्तीय वर्ष 2012-2013 के दौरान, न निपटाई गईं शिकायतों की संख्या: कुछ नहीं
- 31.03.2013 को लंबित शेयर अंतरण की संख्या : शून्य

5) वार्षिक महासभा के ब्यौरे

(i) पिछली 3 वार्षिक महा सभाएं कहां और कब हुई

वर्ष	स्थान	दिनांक	समय
2012 24वीं एजीएम	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर-575 030	15/09/2012	अपराहन 4.00 बजे
2011 23वीं एजीएम	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर-575 030	27/08/2011	अपराहन 4.00 बजे
2010 22वीं एजीएम	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर-575 030	04/09/2010	अपराहन 3.30 बजे

(ii) **क्या पिछली तीन वार्षिक महा सभाओं में कोई विशिष्ट संकल्प पारित किया गया?**

हाँ

24वीं वार्षिक महा सभा में एक विशिष्ट संकल्प पारित किया गया :

शेयरों की वापस खरीदारी के बारे में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 31 और अगर कोई अन्य लागू प्रावधान हो तो उनका तथा कंपनी के अंतर्नियम के नियम 27(1) का अनुसरण करना।

(iii) **क्या पिछले वर्ष डाक मत पत्रों के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया:**

पिछली वार्षिक महा सभा में डाक मतपत्रों के जरिए कोई विशेष संकल्प पारित नहीं किया गया।

(iv) किन-किन व्यक्तियों ने डाक मतपत्रों की प्रक्रिया पूरी की:

लागू नहीं

(v) डाक मतपत्र की क्रियाविधि :

लागू नहीं

6) प्रकटन

(i) वस्तुत: महत्वपूर्ण संबद्ध पक्षकार के लेन-देन:

(क) कंपनी, राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित प्रतिष्ठान है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी संबंधित पक्षकार प्रकटन के लेखा मानक 18 (एएस - 18) के अनुसार प्रकट करने के लिए नीचे उल्लिखित 'ख' और 'ग' को छोड़कर कोई दूसरे लेन-देन नहीं हैं।

(ख) प्रबंधन के महत्वपूर्ण कर्मचारी:

पूर्णकालिक निदेशक:

श्री पी.पी. उपाध्या : प्रबंध निदेशक और निदेशक (रिफाइनरी)

श्री विष्णु अग्रवाल : निदेशक (वित्त)
श्री यू.के.बासु : प्रबंध निदेशक (30.06.2012 तक)

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान लेन-देनों के ब्यौरे

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान प्रबंध निदेशक (श्री यू.के. बासु को प्रदत्त पारिश्रमिक / सेवांत लाभ शामिल है) और निदेशक (वित्त) को अदा किया गया पारिश्रमिक।

- निष्पादन से जुडे वेतन सहित वेतन व भत्ते रु.98,17,120 रहे।
- भविष्य निधि के प्रति अंशदान रहा रु.8,62,698
- अन्य अनुलाभ और लाभ रहे रु. 84,205

(उपचित छुट्टी संबंधी वेतन और उपदान को छोड़कर क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी को यह सुविधा नहीं मिलती है)

(ग) ऐसे प्रतिष्ठान जिन पर काफी दबाव डाला जाता है:

नाम	संबंध	लेन-देन का स्वरूप
ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि.	सहयोगी *	2012-13 से संबंधित लेखों पर टिप्पणी - 31.06.03 में ब्यौरे पेश किए गए हैं
शेल्ल एमआरपीएल एविएशन फ्यूएल्स एण्ड सर्वीसस लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	
मंगलम रीटेल सर्वीसस लिमिटेड	सहयोगी	

* समूह कंपनियों के साथ।

(ii) पिछले 3 वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में, कंपनी द्वारा गैर अनुपालनीय, किसी शेयर बाजार अथवा सेबी अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा लगाये गये जुर्माने, किए गए अवक्षेप के ब्यौरे: **शून्य**

(iii) गैर-आज्ञापक अपेक्षाएं:

क. कंपनी अपने खर्च पर अध्यक्ष का कार्यालय चलाती है।

ख. चूंकि एमआरपीएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए कार्यकारी निदेशकों (पूर्णकालिक निदेशकों) की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के नियम एवं शर्तें, भारत के राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती हैं। हालांकि निष्पादन से जुड़ा वेतन इसके लिए अपवाद है जिसके लिए अनुमोदन, पारिश्रमिक समिति द्वारा दिया जाता है।

ग. चूंकि कंपनी के तिमाही / अर्ध-वार्षिक वित्तीय परिणाम, कंपनी के वेबसाईट पर प्रकट किए जाते हैं, इसलिए अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट, प्रत्येक शेयरधारक के निवास पर नहीं भेजी जाती है।

घ. कंपनी के शेयरधारकों की ख़ातिर वित्तीय विवरणों से संबंधित लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई विशेषक नहीं होते हैं।

ङ. कंपनी के मंडल के सदस्यों को प्रशिक्षित कराने से संबंधित नीति बनाई जा रही है। तब तक निदेशकों को अपेक्षा और उनके प्रोफाइल के अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है।

च. गैर-कार्यकारी निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन करने का कोई मौजूदा औपचारिक तंत्र नहीं है।

छ. कंपनी ने मुखबिर नीति बनाई है जिसके लिए मंडल ने अनुमोदन दिया है।

ज. कंपनी, समय-समय पर आईसीएआई द्वारा जारी सभी लेखा मानकों का अनिवार्य तौर पर अनुपालन करती है।

(iv) मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए आचरण संहिता

मंडल ने 30.01.2006 को संपन्न अपनी बैठक में मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचरण संहिता (कोड) अपनाई। यह संहिता एक व्यापक संहिता है जो कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों के साथ-साथ वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों अर्थात्; कंपनी के समूह महा प्रबंधक और उससे उच्चतर श्रेणी के प्रबंधकीय कर्मचारियों को लागू होगी। आचरण संहिता की एक प्रति कंपनी के वेबसाइटः www.mrpl.co.in पर पदर्शित की गई है।

संहिता को मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों में परिचालित किया गया है और उन्होंने उसके अनुपालन की पुष्टि की है। प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा-पत्र यहां नीचे दिया गया है:

मैं यह पुष्टि करता हूँ कि

कंपनी ने मंडल एवं वरिष्ठ प्रबंधन के तमाम सदस्यों से इस बात की पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2012-13 के संबंध में मंडल और वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्यों के लिए बनाई गई आचरण संहिता का अनुपालन किया है ।

पी.पी. उपाध्या
प्रबंध निदेशक

(v) अंतरंगी व्यापार के बारे में एमआरपीएल संहिता

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार का निषेध) (संशोधन) विनियम, 2008 का अनुसरण करते हुए मंडल ने संशोधित ' अंतरंगी व्यापार की रोकथाम के लिए आचरण संहिता ' के लिए अपना अनुमोदन दिया। कंपनी के सभी नामोद्दिष्ट कर्मचारी इस संहिता का पालन करते हैं।

(vi) सीईओ और सीएफओ का प्रमाणन

लिस्टिंग संबंधी करारनामे के संशोधित खंड 49 के अनुसार, वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित वित्तीय विवरणों और आंतरिक नियंत्रकों के बारे में सीईओ और सीएफओ का प्रमाणीकरण प्राप्त किया गया है।

vii) कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (बीआरआर)

सूचीकरण संबंधी नए खण्ड 55 का अनुसारण करते हुए, वर्ष 2012-13 के लिए एक बीआरआर बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का अंग है। हरित पहल के उपाय के तौर पर, स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को इजाजत दी है कि वह, बीआरआर को कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कर वार्षिक रिपोर्ट लिंक का संदर्भ मुद्रित करे। तदनुसार, बीआरआर www.mrpl.co.in. में देखी जा सकेगी। बीआरआर का अनुबंध, वार्षिक रिपोर्ट के साथ नहीं भेजा जाएगा। बीआरआर की मुद्रित प्रतिलिपि पाने का इच्छुक कोई भी सदस्य, मंगलूर में कंपनी के निवेशकर्ता संबंध कक्ष को लिख सकता है।

7) संचार के साधनः

i)	तिमाही परिणाम	:	कंपनी के त्रैमासिक परिणाम, बिसनेस स्टैंडर्ड (अंग्रेजी), उदयवाणी- मणिपाल (कन्नड) में प्रकाशित और कंपनी के वेबवाइट www.mrpl.co.in पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं.
II)	समाचार प्रकाशन, प्रस्तुतीकरण आदि	:	आधिकारिक समाचार प्रकाशन और आधिकारिक मीडिया प्रकाशन, शेयर बाजारों के पास भेजे जाते हैं।
III)	संस्थागत निवेशकर्ताओं / विश्लेषकों को प्रस्तुतीकरण	:	नहीं
IV)	वेबसाइट	:	कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में एक अलग समर्पित खंड है जिसका नाम है '' निवेशकर्ता सेवाएं '' जिसमें शेयरधारकों के बारे में जानकारी उपलब्ध है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट भी, वेबसाइट पर अनुकूल और डाउनलोड करने लायक रूप में उपलब्ध है।
v)	वार्षिक रिपोर्ट	:	वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, लेखा परीक्षित लेखे, समेकित वित्तीय विवरण, निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और अन्य विवरण मिलते हैं। प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एण्ड ए)रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का ही अंग है जिसे कंपनी के वेबसाइट www.mrpl.co.in में प्रदर्शित किया गया है।
VI)	अध्यक्ष की विज्ञप्ति	:	अध्यक्ष के भाषण की मुद्रित प्रतिलिपियाँ, वार्षिक महा सभा में सभी शेयरधारकों में बांटी जाती हैं। इसकी एक प्रतिलिपि, कंपनी के वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाती है और शेयर बाजारों के पास भेजी जाती है एवं प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाती है।
VII)	निवेशकर्ताओं को अनुस्मारक भेजना	:	अदावी शेयरों के बारे में शेयरधारकों को अनुस्मारक भेजे जाते हैं।
VIII)	कार्पोरेट फाइलिंग एवं प्रसार प्रणाली (सीएफडीएस)	:	बीएसई और एनएसई के संयुक्त स्वामित्व में चलाए गए एवं अनुरक्षित सीएफडीएस पोर्टल, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा दर्ज की गई सूचना देखने का एक मात्र साधन है। बीएसई और एनएसई के पास किए गए तमाम प्रकटन और सूचनाएं, सीएफडीएस पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जाती हैं और उक्त प्रकटन एवं पत्राचार की मुद्रित प्रतिलिपियां भी दर्ज की जाती हैं।
IX)	एनएसई इलेक्ट्रॉनिक आवेदन प्रोसेसिंग प्रणाली (एनईएपीएस)	:	एनईएपीएस, एनएसई द्वारा कंपनियों के लिए बनाया गया एक वेब आधारित अप्लिकेशन है, शेयरधारक का स्वरूप और निगमित अभिशासन संबंधी रिपोर्ट भी एनईएपीएस में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज की जाती है।
x)	सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स)	:	निवेशकर्ताओं की शिकायतों को एक केंद्रीकृत वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली के जरिए प्रोसेस किया जाता है। इस प्रणाली के वैशिष्ट्य इस प्रकार हैंः सभी शिकायतों का केंद्रीकृत डेटाबेस होगा, संबद्ध कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्टों (एटीआर)को ऑन लाइन अपलोड किया जा सकेगा और निवेशकर्ता, शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसकी वर्तमान स्थिति को ऑनलाइन देख सकेगा।

XI) नामोद्दिष्ट अनन्य ई-मेल आईडी : कंपनी ने, निवेशकर्ता सर्वीसिंग के लिए ही नीचे उल्लिखित ई-मेल आईडी नामोद्दिष्ट किए हैं।

क) वार्षिक रिपोर्ट संबंधी पूछताछ के लिए - investor@mrplindia.com

ख) मूर्त रूप में शेयरों के बारे में पूछताछ के लिए - mrplirc@linkintime.co.in

8) सामान्य शेयरधारकों के बारे में जानकारी

25वीं वार्षिक महा सभा

(i)	कंपनी के पंजीकरण के ब्यौरे	:	कंपनी को कर्नाटक राज्य, भारत में पंजीकृत किया गया है। कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए)द्वारा कंपनी को आबंटित कार्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)है, L85110KA1988GOI008959
(ii)	दिन, दिनांक, समय और स्थान	:	सोमवार, 23 सितंबर 2013, अपराह्न 4.00 बजे पंजीकृत कार्यालय, मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,मंगलूर-575 030
(iii)	वित्तीय वर्ष	:	01/04/2012 से 31/03/2013 तक.
(iv)	बही समापन दिनांक	:	31.08.2013 से 07.09.2013 तक
v)	लाभांश भुगतान दिनांक	:	लागू नहीं
vi)	शेयर बाजार में सूचीकरण	:	
	(क) इक्विटी शेयर		1) बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, फिरोज़ जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई - 400 001 स्क्रिप कोडः 500109 2) दी नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाज़ा, बांद्रा (पश्चिम)- 400 051 व्यापारी चिह्नः MRPL ISIN: INE103A01014
	(ख) सूचीकरण शुल्क का भुगतान	:	कंपनी ने बीएसई और एनएसई को वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक सूचीकरण शुल्क अदा किया है।
	(ग) निक्षेपागार शुल्क का भुगतान	:	कंपनी ने एनएसडीएल और सीडीएसएल को वर्ष 2013-14 के लिए वार्षिक अभिरक्षा/निर्गमकर्ता शुल्क अदा किया है।

(vii) इस रिपोर्ट में, निदेशकों की अर्हता, उनकी विशेषज्ञता, जिन कंपनियों के मंडल में वे अध्यक्ष/निदेशक का पद संभाल रहे हों उनके नाम और मंडल की उप-समितियों में अध्यक्ष / निदेशक रहें हैं, इन कंपनियों में उनके शेयरधारण और शेयर बाजारों के साथ

सूचीकरण संबंधी करारनामे के खंड 49 का अनुसरण करते हुए निदेशकों के परस्पर संबंध के बारे में संक्षिप्त सारवृत्त दिया गया है जो वार्षिक रिपोर्ट का एक अंग है।

बाजार कीमत संबंधी आंकडें

महीना	राष्ट्रीय शेयर बाजार		बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज	
	अधिक (रु.)	कम (रु.)	अधिक (रु.)	कम (रु.)
अप्रैल-12	69.60	60.65	69.60	60.40
मई-12	63.25	53.00	63.20	53.25
जून-12	56.40	50.30	56.4	51.15
जुलाई-12	62.00	49.50	61.00	49.55
अगस्त-12	66.80	55.15	66.50	55.25
सितंबर-12	65.15	55.80	65.00	58.40
अक्तूबर-12	70.45	56.30	70.50	60.70
नवंबर-12	69.95	59.50	69.90	59.80
दिसंबर-12	64.85	59.00	64.20	59.85
जनवरी-13	69.45	60.40	69.50	60.70
फरवरी-13	70.00	56.70	63.40	56.70
मार्च-13	60.50	48.60	60.00	48.8

(ix) एनएसई निफ्टी और बीएसई सेंसेक्स जैसे वैविध्यपूर्ण सूचकों की तुलना में निष्पादन:

एनएससी (निफ्टी) 2012-13

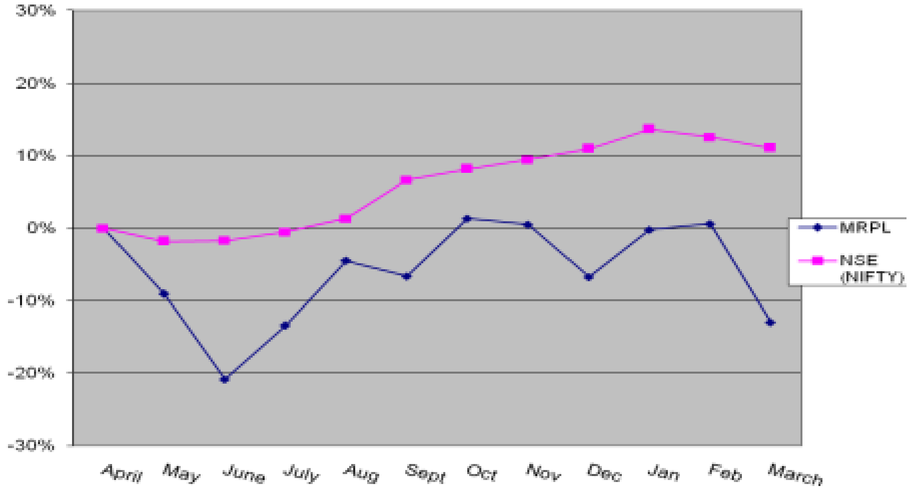

बीएसई सेंसेक्स 2012-13

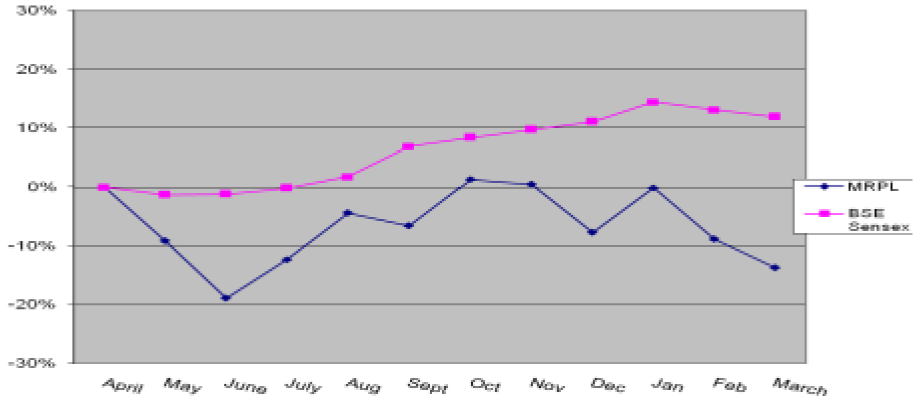

(X) रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया(प्रा)लि, सी -3, पन्नालाल सिल्क मिल्स कम्पाउंड, एल.बी.एस मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई - 400 078

(xi) शेयर अंतरण प्रणाली:

शेयर अंतरण का कार्य, कंपनी के आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इन्टाइम इंडिया(प्रा)लि, संभाल रहे हैं जिनका निक्षेपागारों अर्थात्; एनएसडीएल और सीडीएसएल के साथ भी कनेक्टिविटी है। अंतरण के लिए अनुमोदन, शेयर अंतरण समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर दिया जाता है । शेयर अंतरण को, प्राप्ति तारीख से 15 दिनों के अंदर पंजीकृत कर प्रेषित किया जाता है बशर्ते कि वे हर तरह परिपूर्ण हों ।

31 मार्च, 2013 को शेयरधारण का वितरण

धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	शेयर रखने वाले शेयरधारकों की संख्या		धारित कुल शेयर		धारित इक्विटी पूंजी का %	
	भौतिक रूप में	डीमैट रूप में	भौतिक रूप में	डीमैट रूप में	भौतिक रूप में	डीमैट रूप में
1-500	234650	237106	41641667	41320036	2.38	2.36
501-1000	975	14936	747875	11940514	0.04	0.68
1001-2000	176	5812	255957	8836347	0.01	0.50
2001-3000	26	1684	65125	4228237	0.00	0.24
3001-4000	7	683	25008	2453430	0.00	0.14
4001-5000	16	522	75350	2443444	0.00	0.14
5001-10000	14	652	100950	4677294	0.01	0.27
10001 व उससे अधिक	8	418	247200	1633540343	0.01	93.21
कुल	**235872**	**261813**	**43159132**	**1709439645**	**2.46**	**97.54**

(xii) 31 मार्च, 2013 को शेयरधारण का स्वरूप

विवरण	कुल शेयर	प्रतिशत
ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड	1255354097	71.63
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	297153518	16.96
निवासी व्यक्ति	114502914	6.53
अनिवासी व्यक्ति	8544140	0.49
देशी कंपनियां	20682460	1.18
समुद्रपारीय कार्पोरेट निकाय	8402588	0.48

जीआईसी और सहायक कंपनियाँ/बैंक और वित्तीय संस्थाएँ/म्यूचुअल फंड	47942605	2.73
केंद्र / राज्य सरकार की संस्थाएँ	2700	0.00
न्यास	13755	0.00
कुल	**1752598777**	**100.00**

(xiii) शेयरों का अमूर्तीकरण और नकदी

31 मार्च, 2013 को 1,70,94,39,645 इक्विटी शेयर अमूर्त रूप में रहे जिनका अनुपात 97.54% बनता है ।

दोनों प्रवर्तकों, ओएनजीसी और एचपीसीएल ने अपने शेयर, अमूर्त रूप में रखे हैं।

(xv) अदावी/सुपुर्द न किए गए शेयर

क्रम सं.	विवरण	कुल शेयरधारक	कुल शेयर
1	कुल शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, वर्ष के प्रारंभ में सुपुर्द / दावा किए बगैर पडे रहे;	9224	1025025
2	परिवर्धन : शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, वर्ष के दौरान (अप्रैल, 12 से मार्च, 13 तक) सुपुर्द / दावा किए बगैर पडे रहे;	129	15300
3	कुल शेयरधारकों की संख्या जिन्होंने वर्ष के दौरान उनके हवाले न किए गए शेयरों के सिलसिले में कंपनी से संपर्क किया;	281	23900
4	कुल शेयरधारकों की संख्या जिनको वर्ष के दौरान सुपुर्द न किए गए शेयर लौटाए गए/दोबारा दर्ज किए गए;	281	23900
5	वर्ष के अंत में, कुल शेयरधारकों की संख्या जिनके शेयर, ''अदावी शेयर उचंत खाते '' में बकाया रहे;	9072	1016425

(xvi) बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट अथवा कोई परिवर्तनीय प्रपत्र, परिवर्तन तारीख और इक्विटी पर उसका प्रभावः **कुछ नहीं**

(xvii) कारोबार जिम्मेदारी संबंधी रिपोर्ट (बीआरआर)

सूचीकरण संबंधी नए खण्ड 55 का अनुसारण करते हुए, वर्ष 2012-13 के लिए एक बीआरआर बनाई गई है जो वार्षिक रिपोर्ट का अंग है। हरित पहल के उपाय के तौर पर, स्टॉक एक्सचेंज ने कंपनी को इजाजत दी है कि वह, बीआरआर को कंपनी के वेबसाइट पर अपलोड कर वार्षिक रिपोर्ट लिंक का संदर्भ मुद्रित करे। तद्नुसार, बीआरआर www.mrpl.co.in. में देखी जा सकेगी। बीआरआर का अनुबंध, वार्षिक रिपोर्ट के साथ नहीं भेजा जाएगा। बीआरआर की मुद्रित प्रतिलिपि पाने का इच्छुक कोई भी सदस्य, मंगलूर में कंपनी के निवेशकर्ता संबंध कक्ष को लिख सकता है।

(xviii) संयंत्र का स्थान : मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,

मंगलूर-575 030 कर्नाटक

भारत

(xviii) पत्राचार का पताः

पंजीकृत कार्यालय/कंपनी का निवेशकर्ता संबंध कक्ष :

सचिवालयी विभाग

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.(एमआरपीएल)

मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,

मंगलूर-575 030 कर्नाटक

निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के बारे में लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सदस्य
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
मंगलूर

हमने शेयर बाजारों के साथ उक्त कंपनी के लिस्टिंग संबधी करारनामे के खंड 49 में यथा निर्दिष्ट 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा कंपनी शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया है।

कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना प्रबंधन की जिम्मदारी है। हमारा परीक्षण, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में अपनाई गई क्रियाविधियों एवं उसके कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के बराबर है न ही उस पर हमारी राय व्यक्त करने जैसा है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर तथा प्रबंधन के अभ्यावेदन के बलबूते पर, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कंपनी के मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति से संबंधित बात को छोड़कर, जो मामला पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार के साथ उठाया जा रहा है, ऊपर उल्लिखित लिस्टिंग संबधी करारनामे के खंड 49 में यथा निर्दिष्ट कंपनी शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हम स्पष्ट करते हैं कि रखे गए और कंपनी के रजिस्ट्रार और अंतरण एजेंटों द्वारा प्रमाणित रेकार्डों के अनुसार, 31 मार्च, 2013 तक कंपनी में कंपनी के खिलाफ़ निवेशकर्ता की कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नही रही।

हम यह भी व्यक्त करते हैं कि अनुपालन न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का और न ही कंपनी के कामकाज के सिलसिले में प्रबंधन की दक्षता अथवा प्रभावोत्पादकता का आश्वासन है।

कृते महाराज एन.आर. सुरेश एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 001931S

सीए एन आर सुरेश
साझेदार
सदस्यता सं. 021661

कृते गोपाल ऐय्यर एण्ड सुब्रमणियन
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. : 000960S

सीए एस. सुंदर
साझेदार
सदस्यता सं. 202725

स्थान : चेन्नै
दिनांक : 02.07.2013

साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट

सेवा में:

निदेशक मंडल
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.
पंजीकृत कार्यालयः मुडपाडव, कुत्तेतूर पी. ओ.
पी. ओ. मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूर - 575030.

हमने मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि. (कंपनी) के 31.3.2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रजिस्टरों, रेकॉर्डों और दस्तावेजों की जांच निम्नलिखित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई :

- कंपनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम के तहत बनाए गए नियम;
- निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और अधिनियम के तहत बनाए गए विनियम और उप-नियम;
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण), विनियम 1997
- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंगी व्यापार निषेध), विनियम 1992;
- बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंट ऑफ इंडिया लि. के साथ इक्विटी लिस्टिंग संबंधी करार और
- भारतीय उद्योग और सार्वजनिक प्रतिष्ठान मंत्रालय, भारत सरकार के ओ.एम. सं. 18(8)2005-जीएम, दिनांक 14 मई 2010 में यथा निर्दिष्ट केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के लिए कंपनी शासन संबंधी दिशा-निर्देश ('' कंपनी शासन संबंधी डीपीई दिशा-निर्देश'')

हमें पेश किए गए रेकॉर्डों के परीक्षण एवं सत्यापन के आधार पर और कंपनी द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के आधार पर, हमारी राय में:

1. हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम 1956 (दी एक्ट) के प्रावधानों और अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों और इन पहलुओं के बारे में कंपनी के बहिर्नियमों एवं अंतर्नियमों का पालन किया है :

   क. सांविधिक रजिस्टरों और दस्तावेजों का रख-रखाव एवं उनमें आवश्यक प्रविष्टियां पारित करना;

   ख. कंपनियों के रजिस्ट्रार, कर्नाटक, बेंगलूर के पास, अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा के अंदर अपेक्षित फार्म और विवरणियाँ पेश करना।

   ग. कंपनी द्वारा अपने सदस्यों और कंपनियों के रजिस्ट्रार के संबंध मे दस्तावेज रखना ।

   घ. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर अंतरण बहियां बंद करना।

   ङ मंडल की बैठकों और निदेशकों की समिति की बैठकों की नोटिस;

   च. परिचलन के जरिए संकल्प पारित करने सहित निदेशकों और निदेशकों की समितियों की बैठकें आयोजित कर चलाना;

   छ. 15 सितंबर 2014 को संपन्न 24वीं वार्षिक महासभा।

   ज. सामान्य बैठकों और मंडल एवं उसकी समितियों की बैठकों की कार्रवाई के कार्यवृत्त रेकॉर्ड करना और रखना।

   झ. निदेशक मंडल का गठन और निदेशकों की नियुक्ति, निवृत्ति और पुनर्नियुक्ति;

   ञ. अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और गैर-कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति और उनका पारिश्रमिक।

   ट. निदेशकों ने ठेकों और व्यवस्थाओं में अपने हित और प्रयोजन को, अन्य कंपनियों में अपने शेयरधारण और निदेशक पद एवं अन्य प्रतिष्ठानों में अपने हितों के बारे में प्रकट किया और मंडल ने उनके प्रकटन को रेकॉर्ड में नोट किया।

   ठ. निर्दिष्ट समय के अंदर शेयरों का अंतरण और प्रेषण तथा शेयरों के मूल एवं डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करना और सुपुर्द करना; शेयरों का अमूर्तीकरण/पुनर्मूर्तीकरण;

   ड. इक्विटी शेयरधारकों और अधिमान शेयरधारकों को लाभांश घोषित करना और अदा करना।

   ढ. कंपनी ने, निवेशकर्ता और संरक्षण निधि में, निधि में जमा करने के लिए यथा अपेक्षित तरीके से सभी अदत्त लाभांश निर्दिष्ट समय के अंदर जमा किए और अदा किए।

   ण. अंतर निगमित ऋण और निवेश सहित कंपनी की निधियों का निवेश ।

   त. सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक का भुगतान।

   थ. अधिनियम की धारा 233बी के तहत लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति।

द. कंपनी को यह जरूरत नहीं पडी कि वह 15 सितंबर, 2012 को हुई वार्षिक महासभा में घोषित लाभांश के अधिकारों को रोके रखें क्योंकि शेयरों के अंतरण का पंजीकरण हो चुका था।

ध. कंपनी ने, वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 58ए के परिप्रेक्ष्य के अंदर आने वाली जमाराशियों को आमंत्रित/स्वीकार नहीं किया।

न. कंपनी ने 31 मार्च, 2013 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान जमानती उधार दिए और कंपनी की आस्तियों पर आशोधित प्रभार निर्मित कर लागू कानून का पालन किया।

प. कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शेयर वापस नहीं खरीदे।

फ. वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी ने, अपने बहिर्नियमों के प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया। वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने अपने अंतर्नियमों में परिवर्तन किया जिससे कि कंपनी के शेयर वापस खरीदे जा सके और कंपनी ने अधिनियमों के प्रावधानों एवं उस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों का पालन किया।

ब. कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एमआरपीएल की भविष्य निधि नाम का एक न्यास निर्मित किया है। कंपनी ने उक्त न्यास में, कर्मचारियों और नियोजक, दोनों का अंशदान, अधिनियम की धारा 418 का अनुसरण करते हुए निर्धारित समय के अंदर जमा कराया है।

भ. वित्तीय वर्ष के दौरान, अधिनियम के तहत किसी अपराध के सिलसिले में, कंपनी के खिलाफ कोई अभियोजन नहीं चलाया गया न ही कंपनी को इस सिलसिले में कोई कारण बताओ नोटिस मिला और कंपनी, उसके निदेशकों और अधिकारियों पर न कोई जुर्माना लगाया गया न ही उनको कोई दूसरे तरीके का दंड दिया गया।

2. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने, प्रतिभूतियों के अमूर्तीकरण / पुनर्मूर्तीकरण के संबंध में निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के प्रावधानों का पालन किया है और कंपनी द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों के साथ अवमूर्तीकृत प्रतिभूतियों के रेकॉर्डों का समाधान किया है।

3. आगे हम यह रिपोर्ट करते हैं किः

   i. कंपनी ने बॉंबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के साथ इक्विटी लिस्टिंग संबंधी करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षाएँ पूरी की, सिवाए इस बात के कि निदेशक मंडल में लिस्टिंग संबधी करारनामे के खंड 49(1)(ए)(ii)के अनुसार अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं।

   ii. कंपनी ने, विनियमों के तहत अपेक्षित रेकॉर्डों के प्रकटीकरण और रख-रखाव के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 1997 के प्रावधानों का पालन किया है।

   iii. कंपनी ने, विनियमों के तहत अपेक्षित रेकॉर्डों के प्रकटीकरण और रख-रखाव के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम 1992 के प्रावधानों का पालन किया है।

4. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और प्रबंधन द्वारा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि स्वतंत्र निदेशकों के बारे में निदेशक मंडल की संरचना को छोड़कर कंपनी ने कंपनी अभिशासन से संबंधित डीपीई दिशा-निर्देशों का पालन किया है ।

कृते उल्लास कुमार मेलिनमोगरु एण्ड एसोसिएट्स
पेशेवर कंपनी सचिव

उल्लास कुमार मेलिनमोगरु
मालिक
सीपी सं. 6640

दिनांकः 20/06/2013

स्थानः मंगलूर

25वीं वार्षिक महासभा की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि **मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड** के सदस्यों की 25वीं वार्षिक महासभा, **सोमवार, 23 सितंबर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे** मुडपाडव, कुत्तेतूर, पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर – 575 030 में स्थित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगी जिसमें निम्नलिखित कारोबार आशोधन के साथ अथवा बगैर, जैसे अनुमति दी जाए, किया जाएगा :

सामान्य कारोबार

1. 31 मार्च, 2013 तक का तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ-हानि लेखा के साथ-साथ उस पर निदेशकों, लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनाना।

2. श्री सुधीर वासुदेव के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर कार्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना।

3. श्री पी. कल्याणसुंदरम् के स्थान पर, जो आवर्तन के आधार पर कार्यालय से सेवानिवृत्त होन वाले हैं और पात्र होने के कारण अपनी पुनर्नियुक्ति की पेशकश रखते हैं, निदेशक नियुक्त करना।

4. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए कंपनी के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए भारत के नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान तय करना और/ अथवा निर्धारित करना।

बोर्ड के आदेश से
बी. सुकुमार
कंपनी सचिव

8 अगस्त, 2013

पंजीकृत कार्यालय
मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि
मुडपाडव, कुत्तेतूर पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला,
मंगलूर - 575030

टिप्पणियां:

1. **बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र सदस्य, अपने स्थान पर किसी प्रॉक्सी को नियुक्त करने और उससे मतदान कराने के लिए पात्र होगा जब कि जरूरी नहीं है कि ऐसा प्रॉक्सी, सदस्य हो। प्रॉक्सी फ़ार्म, कंपनी के पास उसके पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक महा सभा शुरू होने से ठीक अड़तालीस घंटे पहले पेश करना होगा।**

2. बैठक में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों को भेजने का इरादा रखने वाले कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे, बैठक में भाग लेकर उसकी तरफ से मतदान करने का अपने प्रतिनिधि को प्राधिकार देते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपना नामांकन पत्र भेजे।

3. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 256 के साथ पठित कंपनी के अंतर्नियमों के अंतर्नियम 151 से 153 के अनुसार, डॉ. सुधीर वासुदेव और श्री पी. कल्याणसुंदरम्, अगली बैठक में आवर्तन से निवृत्त होंगे और पात्र होने के नाते पुनर्नियुक्ति के लिए अपनी ही पेशकश करते हैं।

4. निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के संबंध में, संबद्ध निदेशकों के ब्यौरे सहित संक्षित सार वृत्त, सदस्यों के सूचनार्थ इस नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

5. अगर संयुक्त धारक, बैठक में भाग ले रहे हों तो, सदस्यों के रजिस्टर में नाम के क्रम में उच्चतर स्थान पाने वाले संयुक्त धारकों को मतदान करने का हक दिया जाएगा।

6. **कंपनी ने अधिसूचित किया है कि वार्षिक महासभा की खातिर सदस्यों का रजिस्टर और कंपनी की शेयर अंतरण बहियाँ, 31.08.2013 से 07.09.2013 (दोनों दिन समेत)तक बंद रहेंगी।**

7. संलग्न की गई नोटिस में निर्दिष्ट संबंधित दस्तावेज, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में, वार्षिक महा सभा की तारीख तक कंपनी के कारोबार समय के दौरान सभी कार्य दिवस, सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे।

8. सदस्यों से दरख्वास्त की जाती है कि वे, खाता संख्या के साथ अपनी फोलियो संख्या, बैंक/शाखा का नाम और पता संबंधी जानकारी, मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट , मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को सी-13, पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप (पश्चिम), मुंबई - 400078 को और डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के मामले में संबंधित डीपी को दें ताकि कंपनी, भविष्य में कोई लाभांश घोषित किए जाने पर उसका भुगतान कर सके।

9. डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से निवेदन है कि वे, अपने पते में अथवा बैंक के अधिदेश में कोई परिवर्तन होने पर उस बारे में फौरन, अपने उन निक्षेपागार सहभागियों को सूचित करें जिनके पास उनके डीमैट खाते रखे गए हों। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से गुजारिश है कि वे, अपने पते में कोई परिवर्तन होने पर उस बारे में फौरन कंपनी/आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम, मुंबई को इत्तला करें।

10. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)ने प्रतिभूति बाजार में हर एक सहभागी के लिए स्थाई खाता संख्या (पैन) पेश करना अनिवार्य बनाया है। इसलिए डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे, अपना पैन, उस निक्षेपागार सहभागी को पेश करें जिनके पास उन्होंने अपने डीमैट खाते रखे हों। मूर्त रूप में शेयर रखने वाले सदस्य, अपने पैन के ब्यौरे, कंपनी/आर एण्ड टी एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम, मुंबई को सूचित कर सकते हैं।

11. अलग-अलग बही पन्नों के तहत एक ही नाम से एक से अधिक शेयर प्रमाणपत्र रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे इन बही पन्नों का समेकन कराने के लिए आवेदन करें और उक्त रजिस्टार के पास संबंधित शेयर प्रमाणपत्र भेजें।

12. कंपनी ने प्रतिभूतियों की अभिरक्षा और उनके अमूर्तीकरण के लिए दोनों निक्षेपागारों के साथ ज़ैसे नैशनल सेक्यूरिटीस डिपॉसिटरीस लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉसिटरीस सर्वीसस (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल)करारनामे पर हस्ताक्षर किए हैं। सदस्य, एनएसडीएल अथवा सीडीएसएल के निक्षेपागार सहभागियों में से किसी से भी संपर्क करते हुए निक्षेपागार सुविधाएं पा सकते हैं।

13. कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 में, कंपनियों के शेयर रखने वाले व्यक्तियों के लिए नामांकन सुविधा प्रदान की गई है। मूर्त रूप में और ख़ासकर एक ही नाम से शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को अपने नामांकन के विवरण पेश करते हुए उक्त सुविधा का फायदा उठाएँ। सदस्य, कंपनी के वेबसाईटः www.mrpl.co.in में उपलब्ध इन्वेस्टर्स सर्वीसस लिंक से निर्धारित नामांकन फ़ार्म डाउनलोड कर सकते हैं ।

14. कंपनी ने बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लि. और नैशनल स्टॉक एक्सचेंट ऑफ इंडिया लि. में अपने शेयरों को सूचीबद्ध किया है। दोनों शेयर बाजारों में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए अद्यतन लिस्टिंग शुल्क अदा किया गया है।

15. कंपनी कार्य मंत्रालय ने (अपने परिपत्र सं. 17/2011 और 18/2011, दिनांक 21 अप्रैल, 2011 और 29 अप्रैल, 2011) कंपनी अभिशासन में हरित पहल करते हुए कंपनियों को अपने दस्तावेज, अपने शेयर धारकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बांटने की इजाजत दी है। सदस्यों से निवेदन है कि वे इस पहल की तरफ़ अपना समर्थन देने के लिए अपना ई-मेल पता, अमूर्त रूप से रखे गए शेयरों के संबंध में अपने संबंधित निक्षेपागार सहभागियों के पास और मूर्त रूप में रखे गए शेयरों के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास रजिस्टर कराएं / अद्यतन बनाएँ।

नोटिस का अनुबंध

25वीं वार्षिक महा सभा में नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के ब्यौरे

निदेशक का नाम	श्री सुधीर वासुदेव	श्री पी. कल्याणसुदंरम्
जन्म तिथि	25-02-1954	25-12-1954
नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति तारीख	29-02-2009	15-04-2013
निर्दिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	श्री सुधीर वासुदेव, एक प्रतिष्ठित तकनीक तंत्री है जिनको तेल की खोज में 37 सालों का व्यापक अनुभव है। ओएनजीसी में अपनी टीम प्रबंधन की क्षमताओं के लिए पहचाने जाने वाले श्री सुधीर वासुदेव ने, 2009 में निदेशक (अपतट) के रूप में और 2011 में सीएमडी, ओएनजीसी के रूप में कमान संभालने से पहले ओएनजीसी के अपतटीय संयुक्त उद्यम का खंड संभाल रहे थे।	केंद्रीय सचिवालय सेवा (आईएएस से संबद्ध) – 183 केडर से जुडे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कदम रखने से पहले इन्होंने विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पद संभाले जैसे इस्ताप और खान मंत्रालय, नागर विमानन, सडक परिवहन, जहाजरानी, कानून और न्याय, कृषि, क्रीडा और युवा कार्य, उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण।
अर्हता	केमिकल इंजीनियर - प्रबंधन में एड्वांस्ड डिप्लोमा के साथ गोल्ड मेडलिस्ट।	एम.एससी(भू-विज्ञान); एलएलबी;एमबीए, एम.फिल (वाणिज्य), एम.ए (अर्थशास्त्र); एम.फिल(सामाजिक विज्ञान); पब्लिक एड्मिनिस्टेशन में मास्टर्स डिप्लोमा; (पीएच.डी) अंतर्राष्ट्रीय कारोबार;
अन्यत्र संभाले गए निदेशक पदों की सूची	1. ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड 2. ओएनजीसी विदेश लिमिटेड 3. ओएनजीसी पेट्रो-एडिशन्स लिमिटेड 4. मंगलूर एसईज़ड् लिमिटेड 5. ओएनजीसी त्रिपुरा पावर कंपनी लिमिटेड 6. पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड	1. बाल्मेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

	7. ओएनजीसी मंगलूर पेट्रोकेमिकल्स लि. 8. ओएनजीसी मित्तल एनर्जी लिमिटेड	
कंपनी के निदेशक मंडल की समितियों के अध्यक्ष / सदस्य	कुछ नहीं	1. मानव संसाधन प्रबंधन समिति – सदस्य 2. पारिश्रमिक समिति – सदस्य
अन्य कंपनियों की निदेशक समितियों के अध्यक्ष / सदस्य	कुछ नहीं	बाल्मेर लॉरी इन्वेस्टमेंट लि. • लेखा परीक्षा समिति – सदस्य • निवेशकर्ता शिकायत समिति – सदस्य
31 मार्च, 2013 को एमआरपीएल में शेयरधारण	300	कुछ नहीं

पाँच वर्ष के निष्पादन की एक झलक

	2012-13	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
हमारी देयताएं					
शेयर पूंजी	17,526.64	17,572.57	17,618.50	17,618.50	17,618.31
आरक्षित निधि	47,150.26	54,719.37	47,670.51	38,347.02	29,675.68
निवल मालियत	**64,676.90**	**72,291.94**	**65,289.01**	**55,965.52**	**47,293.99**
उधार	75,576.54	61,831.10	15,569.75	16,963.97	19,868.04
आस्थगित कर देयता	7,343.28	4,531.40	3,471.64	6,602.22	5,685.53
कुल	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**
हमारी स्वाधिकृत पूंजी					
अचल आस्तियां (पूंजी डब्ल्यूआईपी सहित)	188,929.44	161,134.49	130,871.85	92,954.50	78,390.04
घटाएँ मूल्यह्रास	55,578.31	49,644.32	45,301.36	41,428.08	37,661.38
कुल	**133,351.13**	**111,490.17**	**85,570.49**	**51,526.42**	**40,728.66**
निवेश	150.02	422.80	948.25	16,236.62	6,428.93
निवल चालू आस्तियां	14,095.57	26,741.47	(2,188.34)	11,768.67	25,689.97
कुल	**147,596.72**	**138,654.44**	**84,330.40**	**79,531.71**	**72,847.56**
आय					
बिक्री (निवल उत्पाद शुल्क)	656,915.16	537,633.43	389,566.73	318,851.74	382,437.41
अन्य आय	1,160.36	3,543.09	2,171.83	2,915.12	1,866.41
विनिमय में उतार-चढ़ाव (निवल) : अभिलाभ	-	-	184.48	3,903.97	-
स्टॉक में वृद्धि / (अवनति)	11,161.53	1,502.05	8,152.71	2,958.77	(5,968.56)
कुल	**669,237.05**	**542,678.57**	**400,075.75**	**328,629.60**	**378,335.26**
व्यय					
कच्चा माल	654,001.82	512,367.50	372,193.37	302,308.74	345,127.66
परिचालन खर्च	2,235.03	2,431.61	2,270.15	1,679.76	1,280.26
स्टॉक पर बिक्री कर व उत्पाद शुल्क (निवल)	217.99	(606.16)	647.77	894.23	559.01
वेतन और अन्य खर्च	1,845.60	1,606.42	1,845.35	958.95	1,130.30
विनिमय में उतार-चढ़ाव (निवल) : हानि	5,364.91	6,482.20	-	-	6,104.96
प्रशासन और अन्य खर्च	1,010.53	789.47	786.27	821.22	758.83
ब्याज	3,285.53	2,066.77	1,043.73	1,154.98	1,434.51
मूल्यह्रास	6,044.10	4,338.73	3,914.19	3,893.27	3,823.16
कुल	**674,005.51**	**529,476.54**	**382,700.83**	**311,711.15**	**360,218.69**
कर पूर्व लाभ	**(4,768.46)**	**13202.03**	**17374.92**	**16918.45**	**18116.57**
कराधान के लिए प्रावधान	2,800.65	4,116.25	5,608.59	5,794.68	6,191.13
कर उपरांत लाभ	**(7,569.11)**	**9085.78**	**11766.33**	**11123.77**	**11925.44**
लाभांश	-	1,752.60	2,103.13	2,103.13	2,103.49
लाभांश वितरण कर	-	284.32	341.18	349.30	357.49
जीआरएम ($/बीबीएल)	2.45	5.60	5.96	5.51	5.38
मध्य आसवित प्रतिफल (% में)	55.58	53.00	53.09	54.23	52.39
पूंजीगत व्यय	27,794.95	30,262.64	39,896.78	14,139.16	2,813.92

पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी. ओ. काटिपल्ला, मंगलूर 575 030, कर्नाटक

उपस्थिति पर्ची

25वीं वार्षिक महा सभा

23 सितंबर, 2013

पंजीकृत बही पन्ना सं.		***डीपी आईडी**	
धारित कुल शेयर		***ग्राहक आईडी**	

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं, कंपनी का/की पंजीकृत शेयरधारक / पंजीकृत शेयरधारक का/की प्रॉक्सी हूँ।

मैं एतद्द्वारा, **शनिवार, 23 सितंबर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजे, मुडपाडव, कुत्तेतूर, पी.ओ. मार्ग काटिपल्ला, मंगलूर 575 030, कर्नाटक में संपन्न कंपनी की 25वीं वार्षिक महा सभा में** अपनी मौजूदगी दर्ज करता/करती हूँ।

सदस्य / प्रॉक्सी का नाम (मोटे अक्षरों में) **सदस्य / प्रॉक्सी के हस्ताक्षर**

नोट : कृपया यह उपस्थिति पर्ची भरकर उसे सभा गृह के प्रवेश द्वार पर सौंपें।
*इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकर्ताओं के लिए लागू

मंगलूर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि.

पंजीकृत कार्यालय मुडपाडव, कुत्तेतूर पी. ओ. काटिपल्ला, मंगलूर 575 030, कर्नाटक

प्राक्सि प्रपत्र

25वीं वार्षिक महासभा

23 सितंबर, 2013

पंजीकृत बही पन्ना सं.		***डीपी आईडी**
धारित कुल शेयर		***ग्राहक आईडी**

मैं / हम ______________________________

उक्त कंपनी का / के सदस्य होने के नाते एतद्द्वारा ______________________________

______________________________ अथवा उसकी अनुपस्थिति में ______________________________

को, **सोमवार, 23 सितंबर, 2013 को अपराह्न 4.00 बजo** और उसके किसी स्थगन समय पर होने वाली कंपनी की 25वीं वार्षिक महा सभा में मेरी / हमारी तरफ से मतदान करने के लिए मेरे / हमारे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता हूँ/करते हैं।

आज के दिन यानी 2013 के ____________________ को हस्ताक्षर किए गए।
*इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले निवेशकर्ताओं के लिए लागू होगा

रु. 1 का राजस्व स्टांप लगाएं

नोट : प्रभावशाली होने के लिए इस फ़ार्म पर मुहर लगाई जानी चाहिए, यह फ़ार्म पूरी तरह भरा हुआ होना चाहिए और इसमें हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और इसे सभा शुरू होने के 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में अवश्य जमा किया जाना चाहिए।

एमआरपीएल का निष्पादन

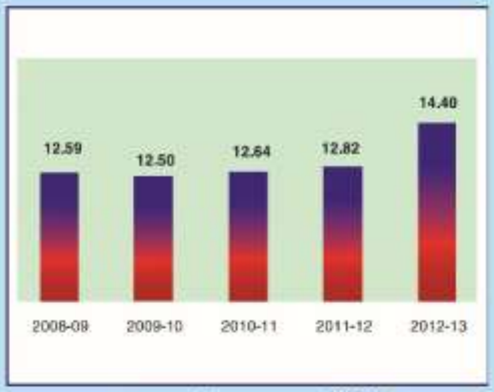

थ्रूपुट (दशलक्ष टनों में)

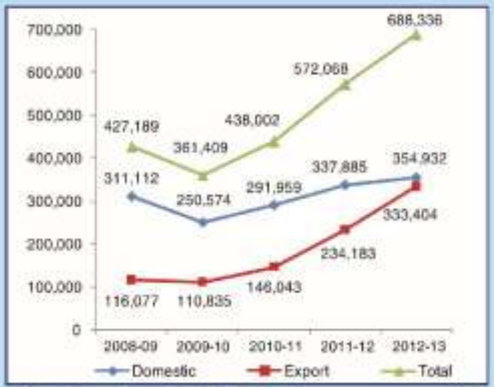

निर्यात और देशी बिक्री (रु. दशलक्ष में)

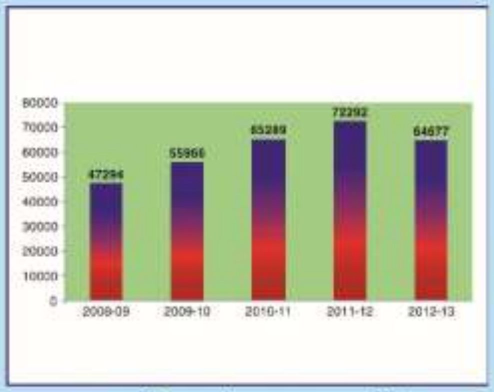

मालियत (रु. दशलक्ष में)

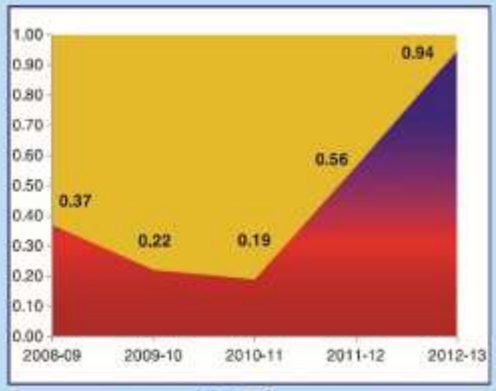

ऋण–इक्विटी अनुपात

बुक पोस्ट

अगर प्रेषिती के हवाले न हुआ तो कृपया इस पते पर लौटाएं : मेसर्स लिंक इंटाइम इंडिया (प्रा) लि. इकाई – एमआरपीएल सी–13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड, एल.बी.एस. मार्ग, भंडूप(पश्चिम), मुंबई–400 078
टेलीफोन : 022–25946970
फैक्स : 022–25946969
ई–मेल : mrplirc@linkintime.co.in